राजभाषा खण्ड. (विधायी विभाग)
Official Languages Wing, (Leg. Deptt.)
विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law & Justice
संशोधन अनुभाग
Correction Section

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

सत्यमेव जयते

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप
STANDARD FORMS OF LEGAL DOCUMENTS

जिल्द–8
Volume—VIII

1994

राजभाषा खंड
OFFICIAL LANGUAGES WING

प्राक्कथन

यह विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूपों के द्विभाषीय संकलन (हिंदी-अंग्रेजी) की शृंखला में आठवीं कड़ी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार यह आवश्यक है कि करार, संविदा, पट्टे, बंध-पत्र, निविदा आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हों। राजभाषा अधिनियम, 1963 की अपेक्षाओं का पालन सुगमता से हो सके इस दृष्टि से विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने बार-बार प्रयोग में आने वाली दस्तावेजों के सात संकलन द्विभाषीय रूप में क्रमश: जून 1978, जून 1979, जनवरी 1983, सितंबर 1983, जनवरी 1987, अगस्त 1990 और जनवरी, 1992 में प्रकाशित किए हैं।

इन सभी संकलनों का, भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों के अतिरिक्त, सरकारी उपक्रमों और राज्य सरकारों में भी स्वागत हुआ है। संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में (1986, पैरा 17.6.2) मत व्यक्त किया है कि "विधि शब्दावली के अतिरिक्त विधायी विभाग द्वारा तीन खण्डों में विधिक प्रकार के दस्तावेजों के मानक प्रारूप भी प्रकाशित किए गए हैं जो अनुवाद कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं"। इन संकलनों से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में सहायता मिली है।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रयोग किए जाने वाले मानक विधिक दस्तावेजों के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ इस संकलन में सम्मिलित किए गए हैं।

आशा है कि यह संकलन भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए, और विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध कार्यालयों के लिए, उपयोगी सिद्ध होगा।

संकलन को अधिक उपयोगी तथा संदर्भ-कार्य सरल बनाने के लिए इसके अंत में अनुक्रमणिका भी जोड़ दी गई है।

इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है।

के० एल० मोहनपुरिया,
सचिव, भारत सरकार।

नई दिल्ली,
अप्रैल, 1994

92-M/J(D)436MofLJ&CA—1

विषय सूची

		पृष्ठ
I.	करार	
1.	बैलगाड़ी के लिए	1
2.	सार्वजनिक टेलीफोन घर के लिए	3
3.	केवल भार प्रणाली के अनुसार कोयला/खनिज तेल/लौह अयस्क/चूना पत्थर आदि की लदाई का विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए	5
II.	बंधपत्र	
1.	वैयक्तिक बंधपत्र	8
2.	प्रतिभू-बंधपत्र	10
3.	क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र	11
4.	प्ररूप सं० 6क—केन्द्रीय सरकार के सेवकों को मकान निर्माण आदि के लिए अग्रिम की मंजूरी के विनियमन के लिए नियम	15
III	संविदा	
1.	सिविलियन कार्मिकों के पहचान पत्रों के लिए फोटो चित्र लेने के लिए	16
2.	परिवहन कार्य के लिए (श्रमिकों का प्रदाय)	18
IV.	बंधक विलेख	
	संपत्ति के पट्टाधृत होने की दशा में निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप सं० 4ख	22
V.	प्रकीर्ण	
1.	भूमि-क्रय/मकान, आदि के भागतः/पूर्णतः निर्माण/विस्तार, आदि, के लिए अग्रिम का अनुदान	26
2.	नीलामी सूचना	29
3.	विक्रय उन्मोचन आदेश	32
4.	ठेकेदारों, अभिकर्ताओं आदि के लिए बेबाकी और निकासी प्रमाण-पत्र	32
5.	निविदा आमंत्रण	34
6.	प्रदाय आदेश—	
	(i) त० र० मु० के लिए	35
	(ii) बेस और डिपो के लिए फालतू पुर्जों के लिए	41
7.	प्रत्यय पत्र का खोला जाना	42
8.	सम्मति शपथ-पत्र का प्ररूप	43
9.	शपथ-पत्र का प्ररूप	43

92-M/J(D)436MofLJ&CA—1(a)

10 विशेष शर्तें पृष्ठ
—ताजे फलों के प्रदाय के लिए 45
—ताजे आलू और प्याज के लिए 46
—ताजे मांस के प्रदाय के लिए 46
—ईंधन, लकड़ी का कोयला और अनबुझे चूने के प्रदाय के लिए 49
—मछली, अंडों और कुक्कुट के प्रदाय के लिए 50
—ताजी सब्जियों के प्रदाय के लिए 51
—साधारण/विशेष शर्तें 52
विनिर्देश—
—ताजे मक्खन के लिए 54
—ताजी मछली के प्रदाय के लिए 55
—प्रसाधित/जीवित कुक्कुट के प्रदाय के लिए 56
—ताजे अंडों के प्रदाय के लिए 57
—प्याज के प्रदाय के लिए 58
—ताजे मांस के प्रदाय के लिए 59
—अनबुझे चूने के लिए 60
—जटा-रहित साबूत नारियल के लिए स० से० का० 60
—मसालों के लिए 61
—गर्म मसाले के लिए 62
—ताजी सब्जियों के प्रदाय के लिए 63
—आलुओं के प्रदाय के लिए 63

अनुक्रमणिका 65

करार

(बैलगाड़ी के लिए)

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिनका प्रतिनिधित्व दक्षिण मध्य रेल के चिकित्सा अधीक्षक कर रहे हैं और जिनका प्रधान कार्यालय हुबली में है, (जिन्हें इसमें आगे "प्रशासन" कहा गया है और जिस पद से यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से कोई भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है और जिस पद से यह समझा जाएगा कि, उसके अंतर्गत जब तक कि संदर्भ से कोई भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उसके वारिस, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख किया गया।

प्रशासन, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा या उसकी ओर से सम्यक्तः प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित समय पर, बेलारी स्टेशन और ऐसे स्टेशन से संबंधित रेल बस्ती से कूड़ा-करकट और विष्ठा एकत्रित करने और हटाने तथा कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक साज-सज्जा सहित एक जोड़ी बैल तथा एक गाड़ी-चालक के उपलब्ध किए जाने की व्यवस्था कराना चाहता है।

ठेकेदार ऐसे बैलों और साज-सज्जा तथा गाड़ी चालक के प्रदाय की व्यवस्था, इसमें आगे उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर करने के लिए तैयार है।

अतः निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. यह करार—————————से—————————तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

2. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए बैल और साज-सज्जा ऐसी होगी जो चिकित्सा अधीक्षक या सम्यक्तः प्राधिकृत अन्य अधिकारी की राय में, उनके द्वारा इसमें अपेक्षित कार्य किए जाने के लिए समुचित और उपयुक्त हो और प्रतिदिन प्रातः उन्हें स्वास्थ्य यूनिट से ले जाया जाएगा जिससे कि वे प्रातः 7 बजे से कार्य आरम्भ करने के लिए तैयार रहें और (यदि आवश्यकता हो तो) वहां वे सांयकाल 5 बजे तक कार्य करेंगे जिसके बीच विश्राम और भोजन के लिए उन्हें उचित समय दिया जाएगा किन्तु ठेकेदार को प्रशासन की भूमि पर बैल खड़े करने या गाड़ी रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

3. प्रशासन, की गई सेवा के लिए ठेकेदार को प्रति मास रुपए ( ) की दर से भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रत्येक पूरे मास में उसे प्रतिदिन प्रोद्भूत हो रहा है।

4. चिकित्सा अधीक्षक या सम्यक्तः प्राधिकृत अन्य अधिकारी, बैलों की किसी जोड़ी में से अपने विवेकानुसार दोनों या एक बैल को, जो उसकी राय में कार्य के लिए अनुपयुक्त हो, अस्वीकार कर सकता है या निकाल सकता है और ऐसी बैलों की जोड़ी के लिए प्रश्नगत दिन के लिए ठेकेदार को कोई संदाय देय नहीं होगा।

5. ठेकेदार इस करार को पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में—————————रुपए (—————————रुपए) की रकम प्रशासन के पास जमा कराएगा और यह रकम उसे करार के समाप्त हो जाने पर वापस लौटा दी जाएगी। प्रतिभूति की नकद जमा की गई रकम या प्रशासन द्वारा रोके गए किसी धन पर कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा।

6. यह करार दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस आशय की एक मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में ठेकेदार को संदाय की जाने वाली औसत मासिक रकम के बराबर रकम का संदाय करके, समाप्त किया जा सकता है। इस रकम की गणना, उस मास के जिसमें करार समाप्त किया जाता है पूर्ववर्ती तीन मासों के औसत पर की जाएगी।

7. यदि ठेकेदार इस करार के निबंधनों को किसी भी रूप में भंग करता है तो प्रशासन इस करार को तुरन्त समाप्त करने और कूड़ा-करकट या विष्ठा को उठाने या कोई अन्य कार्य कराने के लिए ऐसी कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए, जैसी वह ठीक समझे, स्वतंत्र होगा और इसके अतिरिक्त वह जमा की गई उक्त रकम समपहृत करने और ऐसी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा जो ठेकेदार द्वारा इस करार के निबंधनों का पालन करने में असफल रहने के कारण हुई नुकसानी के बारे में अतिरिक्त रकम वसूल करने के लिए आवश्यक समझी जाए।

8. ठेकेदार, इस संविदा के अधीन कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को, ऐसे नियोजन से या उसके अनुक्रम में हुई दुर्घटना के फलस्वरूप पहुंची शारीरिक क्षति के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी कानूनी रूपान्तरण के अनुसार प्रतिकर देने का दायित्व स्वीकार करता है और

प्रशासन को, प्रतिकर के रूप में या अन्यथा उसके द्वारा किए गए ऐसे सभी भुगतानों की बाबत, क्षतिपूरित रखेगा जिनके उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्वोक्त किसी कर्मकार को किए जाने की सरकार से भी अपेक्षा की जाए और वह ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रशासन के विरुद्ध किए गए किसी भी दावे के संबंध में प्रशासन द्वारा उपगत किसी भी खर्च की बाबत और उसके संबंध में सभी कार्रवाईयों, दावों और किन्हीं भी मांगों के लिए या ठेकेदार, उसके कर्मकार, सेवक या अभिकर्ता द्वारा इस संविदा को उपेक्षापूर्वक अकुशल या अनुचित ढंग से निष्पादित किए जाने के फलस्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति को हुई हानि, क्षति या नुकसानी के लिए भी (प्रशासन को) क्षतिपूरित रखेगा। ऐसी सभी रकमें, जो पूर्वोक्तानुसार प्रशासन द्वारा देय हो जाएं, ठेकेदार द्वारा प्रशासन को संदेय की जाने वाली रकमें समझी जाएंगी और यदि ठेकेदार, प्रशासन द्वारा संदाय की गई रकम की मांग किए जाने पर सात दिन के भीतर प्रशासन को प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है तो प्रशासन उक्त रकम इस करार के खण्ड 7 में उल्लिखित रीति से वसूल करने का हकदार होगा।

9. ठेकेदार, इस संविदा के अधीन उसके द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का संदाय किए जाने के संबंध में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तरण और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के सभी उपबंधों का पालन और अनुपालन करेगा और प्रशासन को ऐसे किसी दावे से क्षतिपूरित रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन ठेकेदार द्वारा अपने किन्हीं दायित्वों के भंग किए जाने या निष्पादित न किए जाने के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी भी निरीक्षक द्वारा किए गए किसी आवेदन के संबंध में उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन किया जाए और ऐसे खर्चे से भी क्षतिपूरित रखेगा जो ऐसे दावे या आवेदन के संबंध में प्रशासन द्वारा उपगत किया गया हो। यदि इस संविदा के निबंधनों के अनुपालन में ठेकेदार किन्हीं ऐसे श्रमिकों की व्यवस्था करता है जिन्हें सीधे प्रशासन के अधीन और नियंत्रण में पूर्णतः या आंशिक रूप में चाहे ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जा रहे किसी कार्य के संबंध में या अन्यथा, प्रशासन के प्रयोजन के लिए काम करना है तो ऐसे श्रमिकों को भी इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक समझा जाएगा। यदि पूर्वोक्तानुसार किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप प्रशासन को किन्हीं रकमों का संदाय करने के लिए आदेश दिया जाता है तो ऐसी रकम ठेकेदार द्वारा प्रशासन को संदाय की जाने वाली रकम समझी जाएगी और यदि ठेकेदार पूर्वोक्तानुसार प्रशासन द्वारा संदत्त किन्हीं रकमों का मांग किए जाने के सात दिन के भीतर, प्रशासन को, प्रतिसंदाय नहीं कर पाता है तो प्रशासन ऐसी रकम किन्हीं भी उन रकमों से वसूल करने का हकदार होगा जो ठेकेदार को इस या प्रशासन के साथ किसी अन्य संविदा के अधीन शोध्य हों या हो जाएं।

10. ठेकेदार बालक नियोजन अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी कानूनी उपान्तरण या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम और विनियम के सभी उपबंधों का पालन और अनुपालन करेगा और यदि अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम के या अधिनियम के उपबंधों का अतिलंघन किया जाता है तो ठेकेदार यह स्वीकार करता है कि वह उस बाबत विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए दायी होगा।

11. ठेकेदार चिकित्सा अधीक्षक की सहमति के बिना इस संविदा या इसके किसी भाग के अधीन अपने अधिकार या दायित्वों को समनुदेशित नहीं करेगा, उप-पट्टे पर नहीं देगा और न ही उन्हें त्यागेगा और ऐसा वह केवल उन निबंधनों पर करेगा जिनका चिकित्सा अधीक्षक लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन करे और ऐसे किसी समनुदेशन, उप-पट्टे या त्याग का (यदि कोई हो) न तो किसी भी रूप में ठेकेदार के विरुद्ध प्रशासन को प्राप्त अधिकारों या उपचारों पर और न इस संविदा के अधीन ठेकेदार के दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त के उल्लंघन में संविदा का या उसके अधीन उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार, लाभ और दायित्व का किसी भी प्रकार समनुदेशन या उप-पट्टे पर दिया जाना शून्य होगा और प्रशासन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रशासन को उसके अधीन प्रदत्त अन्य अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे किए गए समनुदेशन या उप-पट्टे के कारण संविदा रद्द करने का भी अधिकार होगा।

12. इस संविदा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाईयां चिकित्सा अधीक्षक, दक्षिण-मध्य रेल, हुबली की ओर से दी या की जा सकेंगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्यरत चिकित्सा अधीक्षक, दक्षिण-मध्य रेल प्रशासन और श्री————————————————————ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर

1. साक्षी — भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

2. साक्षी — ठेकेदार के हस्ताक्षर

सार्वजनिक टेलीफोन-घर के लिए करार-प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल हो, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में,—

*(क) श्री——————————, जो——————————का पुत्र और——————————————का निवासी है,

*जो लागू न हो उसे काट दें।

*(ख) ——————————————, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थांतर्गत एक विद्यमान कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय——————————————पर है,

*(ग) श्री——————————, जो——————————————का पुत्र है और अपने नाम या——————————————के नाम और अभिनाम से——————————————नगर में——————————————पर कारबार चला रहा है,

*(घ) (1) —————— (2)—————— (3)——————

जो फर्म——————————————के नाम और अभिनाम से——————————————नगर में——————————————पर कारबार चला रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे "दूसरा पक्षकार" कहा गया है) के बीच आज तारीख——————————————को किया गया।

दूसरा पक्षकार जो, ...नामक परिसर (जिसे इसमें आगे "उक्त परिसर" कहा गया है) का अधिभोगी है, जिसके एक भाग को सार्वजनिक टेलीफोन घर स्वामियों के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लान का प्रस्ताव है या उपयोग किया गया है सरकार ने दूसरे पक्षकार द्वारा, किए गए प्रस्ताव के प्रतिफलस्वरूप, दूसरे पक्षकार से, इसमें इसके पश्चात् वर्णित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पालन और अनुपालन करने के लिए वचनबंध करने को कहा है।

अतः इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. दूसरा पक्षकार यह पुष्ट करता है कि उसने/उन्होंने भारतीय टेलीग्राफ नियम पढ़ लिए हैं और वह/वे सार्वजनिक टेलीफोन घर से संबंधित इन नियमों का पालन करेगा/करेंगे।

2. दूसरा पक्षकार सरकार से प्रसंविदा करता है/करते हैं कि वह/वे अपने खर्च पर, उक्त परिसर में सार्वजनिक टेलीफोन घर (जिसे इसमें आगे "टेलीफोन-घर" कहा गया है) बनाए रखेगा/रखेंगे।

3. दूसरा पक्षकार उक्त परिसर के बाहर किसी सहजदृश्य स्थान पर सरकार द्वारा दिया गया एक साइन बोर्ड लगाएगा और उसे उचित दशा में बनाए रखेगा/प्रदर्शित करेगा।

4. दूसरा पक्षकार वचनबंध करता है कि वह उक्त टेलीफोन घर पर टेलीफोन-घर के धारक के कर्तव्यों का, सरकार के समाधानप्रद रूप में, या तो स्वयं पालन करेगा या अपने कर्मचारियों या सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ताओं से पालन करवाएगा और ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो उस बारे में सरकार द्वारा उसे समय-समय पर दिए जाएंगे। दूसरा पक्षकार उक्त टेलीफोन-घर साफ-सुथरा रखेगा और टेलीफोन उपकरण तथा बूथ की, यदि उसकी व्यवस्था की जाती है तो, सुरक्षित अभिरक्षा और उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा और उसके लिए जिम्मेदार होगा।

5. उक्त टेलीफोन-घर, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान खुला रखा जाएगा और ऐसे खुले रहने का समय सार्वजनिक टेलीफोन-घर साइन बोर्ड पर स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा।

6. सार्वजनिक टेलीफोन-घर से स्थानीय टेलीफोन काल करने वाले व्यक्ति को (जिसे इसमें आगे "टेलीफोनकर्ता" कहा गया है)——————————————या ऐसी कोई राशि देनी होगी जो सरकार प्रति प्रभावी टेलीफोन काल के लिए समय-समय पर नियत करे।

7. स्थानीय टेलीफोन काल के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई दर पर प्रभारित राशि, टेलीफोन-घर के लिए उपबंधित रीति में, टेलीफोनकर्ता से वसूल करने की एक-मात्र जिम्मेदारी दूसरे पक्षकार की होगी। दूसरे पक्षकार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि सा० टे० घ० का दुरुपयोग न हो और जनता से, विहित से अधिक प्रभार वसूल न किया जाए।

8. दूसरा पक्षकार इसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों की तथा भारतीय टेलीग्राफ नियमों की अपने द्वारा सम्यक् पूर्ति और पालन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में कम से कम——————————रुपए (केवल——————————रुपए) की राशि जमा करेगा। अपेक्षा होने पर सरकार, अपने विवेकानुसार, उक्त प्रतिभूति की रकम बढ़ा सकेगी। यदि दूसरा पक्षकार, इसमें उल्लिखित किसी निबंधन या शर्त का अथवा भारतीय तार नियम के किसी नियम का जिसका उसके द्वारा पालन और अनुपालन किया जाना है, उल्लंघन करता है तो सरकार, अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त प्रतिभूति या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी और संविदा प्रसामान्यतः समाप्त हो जाएगी।

उसका वह भाग, जिसका सरकार ने यथापूर्वोक्त विनियोजन नहीं किया है। करार के निबंधनों के अधीन सरकार को देय सभी रकमें काटकर, ब्याज रहित रूप में दूसरे पक्षकार को वापस कर देगी। इसका समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार अधिनियम, 1885 के उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. दूसरा पक्षकार यह गारंटी करता है कि स्थानीय टेलीफोन कालों से प्राप्त होने वाला राजस्व, प्राइवेट नकदी संग्रह बूथ सार्वजनिक टेलीफोन-घर की दशा————————रुपए प्रति मास और साधारण एच० एम० टी० उपकरण वाले सार्वजनिक टेलीफोन-घर की दशा में-——————रुपए प्रति मास से कम नहीं होगा। यदि टेलीफोन केन्द्र में लगाए गए मीटर में यथादर्शित, टेलीफोन कालों की संख्या के आधार पर गारंटी किया गया न्यूनतम राजस्व टेलीफोन-घर से प्राप्त नहीं होता है तो दूसरा पक्षकार ऐसी कमी की पूर्ति करेगा।

10. दूसरा पक्षकार सरकार को, मीटर में यथादर्शित टेलीफोन कालों की संख्या के आधार पर, टेलीफोन काल प्रभार, स्थानीय काल दर (जो इस समय ——————है) पर या समय-समय पर यथासंशोधित काल दर पर देगा।

11. टेलीफोन-घर के लिए दूसरे पक्षकार को कोई किराया और प्रतिष्ठापन प्रभार नहीं देने होंगे। कोई निःशुल्क काल अनुज्ञेय नहीं होगी। सार्वजनिक टेलीफोन घर में एस० टी० डी० और ट्रंक-काल उपलब्ध नहीं होगी।

12. साधारण एच० एम० टी० उपकरण वाले सार्वजनिक टेलीफोन-घर के मामले में विभाग, सरकार के विवेकानुसार, बूथ में एक विस्तार उपकरण, जिसमें डायल नहीं होगा, आवश्यकतानुसार तथा साध्य होने पर, फिट कर सकेगा।

13. दूसरा पक्षकार सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी न तो प्रकट करेगा और न देगा जो उसे सरकार या टेलीफोनकर्ता के कारबार के संबंध में उस समय मिले जब टेलीफोनकर्ता ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन-घर का उपयोग करता है।

14. दोनों में से कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को एक मास की लिखित सूचना देकर यह करार समाप्त कर सकता है; परन्तु भारतीय तार नियम के किसी नियम के अथवा इस करार के किसी निबंधन या शर्त के भंग किए जाने की दशा में, जिस बाबत सरकार एक मात्र निर्णायक होगी, सरकार दूसरे पक्षकार को एक सप्ताह की सूचना देकर, कोई कारण बताए बिना ही, किसी भी समय ऐसे टेलीफोन-घर की सुविधा समाप्त कर सकेगी।

15. कोई सूचना, जो इस करार के अधीन सरकार द्वारा दी जाती है, सम्यक्तः दी गई समझी जाएगी यदि वह उक्त परिसर में छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से दूसरे पक्षकार को उसके सामान्यतः या अंतिम ज्ञात पते पर भेज दी जाती है।

16. यदि इस करार के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम और दूसरे पक्षकार पर आबद्धकर होगा।

17. नकदी संग्रह बूथ/सार्वजनिक टेलीफोन-घर के मामले में, नकदी संग्रह बूथ उपकरण की चाबी सरकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सौंप दी जाएगी जिससे कि दूसरा पक्षकार उपकरण को खोलकर इच्छानुसार सिक्के एकत्र कर सके।

18. यदि टेलीफोन-घर में साधारण एच० एम० टी० उपकरण लगा है तो बिल पाक्षिक रूप में दूसरे पक्षकार को जारी किए जाएंगे और प्रभार वसूल किए जाएंगे।

19. दूसरा पक्षकार गलत कालों या अभिकथित मीटरित अधिक कालों पर किसी रिबेट का हकदार नहीं होगा।

20. साधारण एच० एम० टी० उपकरण के मामले में, दूसरे पक्षकार (या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता) को जनता के लिए स्वयं डायल करना होगा।

21. टेलीफोन घर से एस० टी० डी० और ट्रंक काल वर्जित हैं।

22. दूसरा पक्षकार सार्वजनिक टेलीफोन-घर से टेलीफोन करने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत/सुझाव दर्ज किए जाने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर पर, अपने ही खर्च पर, एक शिकायत/सुझाव रजिस्टर रखेगा। मांग की जाने पर दूसरा पक्षकार टेलीफोन करने वाले को यह रजिस्टर देगा। निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पर दूसरा पक्षकार यह रजिस्टर, सार्वजनिक टेलीफोन-घर का निरीक्षण करने वाले डाक और तार कर्मचारी को देगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति की ओर से**——————और दूसरे पक्षकार—————— ने इस पर, ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को, अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से——————————ने,

1. ——————————— साक्षियों के नाम, पते और हस्ताक्षर

2. ———————————

की उपस्थिति में यह करार निष्पादित किया।

———————————
(हस्ताक्षर)

पदनाम——————

दूसरे पक्षकार की ओर से——————————ने,

1. ——————————— साक्षियों के नाम, पते और हस्ताक्षर

2. ———————————

की उपस्थिति में इस करार का निष्पादन किया।

———————————
(हस्ताक्षर)

पुत्र श्री ——————

*टिप्पण :—दूसरे पक्षकार के रूप में यह करार निष्पादित करने वाले व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने इस पर वैयक्तिक रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं जब तक कि करार में स्पष्टतः अभिव्यक्त नहीं किया जाता कि वह कोई फर्म/लिमिटेड कंपनी है। उस दशा में करार का निष्पादन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(क) यदि दूसरा पक्षकार कोई फर्म है तो करार निम्नलिखित रूप में निष्पादित किया जाएगा :—

"क.ख. (फर्म का नाम) की ओर से

(सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित)

———————————
——————————— भागीदारों के हस्ताक्षर आदि
———————————

(ख) यदि दूसरा पक्षकार कोई लिमिटेड कंपनी है तो करार ऐसी कंपनी/सोसायटी के संगम-अनुच्छेद/उपविधियों के उपबंधों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(ग) यदि यह करार किसी नियत अटर्नी द्वारा निष्पादित किया जाता है तो करार पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाला मुख्तारनामा पेश किया जाए। इस दशा में करार निम्नलिखित रूप में निष्पादित किया जाए :—

"क.ख. आदि की ओर से

नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित :—

———————
(हस्ताक्षर)

**यहां राष्ट्रपति की ओर यह करार निष्पादित करने के लिए——————के सुसंगत उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम लिखें।

"केवल भार प्रणाली के अनुसार कोयला/खनिज तेल/लौह अयस्क/चूना-पत्थर आदि की लदाई का विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, दक्षिण मध्य रेल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "रेल" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में—————— (जिसे इसमें आगे आवेदक कहा गया है) के बीच आज तारीख——————को किया गया।

रेल, तारीख————————से प्रारंभ होकर तारीख————————को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान आवेदक को आगे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर "केवल भार" प्रणाली के अनुसार कोयला/खनिज तेल/लौह अयस्क/चूना पत्थर/डोलोमाइट/मैंगनीज अयस्क/जिप्सम/बांस/सीमेंट की बुकिंग करने का विशेषाधिकार देने के लिए सहमत है।

अत: यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है और इसके पक्षकार परस्पर निम्नलिखित करार करते हैं :—

2. रेल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल मास से फरवरी मास तक के बीच किए गए संव्यवहारों के लिए आवधिक बिल (अवधि 5/10 दिन की होगी) जारी करेगी। मार्च मास में किए गए संव्यवहारों के संबंध में अन्तिम बिल, पिछले तीन मास के औसत के आधार पर रेल द्वारा मार्च के दूसरे सप्ताह तक जारी कर देगी किंतु इन अन्तिम बिलों की रकम का, वास्तविक आंकड़ों के निकाल लिए जाने के पश्चात्, आधिक्य पाए गए/कमी के अनुसार समायोजन किया जा सकेगा। ऐसा समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल मास के बिल में से, यथास्थिति, अधिक पाई गई रकम की कटौती करके या कम पाई गई रकम को जोड़कर किया जाएगा। ये बिल, चाहे अन्तिम हो या अनंतिम, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी, दक्षिण-मध्य रेल, द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक द्वारा पूर्णत: संदेय होंगे, चाहे आवेदक ने या उसके प्रत्यायित प्रतिनिधि ने वैगनों की अंतर्वस्तु का परिदान लिया हो या नहीं और चाहे प्रभारों में कोई भूल हो गई हो जिसका पता चलने पर या जानकारी में लाए जाने पर, सम्यक् अनुक्रम में समायोजन किया जा सकेगा।

3. यदि इसमें ऊपर उल्लिखित बिलों के प्रस्तुत किए जाने पर उनका संदाय नहीं किया जाता है तो रेल, निक्षेप के होते हुए भी, वैगनों का प्रदाय निलम्बित रखने और कोई पूर्व निर्देश किए बिना "केवल भार" प्रणाली संबंधी विशेषाधिकार को, अपने एकमात्र विवेकानुसार वापस लेने की हकदार होगी।

4. संदाय, वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, दक्षिण-मध्य रेल, सिकंदराबाद के पक्ष में, सिकन्दराबाद/हैदराबाद में स्थित ऐसे बैंक पर, जो रेल द्वारा अनुमोदित हो, लिखे गए क्रास चैक द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसी क्रास चैक किसी कारणवश अस्वीकार कर दी जाती है तो ऊपर खंड 3 में बताए गए रूप में संदाय न किया गया माना जाएगा।

5. आवेदक समय-समय पर विहित किसी भी रूप में रेल के पास नियमों के अधीन यथा अपेक्षित————————रु० प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा कराएगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि इस नकद निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगी। यदि इस प्रणाली के अनुसार 20 दिन की अवधि में आवेदक का भाड़ा-संव्यवहार————————रु० से अधिक हो जाता है तो आवेदक को अपने संव्यवहारों के अनुपात में अतिरिक्त प्रतिभूति देनी होगी। यह रकम रेल विनिश्चित करेगी। यदि ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप या अतिरिक्त प्रतिभूति, रेल द्वारा नियत समय के भीतर, जमा नहीं की जाती है तो रेल बिना किसी सूचना के उक्त विशेषाधिकार वापस लेने की हकदार होगी।

6. इसमें उपबंधित निबंधनों और शर्तों का अल्पीकरण या किसी भी रूप में उन्हें परिसीमित किए बिना, रेल "केवल भार" प्रणाली के अनुसार यह विशेषाधिकार, कोई कारण विनिर्दिष्ट किए या बताए बिना, आवेदक को एक मास की सूचना देकर, प्रत्याहृत कर सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

7. इसमें अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के अधीन रहते हुए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली कोई कार्रवाई या दी जाने वाली कोई सूचना वाणिज्यिक, अधीक्षक दक्षिण, मध्य रेल, द्वारा की या दी जा सकेगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके आवेदकों ने ऊपर वर्णित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

साक्षी :

1. ———————————— } साक्षी के हस्ताक्षर,
2. ———————————— } नाम, पता और व्यवसाय

1. ———————————— } साक्षी के हस्ताक्षर,
2. ———————————— } नाम, पता और व्यवसाय

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से

————————————

(हस्ताक्षर)

पदनाम ————————

"केवल भार" प्रणाली के अनुसार बुकिंग के निबंधन और शर्तें

1. केवल कोयला, खनिज तेल, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, जिप्सम, बांस और सीमेंट की "केवल भार" प्रणाली के अनुसार बुकिंग की सुविधा रेल प्रशासन स्वविवेकानुसार प्रत्यय-पात्रता पक्षकारों को देता है, चाहे वे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों।

इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक पक्षकार मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक दक्षिण-मध्य रेल को निम्नलिखित दस्तावेजें और जानकारी प्रस्तुत करें :—

(I) सुविधा प्रदान की जाने के लिए आवेदन, जिसमें पक्षकार का नाम व पता दिया गया हो।

(II) फर्म/पक्षकार के पिछले तीन वर्षों के संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा।

(III) पक्षकार की प्रत्यय-पात्रता के संबंध में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से एक प्रमाणपत्र।

(IV) जहां स्टेशन/साइडिंग विद्यमान है, उस प्रभाग के ज्येष्ठ प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक/प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि, —

(क) पक्षकार/साइडिंग-स्वामी ने रेल को शोध्य रकमों का संदाय करने में व्यतिक्रम नहीं किया है,

(ख) आवेदन करते समय उस पर कोई भाड़ा तथा साइडिंग प्रभार बकाया नहीं है।

(V) प्रत्येक लदान-स्थल से भेजे जाने वाले यातायात की मात्रा, जिसके लिए सुविधा अपेक्षित है, दर्शाई जाए। पिछले 12 मास के दौरान लादे गए टन भार के अनुसार यातायात के आंकड़े तथा अपेक्षित भाड़े की रकम दर्शाई जाए। यह संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

2. पैरा 1 में वर्णित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर, रेल प्रशासन आवेदन पर विचार करेगा और यदि प्रस्ताव स्वीकार्य हुआ तो पक्षकार से 20 दिन के औसत संव्यवहार के बराबर प्रतिभूति निक्षेप नकद, जमा करने के लिए कहा जाएगा। प्रतिभूति निक्षेप निम्नलिखित किसी अनुमोदित रूप में भी जमा किया जा सकता है। तथापि निम्नलिखित रूप में प्रतिभूति निक्षेप की रकम, 30 दिन के औसत संव्यवहार तक ही होगी।

(I) बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम मूल्य पर सरकारी प्रतिभूतियां।

(II) (क) भारतीय स्टेट बैंक की निक्षेप रसीदें।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निष्पादित प्रत्याभूति बंधपत्र।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक।राष्ट्रीयकृत बैंक का मांगदेय ड्राफ्ट।

(III) डाकघर बचत बैंक में निक्षेप।

(IV) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में निक्षेप।

3. यदि पक्षकार नकद निक्षेप कराना चाहता है तो उसे 20 दिन के औसत संव्यवहार के बराबर रकम, वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेल, के लेखे सिकंदराबाद स्थित भारतीय स्टेट बैंक में जमा करानी होगी। रेल द्वारा उक्त प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. तथापि यदि ऊपर यथावर्णित 20 दिन के औसत संव्यवहार के बराबर रकम नकद जमा कर दी जाती है तो केवल 5 प्रतिशत अधिभार के उद्ग्रहण से छूट के प्रयोजन के लिए "केवल भार" प्रणाली यातायात को संदत्त "भाड़ा" यातायात माना जाएगा। यह लोक और प्राईवेट दोनों पक्षकारों को लागू होता है। यदि देय माल-भाड़े और अन्य प्रभारों का संदाय, बिल प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के भीतर (उसके प्रस्तुत किए जाने के दिन को छोड़कर नहीं किया जाता है) तो पक्षकारों को भाड़ा संदत्त यातायात पर 5 प्रतिशत अधिभार देना होगा क्योंकि उसके बाद यह भाड़ा देय यातायात माना जाएगा।

5. यदि इस सुविधा का लाभ उठाने वाले पक्षकार नकद से भिन्न किसी रूप में प्रतिभूति निक्षेप जमा करते हैं तो उनके द्वारा भेजा जाने वाला यातायात "भाड़ा देय" माना जाएगा और उन्हें 5 प्रतिशत अधिभार का संदाय करना होगा जो "भाड़ा देय" यातायात पर उद्ग्रहणीय है।

6. यदि 20/30 दिन के दौरान प्राक्कलित भाड़ा-संव्यवहार प्रतिभूति निक्षेप से अधिक हो जाता है तो पक्षकार को अपने संव्यवहार के अनुपात में अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करनी होगी।

7. "केवल भार" बिल वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/दक्षिण-मध्य रेल के कार्यालय द्वारा नियमित अवधियों में पक्षकार के प्रधान-कार्यालय/शाखा कार्यालय को भेजे जाएंगे। पक्षकार से यह आशा की जाती है कि वह चालू

अवधि के बिल प्राप्त करते समय पिछली अवधि के बिलों के लिए भुगतान कर दे/चैक जारी कर दे। चैक सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक पर वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, दक्षिण मध्य रेल के पक्ष में जारी की जाएगी। यदि रेल द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो रेल को शोध्य रकम प्रतिभूति निक्षेप से समायोजित कर ली जाएगी और रेल "केवल भार" प्रणाली की सुविधा, बिना किसी पूर्व सूचना के, प्रत्याहृत कर सकेगी।

8. यातायात की बुकिंग के लिए एक विशेष किस्म का प्रेषण टिप्पण जारी किया जाता है जिस पर "केवल भार" प्रणाली लिखा होगा। स्टेशनों/बुकिंग स्थलों पर प्राप्त पूर्वोक्त प्रेषण टिप्पण के आधार पर रेल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल मास से फरवरी मास तक के आवधिक बिल (अवधि 5/10 दिन होगी) जारी किए जाएंगे। मार्च मास के अनन्तिम बिल पिछले तीन मास के संव्यवहारों के आधार पर जारी किए जाएंगे किन्तु, यदि वास्तविक आंकड़ों के निकाले जाने पर किसी कमी या आधिक्य का पता चलता है तो उसका समायोजन, कर दिया जाएगा। "केवल भार" प्रणाली से संबंधित बिल, चाहे अंतिम हो या अनंतिम, वित्तीय सलाहकार और मुख्य सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी दक्षिण-मध्य रेल द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर पाने वाले के खाता देय चैक द्वारा इस बात के होते हुए भी सर्वथा पूर्णतः देय होंगे कि वैगनों की अंतर्वस्तु का परिदान लिया गया है या नहीं।

9. दोनों पक्षकारों द्वारा "केवल भार" प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए सहमत हो जाने पर, पक्षकार और भारत के राष्ट्रपति जिसका प्रतिनिधित्व दक्षिण-मध्य रेल द्वारा किया जाएगा, के बीच एक करार न्यायिकेत्तर स्टांप पत्र पर निष्पादित किया जाएगा।

10. रेल, पक्षकार को सम्यक् सूचना देकर, उपरोक्त निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन कर सकती है और समय-समय पर किए गए ऐसे परिवर्तनों से पक्षकार आबद्ध होगा।

वैयक्तिक बंधपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि मैं, ... जो श्री .... का पुत्र हूं (जिसे इसमें आगे "आबद्ध" कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जो भारत सरकार की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) .... रुपए की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा आबद्ध करता हूं।

आज तारीख————————को हस्ताक्षर किए गए।

आबद्ध ने————————नाम से ज्ञात और————————में अवस्थित भवन/सोसाइटी में व्यवसायिक फ्लैट के, जिसका विस्तृत वर्णन इसमें दी गई अनुसूची में दिया गया है और जिस भवन का शीघ्र ही————————सोसाइटी लिमिटेड को, जो एक सहकारी सोसाइटी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय————————में है (जिसे इसमें आगे "सोसाइटी" कहा गया है), अंतरण किया जाना है, क्रय/निर्माण के प्रयोजन के लिए————————रुपए के उधार (जिसे इसमें आगे "उक्त उधार" कहा गया है) के लिए सरकार से आवेदन किया है, और जो सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस निबंधन और शर्त पर सम्यक् रूप से मंजूर कर लिया गया है कि आबद्ध इसमें आगे बताई गई रीति में एक बंधपत्र, सरकार के पक्ष में, निष्पादित करेगा।

बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि आबद्धः—

(क) सरकार की सम्यक् रूप से————————रुपए की उक्त राशि का संदाय, तारीख————————से————————वर्ष की अवधि के भीतर————————रुपए की————————समान मासिक किस्तों में, जो प्रत्येक कलैंडर मास के प्रथम सप्ताह में संदेय हैं और जिनमें से पहली किस्त का संदाय————————19————————के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा और तत्पश्चात् पश्चात्वर्ती किस्तों का संदाय प्रत्येक उत्तरवर्ती कलैंडर मास के प्रथम सप्ताह में करेगा, तथा आबद्ध द्वारा उक्त उधार की मूल रकम का ऊपर उपबंधित रूप में नियमित किस्तों में संदाय कर दिए जाने के पश्चात् आबद्ध————————वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर उक्त उधार के, उक्त किस्तों के संदाय के कारण घटते जाने वाले अतिशेष पर संदाय पूरा होने तक————————प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की रकम का सम्यक् रूप से संदाय————————रुपए की————————समान मासिक किस्तों में इस प्रकार करेगा कि संपूर्ण उधार और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय तारीख————————से————————वर्ष के भीतर हो जाए: परन्तु यदि आबद्ध मूलधन और/या उस पर ब्याज की किसी किस्त का, देय तारीख को, संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रत्येक मामले में————————प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऐसी उच्चतर दर पर ब्याज और ब्याज की प्रत्येक उक्त किस्त की राशि आनुपातिक रूप से, बढ़ा दी जाएगी, परन्तु यह और कि इसमें उल्लिखित किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मूलधन और ब्याज की उक्त किस्तों का, संबंधित देय तारीखों को, सम्यक् और नियमित रूप से संदाय करने की आबद्ध की बाध्यता को शिथिल करता है अथवा सरकार के किसी अधिकार या उपचार पर भी अन्यथा कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(ख) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर————————में स्थित———— भवन में, जिसका विशिष्ट वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में किया गया है, भावासिक फ्लैट के क्रय निर्माण के लिए उक्त उधार की प्रत्येक किस्त की राशि का उपयोग करेगा।

(ग) मकान या प्लाट का आबद्ध के पक्ष में अंतरण हो जाने पर, वह भारत सरकार से अभिप्राप्त उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में उसे भारत सरकार के पास बंधक रखेगा।

(घ) सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना उक्त फ्लैट या उसमें से किसी हित का अंतरण, समनुदेशन या उप पट्टा नहीं करेगा या उसके कब्जे से भवन (या उक्त शेयरों/डिबेन्चरों का अंतरण या अन्यथा अन्य संक्रामण) नहीं होगा।

(ङ) जब तक उक्त उधार या ब्याज या उसका कोई भाग परादेय रहता है, सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर, उक्त उधार के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में सोसाइटी के शेयर/डिबेन्चर और संपत्ति अंतरण संबंधी निरंक हस्ताक्षरित प्ररूप सरकार को सौंप देगा।

आबद्ध द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :—

(1) आबद्ध द्वारा सरकार को तत्समय शोध्य उक्त उधार या उसका कोई प्रतिशेष और इस विलेख के अधीन शोध्य अन्य सभी धन निम्नलिखित प्रत्येक दशा में तत्काल संदेय हो जाएगा :—

(क) यदि आबद्ध मूलधन की किसी किस्त या प्रतिसंदाय के शोध्य और संदेय हो जाने पर उसका नियत तारीख को संदाय या प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है।

(ख) यदि आबद्ध इसमें ऊपर उपबंधित रूप में ब्याज की किसी किस्त का उसके लिए नियत तारीख को संदाय करने में चूक करता है।

(ग) यदि आबद्ध की किसी संपत्ति के विरुद्ध कोई करस्थम् या निष्पादन उद्गृहीत किया जाता है या उसके लिए कोई रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

(घ) यदि आबद्ध उक्त प्रसंविदाओं या उपबंधों का, जिनका पालन या अनुपालन उसकी ओर से किया जाना है भंग करता है।

(ङ) यदि आबद्ध की मृत्यु हो जाती है या वह सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाता है या उसमें नहीं रह जाता है।

(च) यदि आबद्ध दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए अर्जी पेश करता है या दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है।

(2) सरकार को प्रत्येक मास आबद्ध के वेतन से मासिक किस्त की राशि की कटौती करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता होगी तथा वह मूलधन या ब्याज के प्रतिसंदाय के लिए उक्त मासिक किस्तें विनियोजित कर सकेगी। उपरोक्त प्रयोजन के लिए आबद्ध सरकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसी कटौतियां करने के लिए प्राधिकृत करता है और आबद्ध से इस बाबत अन्य कोई सम्मति या सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(3) यदि आबद्ध सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार, ऐसी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय उक्त उधार का संपूर्ण असंदत्त प्रतिशेष और उस पर असंदत्त समस्त ब्याज आबद्ध को लागू सेवा नियमों के अधीन मंजूर किए जाने वाले उपदान से, यदि कोई हो, वसूल करने की हकदार होगी।

(4) यदि इस विलेख के अधीन आबद्ध से मूलधन या ब्याज की या किसी अन्य संदेय राशि/शोध्य धन की, कोई किस्त बकाया रहती है तो सरकार उसकी वसूली भू-राजस्व की बकाया के रूप में करने की हकदार होगी, परन्तु यह सदैव कि यह खंड सरकार के किसी अन्य अधिकारों, शक्ति और उपचारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप उपरोक्त आबद्ध ने इसमें इसके पूर्व सर्वप्रथम ऊपर लिखित तारीख को इस पर हस्ताक्षर किए।

अनुसूची, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है

उक्त आबद्ध श्री————————ने

1.———————— } साक्षियों के नाम, टेलीफोन नं॰ और पदनाम

2.————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्रतिभू-बंधपत्र

हम (1)————————————————————————

————————————————————————

(2)————————————————————————

————————————————————टेली० नं०————————

जो————————————————विभाग के हैं, श्री/श्रीमती ————————
(जिसे इसमें आगे "आबद्ध" कहा गया है) के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हुए यह प्रत्याभूति देते हैं कि आबद्ध वह सब कार्य करेगा जिसे करने का वचनबंध उसने भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित तारीख————————के बंधपत्र में दिया है और हम भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है)————————रु० (————————————रुपए) की राशि का संदाय करने के लिए स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों, और प्रशासकों को आबद्ध करते हैं। यह राशि, उक्त बंधपत्र के अधीन आबद्ध से शोध्य और उसके द्वारा संदेय रकम है या वह राशि है जो सरकार, आबद्ध के व्यतिक्रम के कारण हुई किसी हानि या नुकसान की पूर्ति के लिए, पर्याप्त समझे। हम यह करार भी करते हैं कि सरकार, किन्हीं अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त राशि को हमसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी। इसके अतिरिक्त हम यह भी करार करते हैं कि उक्त बंधपत्र के प्रवर्तन में कोई प्रवृति, अथवा आबद्ध पर किया गया कोई अन्य अनुग्रह या उक्त बंधपत्र के निबंधनों में कोई परिवर्तन या आबद्ध को दिया गया कोई समय अथवा ऐसी अन्य शर्तें या परिस्थितियां, जिनके अधीन विधि की दृष्टि में प्रतिभू उन्मोदित हो जाएगा, उक्त राशि का संदाय करने के हमारे दायित्व से हमें उन्मोचित नहीं करेगी तथा इस बंधपत्र के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए इस बंधपत्र के अधीन हमारा दायित्व मूल ऋणियों के रूप में तथा आबद्ध के दायित्व के साथ-साथ संयुक्त और पृथक् रूप मे होगा।

तारीख————————19————————

उक्त प्रतिभूओं, अर्थात्:—

श्री————————————

और

श्री————————————ने,

श्री————————————
श्री———————————— (साक्षी का पदनाम, पता और टेली० नं० और हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

————————————
(ऊपर नामित प्रतिभू के हस्ताक्षर)

1. हस्ताक्षर————————————
2. नाम ————————————
   पदनाम————————————
   वेतन दर————————————
   नियोजन की तारीख————————
   जन्म की तारीख————————
   सेवानिवृत्ति की तारीख————————
   टेली० नं०————————————
   घर का पता————————————

दुकान ————————

(2) हस्ताक्षर ————————————
नाम ————————————
पदनाम————————————
वेतन दर————————————
नियोजन की तारीख————————
जन्म की तारीख ————————
सेवानिवृत्ति की तारीख————————
टेली० नं० ————————————
घर का पता————————————

दुकान ————————

क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र

(न्यूनतम 15 रु० (पन्द्रह रुपए) के या क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र के निष्पादन के राज्य में स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित रकम के गैरन्यायिक स्टाम्प पत्र पर आयातकर्ता और प्रतिभू बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए)।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,
मार्फत मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक/संयुक्त मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक
————————————(पूरा पता)

नई दिल्ली–110011 (पिन कोड)

यह विलेख निम्नलिखित पक्षकारों ने तारीख————19————को निष्पादित किया :—

(1) (नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम, निवास का पता या फर्म का पता या कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता)

जिसे इसमें "आयातकर्ता" कहा गया है जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, शासकीय समापक और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे (पहला पक्षकार), और

(2) (प्रतिभू बैंक का पूरा नाम, उस कार्यालय या शाखा का पूरा पता जो क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करे)

जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती प्रशासक और शासकीय समापक भी समझे जाएंगे (दूसरा पक्षकार)।

ऊपर नामित पक्षकार आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय, जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक या ऐसा कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी है, जिसे आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के कर्तव्यों के पालन के लिए आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा तत्समय प्राधिकृत किया गया है, की मार्फत कार्यरत भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, संयुक्त और पृथक्तः वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना सं० 71/87–सीमाशुल्क, तारीख 1-3-1987 निकाली थी जिसमें सीमाशुल्क के उतने भाग के संदाय से, जो मूल्यानुसार सीमा-शुल्क के 25% से अधिक है, और उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट का विनिर्देश किया गया है, अर्थात् :—

(i) यह कि उक्त छूट, आयातकर्ता द्वारा आयात की गई केवल नई मशीनों को लागू होगी,

(ii) यह कि आयातकर्ता, उक्त मशीनों के आयात के समय, सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समक्ष, आयात व्यापार नियंत्रण संगठन, वाणिज्य मंत्रालय के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, जारी किया गया इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि आयातकर्ता की निम्नलिखित बाध्यताओं का पालन करता है और वह उनका पालन कर रहा है, अर्थात् :—

I. यह कि आयातकर्ता ने, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा विहित प्ररूप में या तो इस आशय का एक क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित कर दिया है कि—

(क) आयातित एयरजेट करघों, वाटरजेट करघों या अन्य शटलरहित करघों की दशा में, जो भारत सरकार की ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसे करघों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा; और

(ख) यह कि भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आयातित रोटर कातने वाली मशीनों की दशा में, आयातकर्ता ऐसी मशीनों द्वारा उत्पादित माल का 75 प्रतिशत भारत के बाहर निर्यात कर देगा या यह कि इस प्रकार उत्पादित माल का उपयोग भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त के पूर्व समाधानप्रद रूप में जो अंतिम होगा, उस फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जाएगा, जो भारत के बाहर निर्यात किया जाता है; और

(ग) यह कि उक्त उप पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित बाध्यताओं का, यथास्थिति, उक्त करघों पर या रोटर कातने वाली मशीनों पर उत्पादन के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए पालन किया जाएगा ।

या इस आशय का—

(क) कि भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आयातित करघों की दशा में, ऐसे करघों द्वारा उत्पादित माल, जिसका मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन यथा अवधारित मशीनों के मूल्य के पांच गुने से कम नहीं होगा, उक्त मशीनों के आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर भारत के बाहर निर्यात किया जाएगा ।

(ख) कि भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट आयातित रोटर कातने वाली मशीनों की दशा में, ऐसी मशीनों द्वारा उत्पादित माल, जिसका मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन यथा अवधारित मशीनों के मूल्य के पांच गुने से कम नहीं होगा, या तो आयातकर्ता द्वारा भारत के बाहर निर्यात किया जाएगा या ऐसे उत्पादित माल का उपयोग उस फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जाएगा जिसका भारत के बाहर निर्यात, ऐसी मशीनों के आयात की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है; और

(ग) उक्त उपपैरा (क) और (ख) में उल्लिखित निर्यात बाध्यताएं, पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान किए गए औसत निर्यात से अधिक होगी ।

II. यह कि आयातकर्ता ने ऐसे अनुदेशों का, जो आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक ने उक्त निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए जारी किए हों, पालन करने का वचनबंध किया है ।

III. यह कि आयातकर्ता ने, आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना सं०—————— तारीख——————में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों और निबंधनों के तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई आयात अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अन्य निबंधनों और शर्तों के अनुपालन का वचनबंध किया है ।

ऊपर नामित आयातकर्ता ने आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना के साथ पठित भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के अधीन करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है;

सरकार ने उक्त आयातकर्ता को करघे/रोटर कातने की मशीनें आयात करने की अनुज्ञा दे दी है और वह आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना के साथ पठित भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के अधीन करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सहमत हैं और करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए ——————रुपए (—————————— रुपए) के मूल्य के लिए तारीख——————की अनुज्ञप्ति सं०——————भी, भारत सरकार द्वारा जारी की गई उक्त अधिसूचना और आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई उक्त लोक सूचना में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के साथ पठित ऐसी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर, मंजूर कर दी है;

पूर्वोक्त आयातकर्ता, उक्त——————करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए सरकार द्वारा आयात अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा दी जाने के प्रतिफल स्वरूप एक क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया है और ऊपर नामित प्रतिभू, उक्त अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा दी जाने के लिए सरकार के सहमत हो जाने के प्रतिफलस्वरूप, प्रत्याभूत रकम के संदाय के लिए प्रत्याभूति देने और इसके लिए वचनबंध करने के लिए सहमत हो गया है ।

और ऊपर नामित आयातकर्ता अभिव्यक्ततः और अप्रतिसंहरणीय रूप में करार और वचनबंध करता है कि वह, भारत सरकार की पूर्वोक्त सूचना में और आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यताओं का और——————करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा म विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का, जिनके अन्तर्गत ऊपर विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता संबंधी शर्तें भी हैं, अनुपालन करेगा ।

अतः उक्त बंधपत्र की शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) यह कि ऊपर नामित आयातकर्ता, भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के अधीन सभी बाध्यताओं का; आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना में विहित अनुबंधों और शर्तों का और—————— करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का, जिनके अन्तर्गत ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तें भी हैं, निष्ठापूर्वक अनुपालन करेगा ।

---

(2) यह कि आयातकर्ता यह भी करार और वचनबंध करता है कि यदि वह पूर्वोक्त अधिसूचना तथा आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना में उपवर्णित निर्यात बाध्यताओं को, जिनमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें भी सम्मिलित हैं, पूरा करने में असफल रहता है तो आयातकर्ता, उसके द्वारा आयातित करघों/रोटर कातने की मशीनों का अधिहरण करने के लिए सरकार द्वारा संस्थित की जाने वाली किसी कार्रवाई के लिए तथा सरकार को आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977, और उक्त करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के संबंध में सरकार द्वारा किए गए/बनाए गए अन्य उपबंधों/नियमों के अधीन उपलब्ध अन्य उपचारों के लिए भी, दायी होगा।

(3) यह कि ऊपर नामित प्रतिभू अभिव्यक्तत: और अप्रतिसंहरणीय रूप में यह वचनबंध करता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि ऊपर नामित आयातकर्ता, भारत सरकार की पूर्वोक्त अधिसूचना और आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई लोक सूचना सं०————————में कथित निबंधनों और शर्तों के तथा—करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के, जिनमें ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तें भी सम्मिलित हैं, अधीन निर्यात बाध्यताओं का पूर्णत: या भागत: पालन करने में असफल रहता है अथवा यदि ऊपर नामित आयातकर्ता, भारत सरकार द्वारा जारी की गई उक्त अधिसूचना और आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा निकाली गई उक्त लोक सूचना के अधीन या————————करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र के निबंधनों और शर्तों के अधीन या आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है अथवा ऊपर नामित आयातकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की कोई अन्य असफलता होती है, जिस बाबत सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और जिस कारण भारत सरकार की उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट————————करघों/रोटर कातने की मशीनों के मूल्य पांच गुने के बराबर रकम की मांग सरकार कर सकती है, तो सरकार द्वारा ऐसी पूर्णत: या भागत: रकम की लिखित मांग की जाने पर प्रतिभू कोई आपत्ति किए बिना या ऊपर नामित आयातकर्ता को कोई निदेश किए बिना सरकार को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, ऊपर नामित आयातकर्ता से मांगी गई किसी राशि का संदाय और क्षतिपूर्ति करेगा और अधिकतम————————रु० (————————रुपए) (बंधपत्र के मूल्य का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत) तक का उक्त प्रतिभू बैंक द्वारा संदाय अप्रतिसंहरणीय और अभिव्यक्त रूप में प्रत्याभूत कराता है।

(4) यह कि इस बात के होते हुए भी कि सरकार को ऊपर नामित आयातकर्ता के विरुद्ध सीधे कोई अधिकार प्राप्त है अथवा आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में कोई विवाद खड़ा कर दिया है सरकार द्वारा प्रतिभू से की जाने वाली लिखित मांग में यह आवश्यक ब्यौरा दिया जाएगा कि सरकार ने प्रतिभू से यह मांग, भारत सरकार द्वारा जारी की गई पूर्वोक्त अधिसूचना तथा आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा निकाली गई उक्त लोक सूचना के पूर्वोक्त निबंधनों और शर्तों के और————————करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों के अधीन, जिसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधन सम्मिलित हैं, की गई है और सरकार की ऐसी मांग अंतिम और प्रतिभू पर आबद्धकर होगी।

(5) यह कि यदि प्रतिभू की सहमति या जानकारी में या अन्यथा आयातकर्ता और सरकार के बीच कोई ठहराव या परिवर्तन होता है या सरकार आयातकर्ता के प्रति कोई उदारता बरतती है या आयातकर्ता की बाध्यताओं में कोई परिवर्तन करती है या सरकार कोई प्रवरित करती है, चाहे वह संदाय, समय या निष्पादन के बारे में हों या चाहे अन्यथा, तो भी प्रतिभू इस वचनबंध और प्रतिभू बंधपत्र से उन्मोचित या विमुक्त नहीं होगी।

(6) यह कि प्रतिभू द्वारा निष्पादित यह क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति बंधपत्र तब तक विधिमान्य और पूर्णत: प्रवृत्त रहेगा जब तक कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई उक्त अधिसूचना, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी की गई उक्त लोक सूचना,————————करघों/रोटर कातने की मशीनों के आयात की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों तथा ऊपर विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन सभी बाध्यताओं का, सरकार के पूर्ण समाधानप्रद रूप में, जो अंतिम होगा, सम्यक्त: पालन नहीं हो जाता और जब तक कि उक्त अधिसूचना आदि के अधीन आयातकर्ता द्वारा किए गए वचनबंध के निष्पादन के बारे में सरकार का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता आयातकर्ता और प्रतिभू द्वारा यह भी करार किया जाता है कि आयातकर्त्ता की बाध्यताओं का निष्पादन सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप में किया जाएगा और उक्त समाधानप्रद रूप में निष्पादन की रिपोर्ट सरकार द्वारा प्रतिभू को की जाएगी।

(7) यह कि आयातकर्ता और प्रतिभू द्वारा निष्पादित ऊपर नामित क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र, निरन्तर क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति होगा और आयातकर्ता या प्रतिभू के गठन में किसी परिवर्तन के कारण वह उन्मोचित नहीं होगा।

ऊपर नामित पक्षकार यह भी वचनबंध करता है कि इस बंधपत्र के अधीन प्रतिभू द्वारा सरकार को संदाय, सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित मांग की प्राप्ति से सात दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

(8) ऊपर नामित पक्षकारों ने यह क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र ऐसे कार्य के प्रयोजन के लिए निष्पादित किया है जिसमें जनता हितबद्ध है।

(9) यह कि प्रतिभू से इस बंधपत्र के अधीन सरकार द्वारा मांगी गई रकम के भुगतान का ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर, जिसके अन्तर्गत————————करघों/रोटर कातने की मशीनों के अधिहरण के लिए प्रारंभ की जाने वाली विधिक कार्यवाही भी है, और साथ की आगे आयात अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा देने से इंकार किए जाने पर, तथा ऐसे सभी अन्य दायित्वों और शास्तियों तथा परिणामों पर, जो आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977, के उपबंधों के अधीन उत्पन्न हों तथा सरकार आयात व्यापार नियंत्रण विनियम के अधीन विनिश्चित करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(10) यह कि सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप में आयातकर्ता या प्रतिभू की सभी बाध्यताएं ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में पूरी कर दिए जाने और ऐसा समाधान प्रतिभू को संसूचित कर दिए जाने के पश्चात्, उक्त बंधपत्र शून्य हो जाएगा।

(11) यह कि क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र और उसके अधीन आयातकर्ता और प्रतिभू की बाध्यताएं छह वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त रहेंगी और यदि उक्त अवधि के भीतर सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप में आयातकर्ता की सभी बाध्यताओं की सम्यकतःपूर्ति और उन्मोचन नहीं होता है तो प्रतिभू और आयातकर्ता यह करार और वचनबंध करते हैं कि वे इस क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र की विधिमान्यता की अवधि उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा देंगे जितनी की सरकार अपेक्षा करेगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रतिभू ने निम्नलिखित की उपस्थिति में यह विलेख, ऊपर विनिर्दिष्ट [illegible] को सम्यक्तः निष्पादित किया, उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए, तारीख डाली, मुद्रा लगाई तथा उसका परिदान ——

1. (आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन इसका अधिप्रमाणन और अभिपुष्टि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या लोक नोटरी के समक्ष होनी है)

2. (प्रतिभू बैंक का पूरा वर्णन। इसका निष्पादन किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे बैंक की ओर से किया जाना है)

क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र के निष्पादन के लिए टिप्पण

1. यह कि यदि आयातकर्ता कोई एकल स्वत्वधारी फर्म है तो क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र का निष्पादन, उक्त एकल [illegible]री फर्म के एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा किया जाएगा। बंधपत्र में स्वत्वधारी के पिता का नाम और निवास-स्थान का पूरा [illegible] दिया जाएगा।

2. यह कि यदि आयातकर्ता कोई भागीदारी फर्म है तो क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र का निष्पादन, विनिर्दिष्ट भागीदारों [illegible]दारी विलेख में यथा विनिर्दिष्ट प्रबंध भागीदार के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम में, किया जाएगा। बंधपत्र [illegible]दारों/प्रबंध भागीदार का पता और उस स्थान का पता, जहां पर भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, [illegible] जाएगा।

3. यह कि यदि आयातकर्ता कोई लिमिटेड कंपनी है तो क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र का निष्पादन, कम्पनी के प्रबंध [illegible] द्वारा किया जाएगा और बंधपत्र पर कंपनी की मुद्रा लगाई जाएगी तथा कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता भी दिया

NMENT SE

ent ——
"the Surety
nment", whic
his successo
. . . .
made I hereb
presents.
—one thousa

-a resident
——at presen

accomodatio

by the Govern
building, etc

——monthl
he house bu
Rules.

——. ANI

r/the decease
request of th
cute the abov

ssor-in-interes

sed to be paid
y instalment

remain in full
die or become

ees——
remain unpaid
the Surety i

affected by a
ower.

प्ररूप सं० 6क

केन्द्रीय सरकार के सेवकों को मकान निर्माण आदि के लिए अग्रिम की मंजूरी के विनियमन के लिए नियम

प्रतिभूति बंधपत्र

[नियम 5(ख) देखिए]

यह सबको ज्ञात हो कि मैं————————————जो————————————का पुत्र और————————————जिले में————————————का निवासी हूं और इस समय————————————में स्थायी————————————के रूप में नियोजित हूं (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) ————————————रु० (केवल————————————रु०) की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं। इसके साक्ष्यस्वरूप मैं आज————————————को इस पर अपने हस्ताक्षर करता हूं।

————————————ने, जो————————————का पुत्र और————————————जिले में————————————का निवासी है और इस समय————————————में अस्थायी/स्थायी————————————के रूप में नियोजित है। (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है), भूमि क्रय करने और/या नए मकान का निर्माण करने या विद्यमान मकान में वास स्थान का विस्तार करने/बना बनाया मकान क्रय करने के लिए————————————रु० के अग्रिम के लिए सरकार से आवेदन किया है।

सरकार ने मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए उन नियमों के (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है), अधीन ————————————रु० (केवल————————————रुपए) का संदाय मंजूर कर दिया है।

उधार लेने वाले ने उक्त रकम का————————————मासिक किस्तों में प्रतिसंदाय करने का वचनबंध किया है और उधार लेने वाले ने यह भी वचनबंध किया है कि वह उक्त रकम की सहायता से निर्मित/क्रय किए गए मकान को बंधक कर देगा और उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। उक्त उधार लेने वाले की तारीख————————————को मृत्यु हो गई है और उसके हित उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती/कुमारी————————————ने मृत उधार लेने वाले की ओर से बकाया उक्त अग्रिम की रकम का प्रतिसंदाय करने का वचनबंध किया है। मृतक के दायित्व को स्वीकार करने की बाबत हित उत्तराधिकारी का अनुरोध सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के प्रतिफलस्वरूप, प्रतिभू ने उपर्युक्त बंधपत्र नीचे लखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है।

उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त हित उत्तराधिकारी उक्त————————————या किसी अन्य मंत्रालय/कार्यालय में नियोजित रहने के दौरान, सरकार को देय पूर्वोक्त अग्रिम की रकम का सरकार को सम्यक् और नियमित रूप से किस्तों में तब तक संदाय करता रहता है या करवाता रहता है जब तक कि————————————रु० (केवल————————————रुपए) की उक्त राशि का सम्यक् रूप से भुगतान नहीं हो जाता तो यह बंधपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णत प्रवृत्त और बलशील रहेगा। किंतु यदि हित उत्तराधिकारी मर जाता है या दिवालिया हो जाता है तो————————————रु० (केवल————————————रुपए) का उक्त पूरा मूल धन या उसका उतना भाग जितना शेष रह जाता है तथा उक्त मूल धन पर देय ब्याज, जो उस समय असंदत्त रहता है, सरकार को तुरंत शोध्य और संदेय हो जाएगा और इस प्ररूप के आधार पर प्रतिभू से एक किश्त में वसूल किया जा सकेगा।

प्रतिभू ने जो बाध्यता स्वीकार की है, वह सरकार द्वारा समय बढ़ाए जाने या उक्त उधार लेने वाले के प्रति कोई अन्य उदारता बरते जाने के कारण न तो उन्मोचित होगी और न किसी प्रकार प्रभावित ही होगी।

इस विलेख की बाबत देय स्टांप शुल्क का, यदि कोई हो, संदाय सरकार करेगी।

उक्त————————————ने

आज तारीख————————————को इस पर हस्ताक्षर करके इसका परिदान किया।

————————————

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

टेलीफोन नं०

उत्तर, फ्लैग आफिसर कमांडिग-इन-चीफ
के पते पर भेजे जाएं
बी टी/1320/3 कोट करते हुए

मुख्यालय
पश्चिमी नौसेना कमान
शहीद भगत सिंह रोड,
मुम्बई-400 001
तारीख :

मैसर्स ————————————
————————————
————————————

वर्ष 1987-88 के दौरान सिविलियन कार्मिकों के पहचान पत्रों के लिए फोटोचित्र लेने के लिए संविदा।

महोदय,

1. रक्षा सेवा प्राक्कलनों से संदत्त सिविलियन कार्मिकों, रक्षा क्षेत्र के परिसर में निवास करने वाले सिविलियन कर्मचारियों के कुटुम्बों/आश्रितों और नीचे वर्णित नौसेना स्थापनों में नियोजित और प्राइवेट रूप से नियोजित सभी प्रवर्गों के सिविलियनों के तारीख 1 अप्रैल,———से तारीख 31 मार्च,————————तक की अवधि के दौरान फोटोचित्र लेने के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं :—

(क) भा० नौ० से० तुणीर

(ख) नौसेना भंडार डिपो, घाटकोपर

(ग) नौसेना भंडार डिपो, सिवड़ी

(घ) सब डिपो, मानखुर्द

(ङ) नौसेना आयुधादि डिपो, मुम्बई

(च) नौसेना आयुधादि डिपो, ट्राम्बे

(छ) नौसेना आयुधादि डिपो, करन्जा।

2. निम्नलिखित फोटो संबंधी कार्य की मदों के लिए कोटेशनें अपेक्षित हैं :—

(क) प्रत्येक फोटोचित्र (जिसका आकार और ब्यौरा नीचे दिया गया है।) की दो प्रतियां तथा उसका नेगेटिव।

(ख) आवश्यकता होने पर नेगेटिव से फोटोचित्र की प्रत्येक अतिरिक्त प्रति।

3. यदि आपकी कोटेशन स्वीकार कर ली जाती है तो निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर करार किया जाएगा :—

(क) उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित नौसेना स्थापना में नियोजित प्रत्येक सिविलियन के सामने से दो फोटोचित्र।

(ख) फोटोचित्र का आकार $2'' \times 1\frac{1}{2}''$ होगा।

(ग) आपको एक ऐसे नामपट्ट की व्यवस्था करनी होगी जिसे प्रत्येक सिविलियन कर्मचारी, फोटो खिचवाते समय, सामने धारण करेगा। इस बोर्ड पर व्यक्ति का नाम, पदनाम, स्थापन और पास की क्रम सं० दर्शित की जाएगी।

(घ) आपको उपरोक्त नौसेना स्थापनों में सिविलियन कार्मिकों के फोटोचित्र लिए जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ङ) आपको संबंधित नेगेटिव सहित फोटोचित्र, आपको आदेश देने के लिए नीचे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को, देने की व्यवस्था करनी होगी।

(च) आपको अपेक्षित फोटोचित्रों और नेगेटिवों के लिए आदेश नीचे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी देंगे :–

सिविलियन कार्मिकों के लिए

कमान आफिसर भा० नौ० सें० तुणीर सामग्री अधीक्षक, नौसेना भंडार डिपो, घाटकोपर	भा० नौ० सें० नौसेना भंडार डिपो, घाटकोपर नौसेना भंडार डिपो भिवंडी सब डिपो मानखुर्द
नौसेना आयुधादि प्रदाय आफिसर, मुंबई	नौसेना आयुध डिपो, मुंबई
नौसेना आयुधादि प्रदाय आफिसर, ट्राम्बे	नौसेना आयुध डिपो, ट्राम्बे
नौसेना आयुधादि प्रदाय आफिसर, करंजा	नौसेना आयुध डिपो, करंजा।

(छ) आप अच्छी क्वालिटी की मानक फिल्म का उपयोग करेंगे जिससे कि फोटोचित्र और नेगेटिव लम्बे समय तक बने रहें। अच्छे फोटोचित्र प्राप्त करने के लिए मानक प्रिंटिंग पेपर का उपयोग किया जाएगा।

(ज) आप उपरोक्त पैरा 3(च) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए नेगेटिव के पुनः प्रिंट तैयार करेंगे।

(झ) उपरोक्त पैरा 3(च) में वर्णित प्राधिकारियों के मूल कार्य-आदेश सहित बिल, सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। ये बिल नियंत्रक, रक्षा लेखा (नौसेना), मुम्बई को भेज दिए जाएंगे।

(ञ) साधारणतया बिलों का निपटारा, उनके प्रस्तुत किए जाने के एक मास के भीतर, कर दिया जाएगा।

4. लगभग 1,150 सिविलियन कार्मिकों के फोटो लिए जाएंगे और नेगेटिव से 2300 प्रिंट निकाले जाएंगे।

5. अनुरोध है कि आप अपनी कोटेशनें सीलबंद लिफाफे में भेजें जिस पर "सिविलियन कार्मिकों के पहचानपत्र के लिए टो चित्र लेने के लिए कोटेशन लिखा हो। यह लिफाफा मुख्य कमान आफिसर, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई-400001 के ते पर इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह मुख्यालय तारीख——————को——————बजे तक अवश्य पहुंच ाए। कोटेशनें, उपस्थित निविदाकारों की उपस्थिति में उसी दिन——————बजे खोली जाएंगी। सीलबंद विदाएं मेरे कार्यालय में दे दी जाएंगी। आप अपनी कोटेशन के साथ संविदा मूल्य के 2% के बराबर रकम अग्रिम धन के लिए रकारी खजाना रसीद, भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की निक्षेप रसीद या सरकारी वचनपत्र के रूप में, फ्लैग ाफिसर कमांडिगइनचीफ, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई के पक्ष में जमा करें। यदि आपकी कोटेशन स्वीकार कर ली जाती तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप करार पर हस्ताक्षर होने से पहले संविदा मूल्य के*——————प्रतिशत के राबर रकम प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करें। ऐसी निविदाओं पर, जिनके साथ अपेक्षित अग्रिम धन नहीं होगा विचार नही क्या जाएगा। आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप अपनी कोटेशन के साथ अद्यतन आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करें।

6. सफल निविदाकार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फ्लैग आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना के साथ ाम्प पेपर पर एक करार करें। इस करार का खर्च निविदाकार वहन करेगा।

भवदीय
कमांडर,
स्टाफ सप्लाई आफिसर
कृते कमांडिग-इन-चीफ फ्लैग आफिसर

*टिप्पण : यहां वर्ष के दौरान काम के प्राक्कलित मूल्य का "दस", "सात" या "पांच" प्रतिशत भरें।

परिवहन कार्य के लिये संविदा

(श्रमिकों का प्रदाय)

भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, औद्योगिक क्षेत्र,..............

यह करार, एक पक्षकार के रूप में श्री———————————जो मैसर्स——————— के नाम और अभिनाम से——————————नगर में उसके एकमात्र स्वत्वधारी के रूप में, कारबार कर रहा है (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है और जिसके अन्तर्गत जहां संदर्भ में अपेक्षित है या उसके अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी समझे जाएंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार") कहा गया है और जिसके अन्तर्गत जहां संदर्भ में अपेक्षित या उसके अनुकूल है, उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे), के बीच आज भारत तारीख———————————को किया गया।

ठेकेदार ने परिवहन कार्य (श्रमिक प्रदाय) के लिए प्रबंधक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, औद्योगिक क्षेत्र, ——————————(जिसे इसमें आगे "प्रबंधक" कहा गया है) को एक निविदा प्रस्तुत की है और उक्त निविदा सरकार ने, इसमें आगे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, स्वीकार कर ली है।

अतः यह विलेख इस बात का साक्षी है कि इसके दोनों पक्षकारों के बीच और उनके द्वारा निम्नलिखित करार किया गया है :—

1. इसमें आगे जैसा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए, यह करार तारीख———————— से————————तक (जिसमें ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) प्रवृत्त रहेगा किन्तु सरकार, ठेकेदार को अंतिम लिखित सूचना देकर पूर्वोक्त अंतिम तारीख दो मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगी।

2. मैसर्स————————को, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, औद्योगिक क्षेत्र——— ————————के लिए/द्वारा जारी किए जाने के लिए आशयित परेषणों के, यथास्थिति, रेल/सड़क परिवहन से वहन/बुकिंग करने/रेल स्टेशन/सड़क परिवहन से निकासी करने के लिए और जब कभी आवश्यक हो उनके परिदान के लिए, ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, परंतु सदैव यह कि प्रबंधक, किसी भी परेषण की बाबत ठेकेदार से स्वतंत्र रूप में कोई व्यवस्था कर सकेगा।

3. ठेकेदार परेषणों का, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, औद्योगिक क्षेत्र,——————— से रेल स्टेशन/सड़क परिवहन अभिकरण/माल रोड तक वहन करेगा और यदि विद्यमान समय तथा परिस्थितियों में संभव हो तो उसी दिन जिस दिन वे उसे सौंपे जाते हैं, उनको संबंधित गंतव्य स्थानों के लिए बुक करेगा।

4. (क) ठेकेदार, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, औद्योगिक क्षेत्र————————से परेषण प्राप्त करेगा और वे, यदि विद्यमान समय तथा परिस्थितियों में संभव हो तो,————————में स्थित संबंधित पतों पर उसी दिन सौंप देगा जिस दिन वे उसे सौंपे जाते हैं।

4. (ख) ————————नगर बुकिंग कार्यालय में परेषण बुक करने की अनुज्ञा नहीं है।

5. ठेकेदार, परेषण प्रबंधक से प्राप्त करेगा और उनकी रेल स्टेशन/माल शेड/सड़क परिवहन अभिकरणों से क्षतिपूर्ति बंधपत्र पर रेल रसीद लेकर निकासी करेगा तथा जिस दिन वे रेल/सड़क परिवहन अभिकरण से परिदान के लिए प्राप्त होते हैं, उसी दिन उन्हें ले जाकर भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय————————में या—— ————————में उस गंतव्य स्थान पर परिदत्त करेगा जो प्रबंधक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। रेल रसीद प्राप्त करने या अन्य आनुषंगिक कार्य के लिए, जिसका इस करार के अधीन किया जाना अपेक्षित है, ठेकेदार दिन में दो-दो बार ऐसे समय के दौरान प्रबंधक से संपर्क करेगा जो प्रबंधक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

6. **जोखिम**—ठेकेदार की प्रस्थापना प्रबंधक भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय ———द्वारा स्वीकार कर ली जाने की तारीख से माल, सभी प्रकार से, ठेकेदार की जोखिम पर रहेगा और उस तारीख से माल की सुरक्षित अभिरक्षा या परिरक्षा के लिए सरकार किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगी।

7. **नुकसान**—ठेकेदार, ऐसे सभी नुकसानों की प्रतिपूर्ति करेगा जो किसी माल को हटाने के संबंध में ठेकेदार, उसके अभिकर्ताओं या सेवकों के या उनकी ओर से किए गए किसी कार्य या व्यतिक्रम के कारण किसी सरकारी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की हो, परंतु सरकार, अपने विकल्पानुसार, ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति कर सकेगी और उसका खर्च ठेकेदार से वसूल कर सकेगी।

8. ठेकेदार, रेल/सड़क परिवहन द्वारा परेषण सही ढंग से बुक करने और/या——————————में पैकजों का परिदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उस खर्च के लिए भी जिम्मेदार होगा जो गलत बुकिंग और/या गलत परिदान के कारण उठाना पड़ता है। वह परेषण की ऐसी किसी टूट-फूट, हानि या नुकसान के लिए भी दायी होगा जो परेषण को, उसकी अभिरक्षा में रहने के दौरान, होता है तथा यदि उसकी गलती या उपेक्षा के कारण कोई डेमरेज प्रभार देना पड़ता है तो उसके लिए भी वह जिम्मेदार होगा।

9. ठेकेदार प्रत्येक आवक और जावक परेषण की बाबत——————————रुपए (——————————रुपए) से कम के संपूर्ण रेल माल भाड़े और अन्य आनुषंगिक प्रभारों का, जिनमें डेमरेज प्रभार सम्मिलित हैं, अपने पास से संदाय करेगा। इस बाबत उसके द्वारा उपगत खर्च की प्रतिपूर्ति, रेल प्राधिकारियों से प्राप्त रसीद प्रस्तुत की जाने पर, की जा सकेगी, परंतु ऐसी प्रतिपूर्ति तब की जाएगी जब वेतन और लेखा अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने, प्रबंधक के व्ययनाधीन आवश्यक धनराशि रख दी हो। ऐसी रकम पर कोई ब्याज अनुज्ञेय नहीं होगा। किसी परेषण पर डेमरेज सहित रेल माल भाड़े और रेल के अन्य आनुषंगिक प्रभारों की पूर्ति के लिए ——————रुपए और उससे अधिक की धनराशि; प्रबंधक, द्वारा ठेकेदार के व्ययनाधीन रख दी जाएगी।

10. ठेकेदार को आपात आवश्यकताओं के लिए नियत समय के भीतर अपेक्षित संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करने और उनका प्रदाय करने के लिए लिखित रूप में सम्यक्तः सूचित किया जाएगा और ऐसी मांग को पूरा करने में उसके असफल रहने या उसके द्वारा उपेक्षा की जाने पर, अतिरिक्त मजदूरों को नियोजित किए जाने पर हुए अतिरिक्त व्यय का विकलन, ठेकेदार के खाते किया जाएगा परंतु ठेकेदार को, मजदूरों की व्यवस्था करने के लिए, कम से कम छह घंटे का समय दिया जाएगा।

11. ठेकेदार उन दरों की बाबत प्रबंधक के विनिश्चय का पालन करेगा जो करार की दर-अनुसूची के पैरा 14 में नहीं दी गई हैं।

12. यदि——————क्विंटल से अधिक भार वाले ऐसे पैकेज, जिन्हें ठेकेदार से सूचना प्राप्त होने पर रेल स्टेशन पर प्रबंधक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के अनुदेश से खोलकर——————क्विंटल से कम भार के पैकजों में जारी किया जाता है तो ठेकेदार, साधारण दरों पर या किसी अन्य लागू दर पर, दोनों में से जो भी कम हो, संदाय का हकदार होगा।

13. ठेकेदार, संविदा के सम्यक् पालन के पश्चात् प्रतिभूति वापस लेने का हकदार, संबंधित वर्ष के लेखाओं की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षक द्वारा सम्यक्तः कर दी जाने और उससे शोध्य पाई गई रकम, यदि कोई हो, उसके प्रतिभूति निक्षेप या प्रबंधक के पास लंबित उसके बिलों से वसूल कर ली जाने के पश्चात् ही, होगा।

14. ठेकेदार, मासिक रूप में देय पारिश्रमिक निम्नलिखित दरों पर तब प्राप्त करेगा जब इस करार के निबंधनों के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा के लिए सम्यक्तः रसीद सहित ब्यौरेवार बिल, दो प्रतियों में प्रस्तुत कर लिए जाएंगे :—

क्रम सं०	कार्य का वर्णन	प्रति मीटरी टन दर (1000 किलो)
1.	परेषणों का भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय,—————— से (अर्थात्, यथास्थिति, रेल वैगन, प्लेटफार्म या यार्ड से) रेल माल शेड/स्टेशन,——————तक और विपर्यन वहन, जिसमें माल की निकासी, बुकिंग लदाई, उतराई उचित ढंग से व्यवस्था करना, अर्थात् गंतव्य स्थान पर प्राप्त होते ही गोदाम में उसके चट्टे लगाना, सम्मिलित है	——————रुपए प्रति मीटरी टन
	(क) नीचे (ख) में उल्लिखित मशीनों के परेषणों के भारी पैकजों से भिन्न सभी सामान के लिए	——————रुपए प्रति मीटरी टन
	(ख) मशीनों के परेषणों के भारी पैकजों के लिए, अर्थात्, ऐसे पैकेज जिनका भार 400 कि० ग्रा० से अधिक है	(क्रेन का प्रभार अलग से) ——————रुपए प्रति मीटरी टन
	(ख) (i) रील कागज	——————रुपए प्रति मीटरी टन
	(ग) परेषणों के सभी सामान का भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, ——————की सीमा में स्थित प्राइवेट परिवहन अभिकरणों तक और विपर्यन वहन, जिसमें माल की निकासी, बुकिंग, लदाई, उतराई, उचित ढंग से व्यवस्था करना, अर्थात्, गंतव्य स्थान पर प्राप्त होते ही गोदामों में उनके चट्टे लगाना, सम्मिलित है।	प्रति जी० आर० न्यूनतम ——————रु०

consignments
ual weight of
rate will be
hich is taken
the basis of
by the press

ig the period
work which
r that it shall
transport of
id unloading

onal Savings
for the due
shall be re-
ractor of all
the part of
ehalf of the
conditions
feited to the
satisfaction
ome liable to

onditions of
r rights and
rt. In case
y either for
el.

he Manager
reason by
or shall also
o calendar

or advance
vant or any
officer, re-
agreement,
cancel this
good to the

ager assign
o payment
erformance

is or agree-
alf of the
ed without
th and to
which the

ll be consi-
registered
n Manager
or posted
the time of

15. प्रति मीटरी टन कोट की गई दरें, एक कलैण्डर मास के दौरान वहन किए गए सभी परेषणों के कुल भार के लिए संदेय हैं। उक्त कुल भार, प्रत्येक परेषण के वास्तविक भार का कुल योग होगा। कुल भार में मीटरी टन के किसी भाग के लिए दर, आनुपातिक आधार पर निकाली जाएगी। ऐसे परेषणों के मामले में, जिनका परिदान रेल से लिया जाता है और जो रेल से बुक किए जाते हैं, ऐसा भार रेल रसीद पर दर्शित भार के आधार पर संगणित किया जाएगा तथा अन्य सभी मामलों में यह मुद्रणालय द्वारा वास्तविक तौल के आधार पर आधारित किया जाएगा।

16. संविदा की अवधि के दौरान दिए जाने वाले माल की संख्या या भार की कोई गारंटी नहीं है और उक्त प्रबंधक को यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी कार्य का ठेकेदार को आबंटन न करे जिसे मुद्रणालय परिवहन या अन्य सरकारी परिवहन द्वारा ढोया जा सकता हो, परंतु ठेकेदार के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह परेषणों के परिवहन के लिए उसी समय उपयुक्त व्यवस्था करे जब उससे अपेक्षा की जाए। कोट की गई सभी दरों में लदाई और उतराई तथा मुद्रणालय में चट्टे लगाने के प्रभार सम्मिलित होंगे।

17. ठेकेदार, इस करार के सम्यक् और निष्ठापूर्ण पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र या खजाना/भारतीय स्टेट बैंक/अनुसूचित बैंक की रसीद के रूप में——————रु० (——————रुपए) की राशि प्रबंधक के पास जमा रखेगा। इसमें विनिर्दिष्ट उन सभी अनुबंधों, शर्तों और करारों का, जिनका पालन और कार्य संपादन ठेकेदार द्वारा किया जाना है, उसके द्वारा सम्यक् और निष्ठापूर्ण पालन न किए जाने की दशा में सरकार पूर्वोक्त रूप में जमा की गई प्रतिभूति प्रतिधारित कर लेगी और यदि ठेकेदार इसमें विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं अनुबंधों, शर्तों या करार को पूरा करने में असफल रहता है या उसमें उपेक्षा करता है तो प्रबंधक, सरकार की ओर से इस करार को रद्द कर सकेगा और उक्त प्रतिभूति सरकार के पक्ष में समपहृत होने की घोषणा कर सकेगा और उक्त प्रतिभूति की रकम या उसके किसी भाग को, किसी या समस्त नुकसान या किसी अन्य ऐसी राशि के लिए विनियोजित कर सकेगा जिसके संदाय के लिए ठेकेदार, इसके अधीन, दायी हो जाता है।

18. यदि ठेकेदार, इस संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को भंग करता है तो सरकार की ओर से प्रबंधक को, अपने अन्य अधिकारों और शक्तियों के अतिरिक्त, प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग समय-समय पर समपहृत करने का हक होगा। ऐसी असफलता की दशा में, मांग की जाने पर, ठेकेदार कोई अतिरिक्त प्रतिभूति या उसका कोई भाग तुरंत जमा करेगा जिससे कि प्रतिभूति निक्षेप यथापूर्व हो जाए।

19. इसके खण्ड 1 में किसी बात के होते हुए भी, सरकार की ओर से प्रबंधक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ठेकेदार को एक कलेण्डर मास की लिखित सूचना देकर, कोई कारण बताए बिना ही, इस करार को समाप्त कर दे और ठेकेदार भी प्रबंधक के माध्यम से सरकार को दो कलैण्डर मास की लिखित सूचना देकर कोई कारण बताए बिना ही, इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा।

20. यदि किसी भी समय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार या उसके अभिकर्ता या उसके सेवक या उसकी ओर से किसी व्यक्ति ने (ठेकेदार की जानकारी में या उसके बिना) कोई रिश्वत, कमीशन, उपहार या अग्रिम, सरकार के किसी अधिकारी, प्रतिनिधि, सेवक या अभिकर्ता को इस करार के निष्पादन के संबंध में दिया है, देने का वचन दिया है या देने की प्रस्थापना की है तो ऐसी दशा में सरकार की ओर से प्रबंधक, कोई सूचना दिए बिना, इस करार को रद्द कर सकेगा और ठेकेदार ऐसे रद्दकरण से या उसके परिणामस्वरूप, होने वाली किसी हानि या नुकसान की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा।

21. ठेकेदार प्रबंधक की लिखित पूर्व सहमति के बिना, इस संविदा या उसके किसी भाग को या इसके अधीन संदाय के किसी अधिकार को नियत या मालानुपाती कार्य के रूप में न तो समनुदेशित करेगा न उप पट्टे पर देगा और न उसके निष्पादन के लिए अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा या हितबद्ध करेगा।

22. यदि ठेकेदार, इस करार के किसी अनुबंध या शर्त का सम्यक्तः पालन करने में असफल रहता है तो सरकार की ओर से प्रबंधक के लिए ठेकेदार को कोई सूचना दिए बिना, चाहे इसमें उपबंधित किसी उपचार के अतिरिक्त या उसके बदले, इस करार को तुरंत पूर्णतः विखण्डित और समाप्त करना तथा सरकार द्वारा किए जा सकने वाले किसी उपचार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग समपहृत करना, विधिपूर्ण होगा।

23. संविदा के निबंधनों के अधीन ठेकेदार को दी जाने वाली कोई सूचना, सम्यक्तः तामील की गई तब समझी जाएगी जब वह ठेकेदार के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है। इसी प्रकार प्रबंधक को दी जाने वाली कोई सूचना तब सम्यक्तः तामील की गई समझी जाएगी जब वह प्रबंधक को या उस पते पर, जहां उसका कार्यालय ऐसी सूचना देने के समय अवस्थित है, परिदत्त कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है या रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाती है।

24. इसमें इसके पूर्व जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए, सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और सरकार की ओर से की जाने वाली सभी कार्रवाइयां, प्रबंधक द्वारा या उस अधिकारी द्वारा दी या की जा सकेंगी जिसे तत्समय उक्त प्रबंधक के कृत्य, कर्तव्य या शक्तियां सौंपी गई हैं।

25. प्रबंधक किसी भी समय लिखित सूचना देकर, ठेकेदार को कोई प्रतिकर दिए बिना, इस संविदा को निम्नलिखित परिस्थितियों में संक्षेपतः समाप्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(i) यदि ठेकेदार कोई व्यष्टि है तो वह स्वयं अथवा यदि वह कोई फर्म है तो उसका कोई भागीदार, किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या उसकी संपदा के प्रशासन के लिए रिसीवर की नियुक्ति का आदेश कर दिया जाता है अथवा वह तत्समय प्रवृत्त दिवाला विषयक किसी अधिनियम के अधीन समापन या प्रशमन के लिए कोई कार्यवाही करता है या अपनी चीजबस्त का हस्तांतरण या समनुदेशन करता है या अपने लेनदारों के साथ कोई प्रशमन या ठहराव करता है अथवा संदाय निलंबित कर देता है या फर्म, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन विघटित कर दी जाती है; या

(ii) कई कंपनी होने की दशा में यदि ठेकेदार अपने कार्य कलाप के समापन के लिए कोई संकल्प पारित कर देता है या उसके परिसमापन के लिए न्यायालय कोई आदेश पारित कर देता है अथवा डिबेन्चरधारकों की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें न्यायालय या डिबेंचरधारक रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के हकदार हो जाते हैं; या

(iii) यदि ठेकेदार संविदा को इस प्रकार भंग करता है जिसकी बाबत इसमें विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है :

परन्तु ऐसी समाप्ति से ऐसी कोई कार्रवाई या उपचार करने के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो सरकार को प्रोद्भूत हो गया हो या तत्पश्चात् प्रोद्भूत हो जाए परंतु यह भी कि ठेकेदार, सरकार को किसी ऐसे अतिरिक्त व्यय का संदाय करने के लिए भी दायी होगा जो सरकार को उस कारण करना पड़े।

26. यदि इस करार से या किसी भी रूप में इस करार या उसकी विषय वस्तु या इस करार के अधीन या उसके संबंध में पक्षकारों के अपने-अपने अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों के संबंध में कोई विवाद, मतभेद या प्रश्न (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चित किए जाने की बाबत इसमें अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया है) उत्पन्न होता है तो वह मुद्रण निदेशक, नई दिल्ली के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और यदि उक्त निदेशक कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो वह उक्त निदेशक द्वारा नियुक्त और ऐसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसी किसी नियुक्ति के संबंध में यह आपत्ति नहीं की जाएगी कि ऐसे नियुक्त निदेशक या मध्यस्थ सरकारी सेवक है या उसे उन विषयों की बाबत कार्रवाई करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में उसने उन सभी या किसी विवादग्रस्त विषय या मतभेद या प्रश्न की बाबत अपने विचार व्यक्त किए हैं। उक्त निदेशक या इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबंधन यह भी है कि यदि मुद्रण निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ, जिसे विवाद मूलतः निर्देशित किया गया हो, स्थानान्तरित हो जाता है या किसी अन्य कारणवश अपना पद छोड़ देता है तो उसका पदोत्तरवर्ती, निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करेगा जिस प्रक्रम पर उससे उसके पूर्वाधिकारी ने छोड़ा हो तथा उसे इस खण्ड के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 या उसके किसी कानूनी उपांतर और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो उस समय प्रवृत्त हों, ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगे और इस विलेख की बाबत यह समझा जाएगा कि उसमें ऐसे माध्यस्थम् का उपबंध है।

27. किसी अन्य व्यक्ति या किसी फर्म की ओर से निविदा या संविदा के भागरूप किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला कोई व्यक्ति, अपने पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित मुख्तारनामा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें यह कथित हो कि उसे, यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्ति या फर्म को, माध्यस्थम् खण्ड सहित इस करार से संबंधित सभी विषयों में आबद्ध करने का प्राधिकार है और यदि तत्पश्चात् हस्ताक्षर करने वाला ऐसा व्यक्ति, उचित समय के भीतर उक्त मुख्तारनामा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो प्रबंधक, अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार रद्द कर सकेगा और हस्ताक्षरकर्ता को सभी खर्चों और नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा सकेगा।

28. इसके साक्ष्यस्वरूप इस विलेख के पक्षकारों ने, इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर किए।

ठेकेदार ने,

1. ——————————साक्षियों के हस्ताक्षर,
2. ——————————नाम, पते और व्यवसाय

————————
(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में इस पर अपने हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

श्री——————————ने,

1. ——————————साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम,
2. ——————————पते और व्यवसाय

————————
प्रबंधक, भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय——————

की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

प्ररूप सं० 4ख

सम्पति के पट्टाधृत होने की दशा में निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख या प्ररूप

[मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए नियम——नियम 5 (क)]

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री .... जो ....के श्री ....का पुत्र है और इस समय ....में ....मंत्रालय / कार्यालय में ....के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "बंधककर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध, नहीं है उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख ....को किया गया।

उधार लेने वाले ने उन नियमों के, जो मकानों के निर्माण, आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों का अग्रिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार ने बनाए हैं (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसमें, जहां संदर्भ से अनुकूल है, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी हैं) उपबन्धों के अधीन उपरोक्त बना बनाया मकान क्रय करने के लिए ....रुपए (..............................रुपए) के अग्रिम के लिए सरकार से आवेदन किया है। सरकार ने, उधार लेने वाले को ....रुपए (..............................रुपए) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध में देखिए ....मंत्रालय / कार्यालय का तारीख ....का पत्र सं० ...., जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर किया गया है।

..............................को उक्त अग्रिम की रकम निकाली जाने के समय बंधककर्ता और बंधकदार ने परस्पर एक करार निष्पादित किया, जिसके द्वारा बंधककर्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बंधककर्ता को अग्रिम के रूप में दी गई रकम के लिए और साथ ही उक्त रकम पर संदेय ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधकदार को उक्त फ्लैट बंधक रखने के लिए, उक्त नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में एक दस्तावेज निष्पादित करने का वचनबंध किया है।

एक पक्षकार के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधककर्ता के बीच आज तारीख ....को निष्पादित हस्तान्तरण-विलेख द्वारा, उक्त करार में वर्णित प्रतिफल के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण उक्त दस्तावेज की अनुसूची और इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित संपत्ति उक्त करार में उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, बंधककर्ता को विक्रय, अंतरित और समनुदेशित करता है।

उक्त अंतरण के संबंध में प्रतिफल का संदाय, बंधकर्ता द्वारा उसे अग्रिम दिए गए——————————रु० के सरकारी ऋण से किया गया था।

अतः यह करार निम्नलिखित का साक्षी है

(i) (क) उक्त नियमों के अनुसरण में और उनके उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और . . . . रुपए (केवल . . . . . . रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय . . . . . . रुपए (केवल . . . . रुपए) की मासिक किस्तों में अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय . . . . के . . . . मास से अथवा अग्रिम लिए जाने के पश्चात्‌वर्ती मास के वेतन से प्रारंभ करेगा। बंधककर्ता ऐसी किश्तों की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी/वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी 60 से अनधिक मासिक किश्तों में उस रीति में और उन निबंधनों के अनुसार करेगा जो उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट हैं। परंतु बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व कर देगा। जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवर्तित करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल कर ले। तथापि, बंधककर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय उक्त अवधि से कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(i) (ख) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक्‌रूप सपालन और अनुपालन करेगा और . . . . रुपए (केवल . . . . रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय . . . . रुपए (केवल . . . . रुपए) की . . . . मासिक किस्तों में, अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय . . . . के . . . . मास से या अग्रिम लिए जाने के पश्चात्‌वर्ती मास के वेतन से प्रारंभ होकर उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक किया जाता रहेगा और उसकी अधिवर्षिता की तारीख पर जो रकम बकाया होगी वह रकम तथा अग्रिम दी गई रकम पर अग्रिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक का ब्याज उसके उपदान/मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान में से वसूल कर लिया जाएगा। बंधककर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन / सेवा निर्वाह भत्ते में से तथा उसके शेष रकम की, जिसका संदाय उसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है उसके उपदान/मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवर्तित करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय उक्त अवधि से कम अवधि के भीतर कर सकता है।

टिप्पण: [खंड (i) (क) और (i) (ख) में से जो भी लागू न हो उसे काट दीजिए।]

(ii) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारणवश सेवा में नहीं रह जाता है अथवा यदि अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन, शर्त और अनुबंध का पालन और अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में अग्रिम का संपूर्ण मूल धन या उसका उतना भाग, जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, तथा उस पर . . . . *प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकलित किया जाएगा, तुरंत संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार, बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उसे (बंधककर्ता को) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

*उक्त नियमों के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

92-M/J(D)436M of LJ & CA—4(a)

(iii) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी समय या समय-समय पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता बंधकदार को तारीख ... .के उक्त हस्तान्तरण पत्र में समाविष्ट उक्त संपत्ति का जिसका अधिक विशिष्ट रूप से वर्णन इसमें आगे अनुसूची में किया गया है, उक्त संपत्ति पर, यदि कोई हो, (जिसे इसमें आगे बंधक संपत्ति कहा गया है) बंधककर्ता द्वारा निर्मित किए जाने वाले भवनों अथवा तत्समय उस पर रखी सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुदान, अभिहस्तान्तरण, अन्तरण या हस्तान्तरण क्रेता द्वारा की गई प्रसंविदाओं और इसमें अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए करता है। बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किंतु उक्त हस्तांतरण पत्र के निबंधनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए, धारण करेगा। किंतु यह, मोचन के बारे में इसमें आगे दिए गए परंतुक के अधीन होगा। यह भी उपबंध है तथा इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता बंधकदार को प्रतिभूति उक्त मूलधन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो अभिकर्ता द्वारा बंधकदार को उक्त नियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए, सम्यक् रूप से संदाय, इसमें दी गई रीति से कर देगा तो बंधकदार तत्पश्चात् किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रति-अभिहस्तान्तरण, प्रतिअन्तरण और प्रतिहस्तान्तरण बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए या उसके निदेशानुसार, कर देगा।

(iv) अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता उसकी ओर से की गई और इसमें उल्लिखित प्रसंविदाओं का कोई भंग करता है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति[1] अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारणवश सेवा में नहीं रह जाता है या यदि उन सभी रकमों के, जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व, उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरंत संदेय हो जाता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसे विक्रय की किसी संविदा में क्रय कर ले या ऐसी संविदा विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न हो जो ऐसा करने से हो। बंधकदार को यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसे किसी विक्रय को प्रभावशील करने के लिए, ऐसे सभी कार्य करे और हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन करे जो वह ठीक समझे। यह घोषणा की जाती है कि विक्रय किए गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रय-धन के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता या क्रेताओं ने क्रय-धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा[1] (और उसके बाद, बंधक संपत्ति के पट्टाकर्ता श्री ....को उक्त पट्टे के खंड .. ..के अनुसरण में, अनुपार्जित वृद्धि के 50 प्रतिशत का संदाय किया जाएगा) और तब इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए, धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(v) बंधककर्ता बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि,—

(क) बंधककर्ता को बंधक संपत्ति का बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए उक्त रीति से, अनुदान अभिहस्तांतरण, अंतरण, समनुदेशन और हस्तांतरण करने का विधिपूर्ण अधिकार और प्राधिकार है।

[2](ख) बंधककर्ता मकान के निर्माण उक्त मकान में आवास-स्थान मे परिवर्धन का काम उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने न दे दी हो। बंधककर्ता कुर्सी/छत स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं, और यह कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को या उसके प्रतिनिधि को निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देगी। यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह

1. टिप्पण: दिल्ली में नजूल भूमि के मामले में और इसी प्रकार के मामलों में जहां भी लागू हो।
2. टिप्पण: जहां अग्रिम बने बनाए मकान के क्रय के लिए है वहां खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे।

संपूर्ण अग्रिम जो उसे मिला है तथा उस पर ....* प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन उसके विरुद्ध उपबन्धित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

(ग) बंधककर्ता मकान का निर्माण उक्त/मकान में वास स्थान में परिवर्धन ....*से अठारह मास के भीतर पूरा करेगा, जब तक कि बंधकदार ने इस काम के लिए लिखित रूप में समय बढ़ा न दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को, उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त नियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एकमुश्त प्रतिसंदाय तुरंत करना होगा। बंधककर्ता मकान पूरा होने की तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

•(घ) बंधककर्ता अपने खर्च पर भारतीय जीवन बीमा निगम में उस मकान का तुरंत बीमा इतनी रकम के लिए कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो वह उक्त नियमों में उपबंधित रूप में उसे उस समय तक, जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्नि, बाढ़ और तड़ित से हानि या नुकसान के विरुद्ध, बीमाकृत रखेगा और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगा। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम को रसीदें बंधकदार द्वारा निरीक्षण के लिए पेश करेगा। यदि बंधककर्ता, अग्नि, बाढ़, तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण, किंतु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त मकान का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले। उस दशा में बंधककर्ता को उस पर————————की दर से ब्याज उसी प्रकार देना होगा मानो प्रीमियम की रकम उसे पूर्वोक्त अग्रिम के भाग के रूप में ही दी गई हो। यह ब्याज उसे उस समय तक देते रहना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली उस रूप में नहीं हो जाती मानो वह इस विलेख की प्रतिभूति के अंतर्गत आने वाली रकम हो। बंधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षा की जाए, बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा गया होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है।

(ङ) बंधककर्ता उक्त मकान को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हुई हालत में रखेगा और बंधक संपत्ति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से देता रहेगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुकता नहीं कर दिया जाता है। बंधककर्ता उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी बंधकदार को देगा।

(च) बंधककर्ता, मकान बनने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मकान अच्छी मरम्मत की हुई हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देता रहेगा जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुकता नहीं कर दिया जाता।

(छ) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम की किसी रकम मद्दे उस व्यय से आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था।

(ज) तारीख ....का उक्त हस्तान्तरण विलेख अब उक्त बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्व युक्त पट्टा है और वह किसी भी रूप में शून्य या शून्यकरणीय नहीं है तथा पट्टा विलेख में या उसके द्वारा आरक्षित किराए का संदाय और उसमें दी हुई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन, इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है और इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में इसका समनुदेशन किया जा सकता है।

(झ) बंधककर्ता उस समय तक, जब तक कोई धन उक्त बंधक संपत्ति की, जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वारा समनुदेशित अभिव्यक्त है, प्रतिभूति पर देय रहता है और हर हालत में उक्त करार की अवधि तक, पट्टे की सभी प्रसंविदाओं का और इसके अधीन दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट उक्त पट्टा करार में अंतर्विष्ट शर्तों का, सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा तथा बंधकदार को उन सभी अनुयोजनों, वादों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रभारों, दावों और मांगों की बाबत क्षतिपूरित रखेगा जो उक्त किराए का संदाय न किए जाने के कारण या उक्त प्रसंविदाओं और शर्तों के या उनमें से किसी के भंग किए जाने, पालन न किए जाने के कारण या अनुपालन न किए जाने के कारण उपगत/सहन की जाएगी।

---

* नियम के अधीन प्रभार्य ब्याज की प्रसामान्य दर।

** टिप्पण : जहां अग्रिम बने बनाए मकान के क्रय के लिए है वहां खंड (ख) और (ग) लागू होंगे।

*** यहां वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

(ण) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विल्लंगम सृजित करेगा, न उसका अन्य संक्रमण करेगा और न ही उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन करेगा।

(ट) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज, जिसका संदाय बंधककर्ता की सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग से वसूल कर ले।

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .... मंत्रालय/कार्यालय के श्री ....ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है*

उक्त (बंधककर्ता) ....ने,

(1) ....(प्रथम साक्षी का नाम, पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं., दुकान और हस्ताक्षर)

(2) ....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं., दुकान और हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

....

(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से ....मंत्रालय/कार्यालय के श्री ....ने,

(1) .... (प्रथम साक्षी का नाम, पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं. दुकान और हस्ताक्षर)

(2) ....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता, व्यवसाय, टेलीफोन नं., दुकान और हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

ध्यान दें :

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टांप शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टांप शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, संबंधित राज्य सरकारों/प्रशासनों से संपर्क कर लें।

---

*इसे बंधक भरेगा।

(निर्माण और आवास मंत्रालय में उपयोग के लिए)

भारत सरकार

निर्माण और आवास मंत्रालय

विभाग फाइल सं० ....

या ....

कार्यालय

विषय : भूमि क्रय/मकान आदि के भागत:/पूर्णत: निर्माण/विस्तार आदि के लिए अग्रिम का अनुदान ....(तारीख) को अनुक्रमांकित किया गया।

आद्यक्षर .....

अभिलेख ....में नष्ट किया गया।

लिपिक के आद्यक्षर ... .

अनुभाग अधिकारी के आद्यक्षर........ .

आवेदन प्ररूप

(इसे आवेदक भरे)

साधारण

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)..

2. पदनाम/टेलीफोन नं०...
   (i) स्थायी.....................
   (ii) अस्थायी/स्थानापन्न.............

3. आवेदन की तारीख तक की गई सेवा की अवधि............वर्ष.............मास।

4. वर्तमान वेतन [नियम 4 (ख) में बताए गए अनुसार] और वेतनमान.....................रुपए।

5. क्या पेंशन नियम लागू होते हैं ....

6. नियुक्ति की तारीख.....................

7. सेवानिवृत्ति की तारीख.....................

8. भूमि–क्रय निर्माण के लिए, लिए गए भविष्य निधि अग्रिम/किसी अन्य अग्रिम/अंतिम आहरण, की रकम यदि कोई हो, (मंजूरी की एक अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें) .... रु०

अग्रिम के संबंध में दी जाने वाली विशिष्टियां

9. यदि अग्रिम प्लाट क्रय करने और/या नए मकान के निर्माण के लिए चाहिए तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :–

क–प्लाट के लिए

अवस्थिति का पता सहित	ग्रामीण या शहरी	क्या यह स्पष्टतया सीमांकित और विकसित है	वर्गमीटरों में अनुमानित क्षेत्रफल	(i) लागत (ii) वास्तव में दी गई रकम	यदि क्रय नहीं किया गया है तो कब तक अर्जित कर लिया जाएगा	यदि फ्री होल्ड नहीं है तो पट्टे की अनवसित अवधि
1	2	3	4	5	6	7

ख–निर्माण के लिए

प्रत्येक तल पर निर्मित किया जाने वाला क्षेत्रफल	अनुमानित लागत	भूमि/निर्माण या दोनों के लिए अपेक्षित अग्रिम की रकम	प्रतिसंदाय के लिए किस्तों की संख्या

अवस्थिति का पता	वर्गमीटरों में कुर्सी क्षेत्र	विस्तार के लिए प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्र वर्ग मीटरों में	विद्यमान मकान के अर्जन निर्माण की लागत	प्रस्तावित विस्तार की लागत (2+3)	कुल कुर्सी क्षेत्र (2+3)	कुल लागत (4+5)	अपेक्षित रकम	प्रति संदाय के लिए किस्तों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पणी–यदि विस्तार, भूतल से भिन्न किसी तल पर करना चाहते हैं तो अनुमोदित इंजीनियर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र, कि विद्यमान संरचना की नींव प्रस्तावित का भार सरलता से वहन कर सकती है, संलग्न करें।)

10. यदि अग्रिम बना बनाया मकान फ्लैट क्रय करने के लिए चाहिए तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :—

अवस्थिति, का पता	कुर्सी क्षेत्र	कब निर्मित किया गया	तय की गई कीमत	अभिकरण, जिससे क्रय किया जाएगा	(क) संदत की जा चुकी रकम (ख) संदत्त की जाने वाली रकम	अग्रिम की अपेक्षित रकम	प्रतिसंदाय के लिए किस्तों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

11. यदि आप या आपके कुटुंब के किसी आश्रित सदस्य के पास पहले से ही मकान है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :—

अवस्थिति, का पता सहित	प्रत्येक तल का कुर्सी क्षेत्र	वर्तमान उचित बाजार मूल्य (रुपए)	दूसरे मकान के अर्जन या वर्तमान मकान के विस्तार के लिए कारण
1	2	3	4

12. क्या आपने (क) संबंधित नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सुसंगत निर्माण रेखांक और (ख) उस क्षेत्र में विद्यमान सुसंगत लागत सूचकांक के अनुसार संशोधित केन्द्रीय/राज्य लोक निर्माण विभाग की अनुसूची के आधार पर, किसी अर्हित इंजीनियर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित, ब्योरेवार निर्माण प्राक्कलन संलग्न कर दिया है।

(1) मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दर्शाई गई विभिन्न मदों के उत्तर में मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है –

(2) मैंने भूमि–क्रय और भवन आदि के क्रय/निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम के अनुदान को विनियमित करने वाले नियम पढ़ लिए हैं और मैं उनके अनुबंधित निबंधनों और शर्तों से आबद्ध होने का करार करता हूं।

(3) (i) मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी पत्नी मेरे/पति केन्द्रीय सरकार के सेवक नहीं है/हैं। मेरी पत्नी मेरे पति ने, जो केन्द्रीय सरकार की/के सेवक है/हैं, इन नियमों के अधीन अग्रिम के लिए आवेदन नहीं किया है और या अग्रिम प्राप्त नहीं किया है।

(ii) मैंने/मेरी पत्नी/मेरे पति मेरी अवयस्क संतान ने किसी सरकारी स्रोत से मकान–अर्जन के लिए कोई ऋण या अग्रिम लेने के लिए, न तो कोई आवेदन किया है और न वह प्राप्त किया है।

(iii) मकान का निर्माण, जिसके लिए अग्रिम लेने का आवेदन किया गया है, अभी आरंभ नहीं हुआ है।

स्थान : . . . .

तारीख : . . . .

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम . . . .

(i) पदनाम . . . . टेली नं० . . . .

(ii) विभाग या कार्यालय, जहां नियोजित है . . . . .

(*जो लागू न हो, उसे काट दें)

(इसे आवेदक के विभाग का प्रधान भरे)

————————————स्थान————————तारीख ————

…मों के नियम (ख) के निबंधनों के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी————————————

————————————, पदनाम————————टेली० नं०————

…म————————————का आवेदन प्राप्त हुआ और इसमें कथित तथ्यों आदि की सत्यता से मैं …ष्ट हूं। मैं निम्नानुसार सिफारिशें करता हूं:—

(i) अनुमोदित की जाने वाली रकम————————————

(ii) वसूली के लिए किस्तों की संख्या————————————

(iii) समायोजित किया जाने वाला ब्याज————————————

(iv) अधिवर्षिता की तारीख को शोध्य उपदान/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की समायोजित की जाने वाली रकम————————————

(v) मासिक कटौती की रकम————————————

[नियम 4 (ख) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ऊपर (V) में बताई गई मासिक कटौती की रकम देने के लिए सक्षम है।

मैंने इस बाबत अपना यह समाधान कर लिया है कि आवेदक ने, संपत्ति का विल्लंगम रहित स्पष्ट हक प्राप्त कर लिया है/कर लेगा।

मंजूरी प्राप्त रेखांक, विस्तृत प्राक्कलन, विनिर्देशों आदि की प्रति सहित आवेदन, इसके साथ अग्रेषित किया जा रहा है। …विशेष मामले के रूप में इन नियमों के नियम 2(ख) के उपबंध, शिथिल किए जा सकते हैं।

————————————

हस्ताक्षर

तारीख————————

पदनाम ————————

विभाग का पूरा नाम और पता————————

————————————

भारत सरकार

भांडागार नियंत्रक,
नौ सेना डाकयार्ड
मुंबई 400086

तारीख ————————

…मैसर्स ————————

————————

————————

नीलामी–सूचना

प्रिय महोदय,

कृपया नौसेना डाकयार्ड————————————में तारीख ————————को————————बजे नीलाम-सूचना करने की व्यवस्था करें। नीलाम किए जाने वाले सामान की सूची संलग्न है।

2. आप से अनुरोध है कि आप इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), मुम्बई समाचार (गुजराती) और लोकसत्ता (मराठी), नवभारत टाइम्स (हिंदी) जैसे अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रमुख समाचारपत्रों में दो बार विज्ञापन देकर और जहां सामान किसी विशिष्ट व्यवसाय या कारबार के लिए विशिष्टतः हितकर है वहां पर्चे और सूचीपत्र वितरित करके और दीवारों पर पोस्टर लगाकर उक्त नीलाम का व्यापक प्रचार करें। आप अपने द्वारा की गई प्रचार व्यवस्था का ब्यौरा, जिसके अंतर्गत समाचार-पत्रों में दिए गए विज्ञापनों की कटिंग भी है, इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आशयित क्रेताओं में वितरण के लिए उक्त सूचीपत्र भी पर्याप्त संख्या में इस कार्यालय को भेजें।

————————

यह नीलाम, नीचे उल्लिखित विशेष शर्तों से संलग्न विक्रय की साधारण शर्तों के अधीन होगा। विक्रय की साधारण शर्तें नीलाम सूचीपत्र में संलग्न करें और नीलाम प्रारम्भ होने से पूर्व आशयित क्रेताओं की जानकारी और मार्गदर्शन न्हें जनता के समक्ष घोषित करें। जनता द्वारा निरीक्षण के लिए सामान तारीख———————से दिवसों में प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक और अपराह्न 2.30 से 4.30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। शनिवार सामान निरीक्षण के लिए केवल ———————बजे से———————बजे तक रहेगा।

शेष शर्तें

1. जब तक कि कोई प्रतिकूल बात न हो, स्वीकृत बोली की कम से कम 20 प्रतिशत रकम, अग्रिम धन के रूप में लपर ही वसूल कर ली जानी चाहिए।

2. बोली की शेष रकम तारीख———————को या उससे पूर्व संदत्त कर दी जानी चाहिए।

3. क्रय किए गए लाट तारीख———————को या उससे पूर्व स्थल से हटा लिए जाने चाहिएं।

4. यदि सामान नौसेना डाकयार्ड——————— और नौसेना स्टोर डिपो, ———————, दोनों ही स्थानों पर, रखा हो तो पहले परिदान नौसेना डाकयार्ड———————पर किया जाएगा और तत्पश्चात् नौसेना स्टोर डिपो———————पर।

5. सामान के परिदान के लिए तारीख और समय स्टाक धारक से पहले ही निश्चित कर लिया जाना चाहिए।

6. द्वार-प्रवेशपत्र उन्हीं बोली लगाने वाले व्यक्तियों को, जिनसे द्वार-धन वसूल हो गया है और जिनके पास प्रवेश अनुज्ञापत्र है, नीलाम की तारीख को अर्थात्,———————को ———————बजे तक दिया जाएगा। तथापि नीलाम वाले दिन को होने वाली भीड़ से बचने के लिए बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वार-प्रवेश-पत्र द्वार-धन देकर तथा———————रा जारी किया गया प्रवेश अनुज्ञापत्र दिखाकर, नीलाम से एक दिन पहले तारीख———————को———————बजे से——————— बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

7. **संदाय के पश्चात् परिदान लेने में असफलता**—क्रेता को लाट, नीलाम की तारीख से 27 कार्य दिवसों के भीतर पूर्णतः हटा लेने होंगे। इस अवधि में कोई वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री हटाई नहीं जाती है तो उसे क्रेता की जोखिम और व्यय पर पुनः विक्रय कर दिया जाएगा।

8. लाट सं०———————हल : हेलर/नौकाओं आदि के हल सेवा योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें पूर्णतः नष्ट कर दिया जाना चाहिए या तीन टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए जिस दशा में प्रत्येक टुकड़े की कम से कम लंबाई नौका की समग्र लंबाई के 1/15 के बराबर होगी। नौका को तीन बराबर लंबाई के टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए।

4. क्रेताओं को यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि उन्हें नीलामकर्ता को शेष रकम की बैंक रसीद प्रस्तुत करके विक्रय उन्मोचन आदेश यथासंभव शीघ्र, ~~किन्तु किसी भी दशा में, नीलाम की तारीख से 8 दिन के भीतर~~, ले जाने चाहिएं।

5. सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय किए गए सरकारी/सैनिक अधिशिष्ट सामान को, नगरपालिक सीमाओं में प्रवेश के समय, नगरपालिक निकाय द्वारा उद्ग्रहणीय किसी स्थानीय चुंगी/सीमान्त कर के संदाय से छूट प्राप्त है। यदि ऐसा कोई नगरपालिक निकाय, सरकार द्वारा पश्चात्वर्ती नीलाम के पश्चात् किसी स्थानीय कर की मांग करता है तो यह कर नीलाम-विक्रय-क्रेता द्वारा देय होगा और इस नीलाम में बोली लगाने मात्र से यह माना जाएगा कि उसने इस शर्त की बाबत अशर्त करार किया है।

भवदीय,

( )

भाण्डागार नियंत्रक

संलग्नक :

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :–

नौसेना स्टोर

आफिसर, नौसेना डाकयार्ड, मुम्बई

एस०एस०के० निपटान

नौसेना एस०डी० (जो), मुंबई

कृपया सामान ऐसे किसी सुविधाजनक स्थान पर भिजवा दें जहां क्रेता, ऊपर पैरा 3 में बताई गई तारीख और समय पर उसका निरीक्षण कर सकें और जहां सुरक्षा उपाय लागू नहीं होते हैं और यदि

92 M/J(D) 436 LJ&CA—5

सामान ऐसे किसी स्थान पर ऐसे भिजवाना संभव नहीं है तो अग्रिम रूप में ऐसी कोई व्यवस्था व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे विक्रेता और नीलाम का पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी को ऊपर उल्लिखित तारीख को उस स्थान पर पहुंचने में कोई कठिनाई न हो।

2. कृपया यह पुष्ट करें कि सूची में दर्शित मदों की अवस्थिति, मात्रा और वर्णन सही है।

मुख्य सुरक्षा आफिसर नौसेना डाकयार्ड मुम्बई (1) नीलाम-सूचीपत्र ही अनुज्ञापत्र माना जाएगा और उसे प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों को, ऊपर पैरा 3 में बताई गई तारीख और समय के बीच सामान का निरीक्षण करने के लिए यार्ड/डिपो में प्रवेश करने को अनुज्ञा दी जा सकती है।

सुरक्षा आफिसर नौसेना स्टोर डिपो, मुम्बई (2) कृपया नीलामकर्ताओं को, सार्वजनिक नीलाम के लिए व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दें।

(3) कृपया नीलाम की तारीख को ———————— डाकयार्ड, मुम्बई में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करें।

भाण्डागार नियंत्रक का कार्यालय
नौसेना स्टोर डिपो, घाटकोपर
पश्चिमी मुम्बई–400086
29 जनवरी, 1987

विक्रय उन्मोचन आदेश
सं० ————————
मैसर्स ————————
————————
————————

तारीख..........को..........में किए गए नीलाम में आप द्वारा क्रीत लाट

प्रिय महोदय,

नीचे उल्लिखित सामान का आप को विक्रय सुसंगत नीलामकर्ता सूचीपत्र में उद्धृत विक्रय की शर्तों के अधीन रहते हुए पुष्ट किया जाता है :—

लाट सं०	सामान की विशिष्टियां	अभिधान	रखी गई मात्रा डाकयार्ड में नौ० स्टो० डि० (जी०) में	कुल निर्मोचित मात्रा
	(संलग्न सूची के अनुसार)			
			(नीलामकर्ता-सूचीपत्र के अनुसार अनुमानित मात्रा)	

2. यह पत्र जिस पर उस बैंक रसीद की विशिष्टियां पृष्ठांकित हैं जो आपने नीलामकर्ता को सौंपी है और रसीद की प्राप्ति के प्रतिकर स्वरूप नीलामकर्ता ने सम्यक्तः हस्ताक्षर किए हैं, संलग्न है जो उक्त सामान का परिदान लेने के लिए आपको प्राधिकृत करता है। इसके लिए आप पूर्ण व्यवस्था इस कार्यालय के सीधे संपर्क से करेंगे किंतु सामान ———————— तक अवश्य हटा लिया जाए। उक्त अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी और यदि सामग्री विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हटा नहीं ली जाती है तो क्रेता की जोखिम और व्यय पर उसे पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।

भवदीय
भाण्डागार नियंत्रक

मैसर्स ————————
————————
————————

कृपया विक्रय उन्मोचन आदेश सुरक्षित अभिरक्षा में रखें और बैंक रसीद की प्राप्ति की विशिष्टियां उसके लिए नियत स्थान पर लिखें। मूल विक्रय उन्मोचन आदेश पर हस्ताक्षर करें और वह क्रेता को सौंप दें तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखें। शेष तीन प्रतियां इस कार्यालय को भेज दें।

———————————————— भण्डार गृह।

वर्णन	मात्रा	थान	द्वार-प्रवेशपत्र	क्रेता के हस्ताक्षर	———— के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जारी किया — पूरा सामान प्राप्त किया

————————के प्रतिनिधि — (क्रेता के हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

भाण्डागार नियंत्रक का कार्यालय
नौसेना स्टोर डिपो,
घाटकोपर (पश्चिमी), पी० ओ०
मुंबई-400086
तारीख :

उन्मोचन आदेश सं०
डब्ल्यू०एच०/डी०आई०एस०/9152

————————

————————

————————

महोदय,

कृपया निविदा पूछताछ सं० आर०बी०/डी०टी०/एन०एस०डी०/टी०–87(3) तारीख 09-06-87 का अवलोकन करें। उक्त विक्रय, उक्त निविदा पूछताछ में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सामान के विक्रय की पुष्टि की जाती है :—

क्रम सं०	सामान की विशिष्टियां	अभिधान	रखी गई		उन्मोचित कुल मात्रा
			डाकयार्ड में	नौ स्टो० डि० (जी०) में	

2. यह पत्र, जिस पर सैनिक प्राप्य आदेश पर, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, बैंक रसीद की विशिष्टियां पृष्ठांकित की गई हैं, उक्त सामान ~~का परिदान लेने के लिए आपको प्राधिकृत करता है।~~ इसके लिए आप पूर्ण व्यवस्था इस कार्यालय के संपर्क से करेंगे किंतु सामान————————————तक अवश्य हटा लिया जाए। उक्त अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी और यदि सामग्री विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर हटा नहीं ली जाती है तो क्रेता की जोखिम और व्यय पर उसे पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।

भवदीय
भाण्डागार नियंत्रक

ठेकेदारों, अभिकर्ताओं आदि के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र (भाग-क) स० से०को० भण्डारी के लिए निकासी प्रमाण-पत्र (भाग-ख) से० इं० से० ठेकेदारों के लिए निकासी प्रमाणपत्र (भाग-ग)

(भारतीय सेना के लिए वित्त विनियम, भाग 1 और से०इ०से० के लिए विनियम देखिए)

मैं (क)————————————————जो (ख)————
————के प्रदाय के लिए————————————के रूप में————
(ग) में नियोजित हूं, अभिस्वीकार करता हूं कि मैंने (घ)————————————के संबंध में अपने द्वारा प्रदाय की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए (ङ)————————

भुगतान प्राप्त कर लिया है और यह प्रमाणित करता हूं कि मेरा उक्त संविदा के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाला ...के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दावा शेष नहीं है जिसका समायोजन बाकी है।

...क्षियों के हस्ताक्षर

1. ______________________

2. ______________________

...______________________

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(भारत में निष्पादित किए जाने की दशा में हस्ताक्षर स्टांप पर करें या उसे विकृत कर दें।)

भाग (ख) (च)

प्रमाणित किया जाता है कि सरकार की किसी संपत्ति, सामान या धन की बाबत श्री________________ (नाम)

________________ (रैंक) ________________ (सं०) के विरुद्ध कोई भार नहीं है और यह कि सभी सरकारी ...त्ति, सामान या धन का, जो उसके भारसाधन में था, सम्यक्तः हिसाब में दे दिया गया है और वह व्यवस्थित रूप में है। (केवल सं०से०को० भण्डारी के मामले में लागू होगा।)

...न ______________________ हस्ताक्षर ______________________

...ख ______________________ ______________________

भाग (ग) (च)

प्रमाणित किया जाता है कि संविदा करार सं०________________ तारीख________________ के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध कोई मांग परादेय नहीं है।

________________ (पदनाम सहित नाम) से निम्नलिखित के रूप में जमा किए गए अपने पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की वापसी के रूप में________________ रुपए की रकम प्राप्त की :—

____

हस्ताक्षर

टिप्पणी : *1. जब प्रमाणपत्र में संदायकर्ता आफिसर द्वारा धारित पद का शासकीय पदनाम ही दिया गया हो तब प्रमाण-पत्र पर या उसकी एक ओर से दूसरी ओर तक, संदाय करने के तथ्य का संक्षिप्त उल्लेख किया जाए और धन वापस करने वाला संवितरण आफिसर (अपने रैंक का उल्लेख करते हुए) उस पर हस्ताक्षर करें।

2. यहां पर प्रतिभूति की पूर्ण विशिष्टियों का उल्लेख करें, अर्थात्, डाकघर नकद प्रमाणपत्र सं० और तारीख, सरकारी वचनपत्र सं० और तारीख, डाकघर बचत बैंक लेखा सं०, नियतकालिक निक्षेप रसीदों आदि का उल्लेख करें।

भाग "क" भरने के लिए अनुदेश

इस प्ररूप का उपयोग सभी ठेकेदारों, अभिकर्ताओं आदि के लिए, चाहे वे किसी भी विभाग या कोर के हों, अंतिम बेबाकी प्रमाणपत्र के रूप में किया जाएगा और उसे निम्नलिखित रूप में भरा जाएगा, अर्थात् :—

(क) यहां व्यक्ति की दशा में उसका पूरा नाम और निवास स्थान तथा भारतीय होने की दशा में उसके पिता का नाम भी लिखें।

(ख) यहां यह विनिर्दिष्ट करें कि वह ठेकेदार, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में नियोजित किया गया है और किस प्रदाय, संकर्म आदि के लिए नियोजित किया गया है।

(ग) यहां उस विभाग, बल आदि का नाम लिखें जिसे संविदा या करार लागू होता है।

(घ) यहां संदायकर्ता आफिसर का पूरा पदनाम लिखें। किंतु ऊपर * टिप्पणी देखें।

n with or a...
...ictor defacti...
ted in India...
res or moni...
...iarge have o...
f the contract...
...of :—
e
he certificate
...rtificate and
No. and date
receipts, etc.
...nts, etc., of
...id for what
...applied.

(ङ) संविदा या करार की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें।
(च) जो भाग लागू न हो उसे काट दीजिए।

टिप्पण : जब भाग "क" वाला प्रमाणपत्र ही अपेक्षित हो तब भाग "ख" काट दीजिए।

आई०ए०एफ०जेड०–2133 के बदले में
(मू० नि० 1 देखिए)
मुख्तारनामा—जब सरकार रिसीवर है
(इस पर स्टांप लगाने की आवश्यकता नहीं है)

प्रेषक,
श्री————————
————————
————————

सेवा में,
फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ,
मुख्यालय, पश्चिमी नौसेना कमांड,
मुंबई–400051

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि सरकार के साथ मेरे द्वारा की गई तारीख————————से————————तक की एक वर्ष की वार्षिक धुलाई संविदा सं०————————तारीख के अधीन भारतीय नौसेना, मुम्बई के साथ किए जाने वाले संव्यवहार के प्रयोजन के लिए श्री————————मेरा (मेरे) हमारा (हमारे) प्रत्यायित भागीदार है/हैं।

भवदीय

( )

साक्षी ————————
पूरे हस्ताक्षर————————
पदनाम ————————
पता ————————
————————
नमूना हस्ताक्षर————————

————————

रजिस्ट्री डाक से

टेलीफोन :

तटरक्षक मुख्यालय,
सामग्री निदेशालय,
"ई" ब्लाक हटमेंट,
डी०एच०क्यू०, नई दिल्ली-110001

————————कोट करते हुए उत्तर, महानिदेशक को भेजें :

निविदा पूछताछ :————————
————————का प्रदाय।

प्रिय महोदय,

तटरक्षक मुख्यालय, तटरक्षक पोतों के उपयोग के लिए निम्नलिखित मदें प्राप्त करना चाहता है :–

2. अनुरोध है कि इसके लिए आपका कोटेशन निम्नलिखित जानकारी के साथ अगले पृष्ठ पर वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए इस मुख्यालय में तारीख————————तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए :–

(क) परिदान की ठीक-ठीक अवधि ..
(ख) सूची पत्र, यदि कोई हो————
(ग) परिदान का स्थान : तट रक्षक स्टोर डिपो, मानखुर्द, मुंबई।

3. कोट की गई कीमत में, मालभाड़ा/बीमा/विक्रय कर/उत्पाद-शुल्क/सीमाशुल्क सहित सभी प्रभार सम्मिलित करें।

4. कोटेशन वाले मोहरबंद लिफाफे पर **निविदा पूछताछ संख्यांक और तारीख तथा निविदाएं खोली जाने की तारीख** भी, स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

भवदीय

समादेष्टा
उपनिदेशक (संभरण)
कृते महानिदेशक

निविदा की शर्तें

1. सभी निविदाएं, सलग्न प्ररूप में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए और निविदा संख्यांक तथा तारीख लिखकर मोहरबंद लिफाफे में पूर्व उल्लिखित तारीख तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। लिफाफों पर "निविदा" शब्द स्पष्टतः लिखें। निविदाएं डाक से भेजी जा सकती हैं या तटरक्षक मुख्यालय में रखे गए निविदा-बक्स में डाली जा सकती हैं। यदि निविदा डाक से भेजी जाती हैं तो वह इस मुख्यालय में, निविदा प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के पूर्व, पहुंच जानी चाहिए। निविदा में दर्शित दरें, इकाई के अनुरूप ही, होनी चाहिए।

2. तटरक्षक मुख्यालय, निम्नतम निविदा या कोई निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। वह ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है।

3. समस्त प्रदाय, इस विभाग से अनुमोदित कराया जाएगा।

4. यदि नमूने मांगे जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे लेबल लगाकर मोहरबंद रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और उन पर निविदा का निर्देश भी लिखा जाएगा।

5. तटरक्षक मुख्यालय उन नमूनों की बाबत कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा जिनकी विशेष रूप से मांग नहीं की जाती है।

6. यदि कोई आदेश दिया जाता है तो उसका पूर्णतः अनुपालन, निविदा/आदेश में उपदर्शित अवधि के भीतर किया जाएगा प्रदाय तब तक पूरा हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसका गंतव्य स्थान पर निरीक्षण नहीं कर लिया जाता और उसे पास नहीं कर दिया जाता।

7. आदेश में उपदर्शित अवधि के भीतर परिदान करने में असफल रहने की दशा में आदेश, कोई सूचना दिए बिना ही रद्द किया जा सकेगा। माल की तुरंत आवश्यकता है, अतः परिदान की अवधि बढ़ाई जाने के अनुरोध पर साधारणतया विचार नहीं किया जाएगा।

8. यदि ठेकेदार आदेश की गई पूर्ण मात्रा का प्रदाय करने में असफल रहता है या अनुमोदित विनिर्देश और/या नमूने के अनुसार पूर्ण मात्रा निविदत्त करने में असफल रहता है अथवा किसी अन्य रूप में संविदा पूरी करने में चूक करता है या यदि संविदा पूर्ण नहीं की जाती है तो ठेकेदार, कम प्रदाय के लिए या उसके कारण हुई असुविधा के लिए सरकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए जिमेदार होगा।

रजिस्ट्री डाक से

टेलीफोन :
टेलेक्स :
एल एस सी जी एच क्यू कोट करते हुए उत्तर, महानिदेशक को भेजें।

तटरक्षक मुख्यालय,
सामग्री निदेशालय,
"ई" ब्लाक इटमेंट्स,
र०नि० डाकघर नई दिल्ली-110001.
———, 1987

————————————————————के प्रदाय के लिए

प्रदाय आदेश सं०——————————, तारीख——————————।

प्रिय महोदय,

कृपया अपना पत्र सं०——————————का अवलोकन करें।

2. प्रदाय आदेश के उपाबंध———————————————————में उल्लिखित सामान की बाबत स्याही से हस्ताक्षरित ऊपर उल्लिखित प्रदाय, आदेश इसके साथ अग्रेषित किया जा रहा है।

3. निम्नलिखित दस्तावेजें संलग्न हैं :–

(क) विक्रय कर की रियायती दर के लिए प्ररूप "घ"/"क च"।

(ख) चुंगी छूट प्रमाणपत्र।

4. प्रदाय स्वीकृत कर लिए जाने/पूरा कर दिए जाने के पश्चात् आप निम्नलिखित दस्तावेजें तटरक्षक मुख्यालय को शीघ्र भेज दें जिससे कि संदाय शीघ्र किया जा सके :–

(क) रसीद सहित बिल, तीन प्रतियों में, जिस पर सम्यकतः स्टांप लगे हों।

(ख) प्रदाय आदेश की मूल प्रति।

(ग) 95 प्रतिशत संदाय के लिए निरीक्षण टिप्पण की प्रति सं० 1 और शेष 5 प्रतिशत संदाय के लिए परेषिती (तियों) द्वारा निरीक्षण टिप्पण की, सम्यक् रसीद सहित, प्रति सं० 2 और 5।

(घ) माल के प्रेषण के साक्ष्यस्वरूप रेल रसीद की तथा ऊपर (ग) में बताए गए अनुसार परेषिती (तियों) को दी गई मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति।

(ङ) परेषिती (तियों) द्वारा सम्यक् रसीद सहित निरीक्षण टिप्पण (प्रति सं० 2 और 5) के प्रस्तुत किए जाने पर 100 प्रतिशत संदाय।

(च) प्रदाय आदेश के खण्ड 21(च) के अनुसार प्रत्याभूति प्रमाणपत्र दो प्रतियों में।

5. परेषिती को मूल प्रेषण दस्तावेजें तीव्रतम गति वाले साधन से भेजी जाएंगी जिससे कि परेषण की निकासी कराई जा सके।

6. आपसे अनुरोध है कि संलग्नक सहित इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर सूचित करें।

भवदीय

समादेष्टा

उपनिदेशक (संभरण)

कृते महानिदेशक

प्रति निम्नलिखित को :

परेषिती

निरीक्षक अधिकारी

संदाय कार्यालय

भारसाधक अधिकारी,
तटरक्षक भंडार डिपो,
मानखुर्द, मुंबई-400088.

रक्षा लेखानियंत्रक (नौ) त०र० सेल नौसेना संदाय कार्यालय, मार्फत् फ्लीटमेल कार्यालय, मुंबई-400001 (प्रति मेल पर हस्ताक्षर स्याही से करें)

समादेष्टा
तटरक्षक प्रदेश (पश्चिम)
प्रभादेवी डाकघर
मुंबई।

समादेष्टा,
तटरक्षक प्रदेश (पूर्व)
फोर्ट संत जार्ज, मद्रास।

समादेष्टा,
तटरक्षक प्रदेश (सं० और नी०)
पोर्ट ब्लेयर।

डी० पी० आई० (नौसेना)
वेस्ट ब्लाक-5, राम कृष्ण पुरम
नई दिल्ली-110022.।

डी० डब्ल्यू० पी०/डब्ल्यू० एच० क्यू०
एच ब्लाक, नई दिल्ली-110011.

तटरक्षक मुख्यालय

प्रदाय आदेश सं० त०र०मु०/——————————————तारीख——————

1. निर्गमन कार्यालय

महानिदेशक
(सामग्री निदेशक)
तटरक्षक मुख्यालय
"ई" ब्लाक हटमेंट्स,
रक्षा मुख्यालय डाकघर,
नई दिल्ली-110011.

2. प्रदायकर्ता का नाम और पता——————————————

3. प्रदायकर्ता का कोटेशन संख्यांक और तारीख——————————

4. सामान का वर्णन — जैसा कि उपाबंध 1 में है।

5. आरेखन/विनिर्देश/अनुबंध, जिनके अनुसार प्रदाय किया जाना है——————

6. अपेक्षित मात्रा — जैसा कि उपाबंध 1 में है।

7. प्रति इकाई कीमत — जैसा कि उपाबंध में है। ऊपर बताई गई कीमत में विक्रय कर सम्मिलित नहीं है। उसका संदाय, प्रदाय के समय विधिक रूप में उद्ग्रहणीय दर पर अलग से किया जाएगा। प्ररूप "घ" मांग किए जाने पर दिया जाएगा। कीमत अन्यथा पक्की और निश्चित है।

8. कुल कीमत

9. प्राधिकार

10. परिदान अनुसूची

11. निरीक्षण

(क) निरीक्षक प्राधिकारी

(ख) निरीक्षक अधिकारी

(ग) निरीक्षण का स्थान : फर्म का परिसर

12. प्रेषण अनुदेश : निरीक्षक अधिकारी द्वारा निरीक्षित और स्वीकृत कर लिए जाने के बाद सामान परेषिती को मुंबई भेज दिया जाएगा।

13. प्रेषण का ढंग : परिदान रेल से/सड़क से (मालभाड़ा पूर्व संदत्त)/द्वार पर।

14. चिह्नांकन अनुदेश : पैकेज तटरक्षक मुख्यालय प्रदाय आदेश सं० त०र० मु०——————————चिह्नांकित करके भारसाधक अधिकारी, तटरक्षक भंडार डिपो, मानखुर्द, मुम्बई को प्रेषित करें।

15. परेषिती : भारसाधक अधिकारी, तटरक्षक भंडार डिपो, मानखुर्द, मुंबई।

16. संदाय प्राधिकारी : रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) तटरक्षक सेल, मार्फत नौसेना संदाय कार्यालय, फ्लीट डाक कार्यालय, मुंबई।

17. लेखा-शीर्ष : उपशीर्ष
मुख्य शीर्ष

18. पहचान और पैकिंग अनुदेश	:	सामान; भारत सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय डाले बिना, सुरक्षित रूप में ऐसे पैक किया जाएगा कि अभिवहन के दौरान उसे नुकसान न पहुंचे और परेषिती के पास उपयोगी और सेवा योग्य दशा में पहुंच जाए। पैकिंग निरीक्षक अधिकारी के समाधान-प्रद रूप में की जाएगी। फिर भी प्रदायकर्ता, अभि-वहन के दौरान पैकिंग की उपयुक्तता के लिए जिम्मेदार रहेगा। पैकेजों पर प्रदाय आदेश संख्यांक और तारीख, परेषिती का पता तथा परेषिती के संबंध में अन्य आवश्यक ब्यौरा स्पष्टतः लिखा जाए।
19. निरीक्षक को सूचना	.	प्रदायकर्ता, अग्रिम नमूनों के, यदि अपेक्षित हों तो या थोक-निविदान से पूर्व निरीक्षक अधिकारी को कम से कम एक सप्ताह की सूचना देगा।
20. परीक्षण सुविधा	:	प्रदायकर्ता निरीक्षक को, उसके द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों के लिए, सभी परीक्षण सुविधाएं देगा।

21. विशेष अनुदेश :—

(क) यदि विक्रय कर का विधिक रूप में उद्ग्रहण और वास्तव में संदाय किया गया है तो उसका अलग से संदाय किया जाएगा। यदि प्रदायकर्ता विक्रय कर का दावा करता है तो उससे अनुरोध है कि वह विक्रय कर के लिए अपने सुसंगत बिलों पर, तारीख सहित हस्ताक्षर करके, निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे :—

"प्रमाणित किया जाता है कि वह माल, जिस पर विक्रय कर प्रभारित किया गया है, विक्रय कर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन छूट प्राप्त माल नहीं है और इस माल पर विक्रय कर लेखे प्रभार, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, सही है।"

(ख) प्रत्येक पूर्ण परेषण की 95 प्रतिशत कीमत का संदाय, संबंधित संदाय प्राधिकारी, निम्नलिखित दशाओं में करेंगे :—

(i) परेषिती को सामान के प्रेषण का सबूत प्राप्त होने पर ;

(ii) प्रेषण के पूर्व निरीक्षक द्वारा जारी किए गए टिप्पण के प्रस्तुत किए जाने पर ;

(iii) उस रेल रसीद के संख्यांक और तारीख की सूचना मिलने पर, जिसके अधीन प्रभारित थोक माल रेल द्वारा प्रेषित किया गया है; और

(iv) उस पत्र का संख्यांक और तारीख, जिसके अधीन सामान प्रेषित किया गया है, बिल पर लिखा जाएगा। रसीद सहित बिल परेषिती के माध्यम से न भेज कर सीधे इस मुख्यालय के नाम में भेज दिया जाएगा। प्राप्ति रसीद सहित बिल के साथ मूल प्रदाय आदेश भी संलग्न किया जाएगा।

(ग) शेष 5 प्रतिशत का संदाय, परेषिती द्वारा सामान या उसका कोई भाग अच्छी दशा में प्राप्त होने पर तथा परेषिती द्वारा सम्यक्तः पृष्ठांकित निरीक्षण टिप्पण की प्रति सं० 2 और 5 प्रस्तुत कर दिए जाने पर, किया जाएगा।

(घ) सामान किसी भी कारणवश, इस संविदा के निरीक्षण खण्ड में अनुध्यात रूप में निरीक्षक अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना, परिदत्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ङ) यह संविदा, विधि के अधीन यथा विहित अपरिहार्य घटना खण्ड के अधीन है।

(च) इस संविदा के अधीन प्रदाय किए गए सामान के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी प्राप्ति की तारीख से 12 मास की अवधि के लिए प्रदायकर्ता ने यह वारंटी दी है कि ऐसा सामान डिजाइन, सामग्री, कार्यकौशल, निष्पादन की दृष्टि से दोषरहित है।

(छ) अभिवहन, बीमा, यदि कोई हो, विनिर्माता/प्रदायकर्ता के लेखे होगा :—

(i) अन्तराज्यीय परिवहन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा उद्गृहीत चुंगी प्रभार आदि का वहन प्रदायकर्ता करेगा।

(ii) कीमत में पैक करने का और प्रेषण प्रभार सम्मिलित है।

22. संविदा रद्द करने का अधिकार :

यदि प्रदायकर्ता सामान का प्रदाय इस संविदा में विहित रीति में और उल्लिखित समय के भीतर करने में असफल रहता है तो सरकार यह संविदा रद्द करके उस तारीख को बकाया सामग्री, प्रदायकर्ता की जोखिम और खर्च पर, अन्यत्र से प्राप्त कर सकेगी।

23. परिनिर्धारित नुकसानी :

यदि प्रदायकर्ता, प्रदाय-आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख/तारीखों तक परिदान के लिए सामान तैयार रखने में असफल रहता है तो क्रेता, स्वविवेकानुसार उस समय तक संदाय रोक सकता है जब तक कि संपूर्ण सामान का प्रदाय नहीं कर दिया जाता और वह प्रदायकर्ता से, परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, न कि शास्ति के रूप में, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए, अपरिदत्त माल की प्रदाय-कीमत की दो प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती कर सकेगा या वसूल कर सकेगा। किन्तु यदि विलंब ऐसे किसी कारण-वश होता है जो प्रदायकर्ता ने क्रेता को तुरंत सूचित कर दिया है और क्रेता अतिरिक्त समय के लिए उचित आधार के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है तो इस प्रकार स्वीकृत अतिरिक्त समय के लिए कोई परिनिर्धारित नुकसानी उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

भवदीय,

( )

कोमोडोर

निदेशक (सामग्री)

कृते महानिदेशक

तारीख :

टेलीफोन :

टेलेक्स नं० :

तार : तटरक्षक

भारत सरकार

तटरक्षक मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय

"ई" ब्लाक हटमेंट्स, र० से० मु० डाकघर, नई दिल्ली-110011

प्रदाय आदेश सं०————————

तारीख————————

1.	क्रेता	:	भारत के राष्ट्रपति, मार्फत तटरक्षक महानिदेशक, (सामग्री-निदेशक), नई दिल्ली, भारत।
2.	प्रदायकर्ता (ठेकेदार)	:	
3.	अपेक्षित मदों का ब्यौरा :		उपाबंध 1 के अनुसार।
4.	प्रदायकर्ता का निर्देश :		पत्र सं०————————
5.	परिदान की तारीख	:	
6.	प्रेषण की रीति	:	समुद्री मार्ग से, मालभाड़ा देय आधार पर, पोत-परिवहन केवल "भारतीय जलयानों" द्वारा किया जाएगा। उनके उपलब्ध न होने पर ऐसे गैर पाकिस्तानी जलयानों/वायु-यान द्वारा किया जाएगा जो पाकिस्तानी पत्तनों को न जाते हों या जिस पर पाकिस्तानी ध्वज न लगा हो और जिसका संचालन पाकिस्तानी कर्मी दल न करते हों।
7.	पत्तन परेषिती	:	पोत आरोहण मुख्यालय, पो० बाक्स नं० 331, मुंबई।
8.	अंतिम परेषिती	:	भारसाधक अधिकारी, तटरक्षक भंडार डिपो, मानखुर्द, मुंबई।
9	परेषण और पैकिंग चिह्नांकन अनुदेश	:	(क) सामान, समुद्र द्वारा ढुलाई के लिए, सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। (ख) पैकेज/पैकेजों पर, तटरक्षक मुख्यालय प्रदाय आदेश सं० त०र०मु०/———————— अंकित किया जाएगा और वह/वे भारसाधक अधिकारी तटरक्षक भंडार डिपो, मानखुर्द, मुंबई के पते पर भेजा जाएगा/भेजे जाएंगे। (ग) इस संविदा से संबंधित सभी वाउचरों, बीजकों और पत्राचार पर प्रदाय आदेश संख्यांक कोट किया जाएगा।

10. पोत परिवहन दस्तावेज ।	:	(क) मूल वहनपत्र, बीजक, परीक्षक प्रमाणपत्र, निरीक्षण टिप्पण, पैकिंग सूची, वारंटी/गारंटी प्रमाणपत्र के साथ परक्राम्य दस्तावेजों के चार सेट बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे ।
		(ख) परक्रामक बैंक के माध्यम से प्रेषित पोत परिवहन दस्तावेजों के अतिरिक्त, अपरक्राम्य वहनपत्र के साथ पोत परिवहन दस्तावेजों के तीन सेट, तटरक्षक मुख्यालय को रजिस्ट्री हवाई डाक से सीधे भेज दिए जाएंगे जिससे कि वे, पत्तन पर परेषण के पहुंचने के पूर्व, त०र०मु० पहुंच जाएं ।
11. निरीक्षण	:	(क) इस संविदा के अधीन आदिष्ट सामान का निरीक्षण; इस मुख्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, पैकिंग के पूर्व, किया जा सकेगा । प्रदायकर्ता को उस तारीख की कम से कम दो सप्ताह की सूचना देनी होगी जिस तक सामान या उसका कोई भाग प्रेषण के लिए तैयार होगा ।
		(ख) इस संविदा के अधीन क्रय किया गया माल आपकी वारण्टी पर स्वीकार किया जाएगा ।
12. परिदान के निबंधन	:	पोतपर्यन्त निःशुल्क ।
13. संविदा का मूल्य	:	
14. संदाय के निबंधन	:	अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र द्वारा, जो ठेकेदार द्वारा आदेश स्वीकार कर लिए जाने के बाद खोला जाएगा और सामान्य पोत परिवहन दस्तावेजों सहित दर्शनी ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने पर संदेय होगा ।
15. उस लेखा अधिकारी का पदनाम जिसके विरुद्ध इस संविदा के अधीन विकलन किया जाएगा	:	रक्षा लेखा नियंत्रक (मुख्या०), बी 1 ब्लाक, सेना भवन, र०से०मु० डाकघर, नई दिल्ली-110011.
16. व्यय, माल निकासी और निर्मुक्ति टिप्पण करने वाला प्राधिकार ।		
17. भारत में संदाय के निबंधन	:	माल भाड़ा, बीमा और निकासी प्रभार (यदि कोई हों) का संदाय, रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) तटरक्षक सेल, मुंबई द्वारा विधिमान्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित बिल प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा ।
18. लेखा-शीर्ष	:	अनुदान सं० 34—मुख्य शीर्ष 237, उपशीर्ष ए2(6) राजस्व, गौण शीर्ष 101.
19. आयात निकासी स्वीकृत ।	:	
20. भारतीय अभिकर्ता का नाम और पता	:	
21. वारण्टी	:	माल का प्रदाय आदेश के अनुसार किया जाएगा और वह सभी त्रुटियों तथा दोषों से मुक्त होगा । यदि माल, भारत में अंतिम परेषिती को प्राप्त होने पर, त्रुटिपूर्ण या आदेश के अनुसार नहीं पाया जाता है तो प्रदायकर्ता उसे निःशुल्क, जिसमें मालभाड़ा और उठाई-धराई प्रभार सम्मिलित होंगे, बदलेगा । ये मानक शर्तें बदले गए माल को भी लागू होंगी ।

22. विशेष अनुदेश : (क) अंतिम परेषिती के भांडागार में परेषण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उसे, प्रदायकर्ता और परेषिती के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, खोला जाएगा। यदि उसमें कोई अंतर/कमी पाई जाती है तो उसकी प्रदायकर्ता निःशुल्क पूर्ति करेगा।

(ख) प्रदायकर्ता, पोत परिवहन के दौरान सामान को होने वाली किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जिसके बारे में निरीक्षण अभिकरण यह स्थापित कर देता है कि ऐसी हानि या नुकसान अपर्याप्त पैकिंग के कारण हुआ है। ऐसी दशा में प्रदायकर्ता ऐसी हानि या नुकसान की जिसमें माल भाड़ा प्रभार सम्मिलित होगा, अपने खर्च पर पूर्ति करेगा।

(ग) प्रदायकर्ता, भारत में निरीक्षण के दौरान अस्वीकृत सामान की बाबत निःशुल्क प्रतिस्थापन/मुजरा, भारत में उसके पहुंचने के 12 मास के भीतर, करेगा।

(घ) आपका भारतीय अभिकर्ता, परेषिती को, अन्य रूढ़िगत सेवाओं के अतिरिक्त परेषण की निकासी सामान एकत्र करने और हानि/नुकसान, यदि कोई हो, अनुप्रमाणित करने में सहायता करेगा।

( )

कोमोडोर,

सामग्री निदेशक

तारीख :

टेलीफोन :

टैलेक्स :

रजिस्ट्री डाक से

तटरक्षक मुख्यालय,

सामग्री निदेशालय,

"ई" ब्लाक हटमेंट्स,

र०से०मु० डाकघर,

नई दिल्ली-110011.

सं०———————

मै०———————

———————

बाई———————के लिए बेस और डिपो फालतू पुर्जे।

प्रिय महोदय,

1. यह मुख्यालय, ऊपर उल्लिखित उपस्कर के लिए, जो मै०——————— को, उसके पत्र सं०———————के संबंध में आपकी फर्म द्वारा प्रदाय किए गए थे, बेस और डिपो के फालतू पुर्जों के लिए क्रय-आदेश देना चाहता है।

2. यह अनुरोध है कि 5 वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त उपस्कर के अनुरक्षण के लिए तथा मेजर ओवरहाल के लिए, आप अपेक्षित बेस और डिपो के फालतू पुर्जे, सब उप समुच्चय के लिए, जिसमें मुद्रित परिपथ बोर्ड सम्मिलित है, स्थिर कोटेशन (3 मास तक विधिमान्यता), पुर्जों की पहचान सूची के साथ, इस मुख्यालय को भेज दें।

3. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखें :—

(क) कोटेशन, 90 दिन के लिए विधिमान्य होगा।

(ख) सभी मदों के लिए, न कि किसी पैकेज के लिए, पृथक इकाई कीमत कोट की जाए।

(ग) आपके द्वारा कोट की गई कीमत में पैकिंग और अग्रेषण प्रभार सम्मिलित होंगे किन्तु उसमें यथा लागू सभी कर और शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे, जो अतिरिक्त रूप में संदेय होंगे। —

(घ) पैकिंग, अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार या निरीक्षक के समाधानप्रद रूप में ऐसे किया जाएगा कि माल को अभिवहन में कोई नुकसान न हो।

(ङ) अभिवहन-बीमा के लिए अलग से कोई संदाय नहीं किया जाएगा और आप गंतव्य स्थान तक माल के सुरक्षित रूप में पहुंचने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(च) परिदान की अवधि की गणना, प्रदाय आदेश की तारीख से की जाएगी।

(छ) मदों का परीक्षण/निरीक्षण आपके संकर्म पर, इस मुख्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट निरीक्षक द्वारा किया जाएगा और ऐसे परीक्षण आदि के लिए आप उसे, सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

(ज) त्रुटिपूर्ण सामग्री और कार्यकौशल की बाबत गारण्टी, प्रेषण की तारीख से 18 मास के लिए या परेषिती द्वारा उनकी प्राप्ति की तारीख से 18 मास के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दी जाएगी।

(झ) **संदाय के निबंधन:** प्रत्येक परेषण की कीमत के 95 प्रतिशत का संदाय, परेषिती को सामान के प्रेषण के सबूत पर, किया जाएगा। शेष 5 प्रतिशत का संदाय, परेषिती को परेषण ठीक दशा में प्राप्त हो जाने पर, किया जाएगा।

4. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने कोटेशन में यह पुष्ट करें कि ऊपर उल्लिखित अपेक्षाएं आपको स्वीकार्य हैं और वे प्रदाय आदेश में, जब उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, सम्मिलित कर ली जाएंगी।

5. यदि आप शीघ्र कार्रवाई करेंगे तो प्रसन्नता होगी।

भवदीय,

टेलीफोन : 3010417
टेलेक्स 31-5539

रजिस्ट्री डाक से
तटरक्षक मुख्यालय,
सामग्री निदेशालय,
"ई" ब्लाक हटमेंट्स
र०से०मु०डाक घर,
नई दिल्ली-110011.

एल एस/त०र०मु०/
रक्षा लेखा नियंत्रक (मुख्यालय)
डी-ब्लाक, 5वीं मंजिल
सेना भवन, नई दिल्ली-110011.

1986

प्रत्यय पत्र का खोला जाना

संदर्भ : भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का पत्र सं०————————————
तारीख————————, जिसमें————————————रु० की राशि के लिए प्रत्यय पत्र उपाप्त करने और खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इस मुख्यालय का प्रदाय आदेश सं०————————तारीख————————के संदर्भ में,——

2. यह कथन किया जाता है कि :—

(क) प्रत्यय पत्र, मै०————————————के पक्ष में————————————के लिए खोला जाना है।

(ख) प्रत्यय पत्र तारीख————————को खोला जाएगा।

(ग) परेषण की लदाई————————पत्तन पर की जाएगी।

(घ) परेषण की उतराई मुंबई के पत्तन पर की जाएगी।

(ङ) प्रत्यय पत्र————————————दिन के लिए विधिमान्य होना चाहिए।

3. निम्नलिखित दस्तावेजें संलग्न है :—

(क) भारत सरकार के निर्देशाधीन पत्र की पांच प्रतियां।

(ख) प्ररूप सं० 2 की पांच प्रतियां।

(ग) ऊपर कोट किए गए इस मुख्यालय के प्रदाय आदेश की दो प्रतियां।

4. यह अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक, संसद् मार्ग, नई दिल्ली के माध्यम से अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय-पत्र खोलने के लिए कृपया शीघ्र कार्रवाई करें।

5. यह भी अनुरोध है कि संलग्नकों सहित इस पत्र की प्राप्ति सूचित करें।

( )

संलग्नक : जैसा ऊपर कथित है।

ले० कर्नल/कमोडोर

सहायक निदेशक (लाग)

कृते महानिदेशक

(दो रुपए के न्यायिकेत्तर स्टांप-पत्र पर दिया जाए)

सम्पत्ति शपथपत्र का प्ररूप

मैं,——————————संपत्ति सं०——————————
का पट्टेदार, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता हूं कि :—

1. श्री——————————मेरा नियत अटर्नी है, देखिए तारीख——————————
को मेरे द्वारा उन के पक्ष में निष्पादित मुख्तारनामा।

2. मैंने उक्त मुख्तारनामा प्रतिसंहृत नहीं किया है और उक्त व्यक्ति अभी भी मेरा अटर्नी है।

3. उसने श्री——————————के पक्ष में संपत्ति सं०——————————
——————————की बाबत विक्रय-अनुज्ञा की मंजूरी के लिए भूमि और विकास अधिकारी से आवेदन किया है और यदि ऐसी अनुज्ञा मेरे उक्त अटार्नी को दे दी जाती है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभिसाक्षी

मैं,——————————ऊपर नामित अभिसाक्षी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 3 की अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सत्य है।

तारीख——————————को——————————में इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसे सत्यापित किया गया।

——————————

अभिसाक्षी

शपथपत्र

(दो रुपए के न्यायिकेतर स्टांप-पत्र पर दिया जाए)

शपथपत्र

(क) मैं——————————, श्री——————————
का पुत्र और——————————का निवासी हूं, और श्री——————————
——————————की संपत्ति सं०——————————
का आशयित क्रेता हूं तथा जिससे भूमि और विकास अधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक शपथपत्र देने की अपेक्षा की गई है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/शपथ लेता हूं और घोषणा करता हूं कि मेरे स्वामित्व में, न तो मेरे नाम में और न किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, दिल्ली/नई दिल्ली/छावनी में ही कोई आवासिक प्लाट/घर है।

(ख) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि न तो मेरी पत्नी/मेरे पति और न मेरे आश्रित बच्चों और न मेरे अन्य आश्रितों के स्वामित्व में, न तो अपने नाम में और न किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, दिल्ली/नई दिल्ली/छावनी में कोई आवासिक प्लाट/घर है।

(ग) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि न तो मैंने अपने नाम से और न किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, न मेरी पत्नी/मेरे पति, आश्रित बच्चों या किसी अन्य आश्रित ने अपने नाम से, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में दिल्ली/नई दिल्ली/छावनी में ऐसे किसी आवासिक प्लाट/घर के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के आशयित पट्टेदार (पट्टेदारों) के साथ, ऐसा प्लाट/घर अंततोगत्वा अर्जित करने के उद्देश्य से, किसी शर्त के अधीन रहते हुए या किसी विशिष्ट घटना के होने पर अथवा ऐसे आशयित पट्टेदार (पट्टेदारों) द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य या व्यतिक्रम के अधीन रहते हुए, कोई करार किया है।

(घ) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने, विधि-अनुसार, जिसके मैं अधीन हूं, वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है।

(ङ) यह कि मेरा, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, यह परिसर अर्जित करने का आशय नहीं है, अर्थात् न तो मेरा आशय कोई बेनामी संव्यवहार करने का है और न ही ऐसा कोई विवाद भविष्य में उठाने का।

(च) यह कि उपर्युक्त शपथपत्र की अंतर्वस्तु सत्य है और उसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और उपर्युक्त विषय से सुसंगत किसी बात को उपरोक्त शपथपत्र में छिपाया नहीं गया है।

―――――――――

अभिसाक्षी

सत्यापन :—

मैं,―――――――――――――――――――――ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा (क) से (ङ) तक की अंतर्वस्तु मेरे वैयक्तिक ज्ञान के अनुसार सत्य है और इसी शपथपत्र के पैरा (च) की अंतर्वस्तु मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है।

तारीख―――――――――――19―――को इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसे सत्यापित किया गया।

―――――――――

अभिसाक्षी

अनुप्रमाणित

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/ उपन्यायाधीश

मजिस्ट्रेट/उप न्यायाधीश इसे अनुप्रमाणित करें

(दो रुपए के न्यायिकेत्तर स्टांप-पत्र पर दिया जाए)

श्री/श्रीमती―――――――――――――――――――――का, जो―――――――――

―――――――――का पुत्र/की पत्नी/पुत्री है और―――――――――――――――――――――

का/की निवासी है, शपथपत्र।

अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता है कि :—

1. श्री―――――――――――――――――――, मेरा पति/पिता था जिसकी तारीख ―――――――――――――को―――――――――――――में मृत्यु हो गई है।

2. मृतक, संपत्ति सं०―――――――――――――――――――――का पट्टेदार था।

3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन मृतक के, मेरे सहित निम्नलिखित वारिस है, अर्थात् विधवा/माता/पुत्र/पुत्रियां और उनके नाम तथा मृतक के साथ उनकी नातेदारी, उनकी आयु और उनके पते नीचे दिए गए हैं :—

नाम	आयु	मृतक के साथ नातेदारी	पता
1.			
2.			
3.			
4.			

4. उपर्युक्त दिए गए नामों के अतिरिक्त मृतक का और कोई अन्य वारिस नहीं है।

5. *मृतक की एक रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत विल है। यह विल असली है और उसे प्रभावी किया जाना चाहिए।

या

*मृतक की कोई विल नहीं है।

(*जो सुसंगत न हो, उसे काट दें।)

―――――――――

6. उपर्युक्त शपथपत्र की अंतर्वस्तु सत्य है और उसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा उपर्युक्त विषय से सुसंगत किसी बात को उक्त शपथपत्र में छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं/हम————————————————, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह स्पष्ट करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 5 की अंतर्वस्तु मेरे/हमारे वैयक्तिक ज्ञान से सत्य और सही है और मेरे विश्वास के अनुसार इसी शपथपत्र के पैरा 6 की अंतर्वस्तु भी सत्य है।

तारीख————————को इस पर हस्ताक्षर किए गए और इसे सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

कृपया ध्यान दें :

1. यह शपथपत्र प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित कराएं।

2. उपर्युक्त स्तम्भ 3 में, माता, विधवा, पुत्रों और पुत्रियों के साथ-साथ मृतक के पूर्वमृत पुत्र/पुत्रों और पूर्व मृत पुत्री/पुत्रियों के वारिसों के नाम भी दें।

3. ————————————————का शपथपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

4. यदि कोई वारिस अपने अधिकारों का त्याग करना चाहता है तो वह उन वारिसों के, जिनके पक्ष में वह अपने अधिकारों का त्याग करना चाहता है, पक्ष में त्यजन विलेख निष्पादित करके उसे रजिस्ट्रीकृत कराएगा। अवयस्क अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है।

5. उन सब को, जो त्यजन विलेख निष्पादित करते हैं और उसे रजिस्ट्रीकृत करा लेते हैं, शपथपत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

6. यदि मृत पट्टेदार ने कोई विल की है तो सभी वारिस शपथपत्र में यह कथन करें कि विल असली है और उसे प्रभावी किया जाना चाहिए।

7. यदि मृतक अरजिस्ट्रीकृत विल छोड़ गया है तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उसकी एक प्रति शपथपत्र के साथ भेजी जाए। यदि रजिस्ट्रीकृत है तो उप-रजिस्ट्रार द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित एक प्रति भेजी जाए।

अपेक्षित विशिष्टियां

मृत्यु-प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।————————

ताजे फलों के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें

1. मैं/हम ताजा फल संविदा अनुसूची में वर्णित स्टेशन पर ताजे फलों का प्रदाय करने का वचनबंध करता हूं/करते हैं।

2. ताजे फलों का प्रदाय संलग्न विनिर्देशों और अनुसूची (आई ए एफ जेड-2121) के परिशिष्ट के पूर्णतः अनुसार ही किया जाएगा।

3. यदि ताजे फलों में, नौसेना द्वारा ग्रहण किए जाने तक, कोई अवक्षयण हो जाता है और/या वे सूख जाते हैं तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार होऊंगा/होंगे और मैं/हम उसके लिए प्रतिकर का कोई दावा नहीं करूंगा/करेंगे।

4. मैं/हम अनुसूची (आई ए एफ जैड-2121) में दिए गए समूहों में फलों की विभिन्न किस्मों का प्रदाय करने का करार करता हूं/करते हैं।

5. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं और करार करता हूं/करते हैं कि संविदा प्रचालन आफिसर, शुष्क फलों में की गई कटौती के बदले में समूह II और III में प्रमाणित गैर निम्न प्रजाति के फलों की मांग कर सकता है और मैं/हम उसकी पूर्णतः पूर्ति करूंगा/करेंगे।

----

6. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अनुसूची के समूह 2 में प्रगणित किस्मों में से कम से कम दो किस्मों के ताजे फल प्रतिदिन दूंगा/देंगे। समूह 2 की इन दो किस्मों में से एक किस्म, समूह 2 के अधीन दी जाने वाली कुल मात्रा के पचास प्रतिशत से अधिक और चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी; परन्तु किसी भी दिन दिए गए ताजे फलों की एक ही किस्म के दो प्रकार के फलों को दो किस्म के फल नहीं माना जाएगा।

7. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि अनुसूची (आई ए एफजेड-2121) में ताजे फलों के अनुकल्प दिए गए हैं।

8. मैं/हम समझता हूं/समझते हैं और करार करता हूं/करते हैं कि इस संविदा के निबंधनों के अनुसार सड़क या रेल द्वारा ताजे फलों के परिवहन के लिए, सशस्त्र बल को उपलब्ध स्रोतों से कोई सहायता उपलब्ध नहीं की जाएगी।

9. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि संविदा प्रचालन आफिसर, जब कभी आवश्यक हो, मेरे/हमारे द्वारा प्रत्येक समूह में से दिन प्रतिदिन दिए जाने वाले फलों की दैनिक किस्में विनिर्दिष्ट करेगा और मैं/हम फलों की इस प्रकार मांगी गई किस्मों का प्रदाय करूंगा/करेंगे।

10. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि किसी अवधि या अवधियों के दौरान टूपों को, प्रचालन आफिसर के, अपने पूर्ण विवेकानुसार टीन-बन्द फलों का प्रदाय किया जा सकेगा और ऐसे मामलों में कम मात्रा में फल लिए जाने या मेरी/हमारी व्यवस्था में व्यवधान होने के लिए मेरा/हमारा प्रतिकर के लिए धनीय या अन्यथा कोई दावा नहीं होगा।

11. मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि उपर्युक्त खण्ड का, उस अतिरिक्त खर्च की पूर्ति करने की बाबत मेरे/हमारे दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो राज्य सरकार को उस दशा में उठाना पड़ता है जब निविदा प्ररूप (आई ए एफ जेड-2121) के खण्ड 7(ii) में अनुबंधित रूप में टिन-बन्द फलों के प्रदाय में मैं/हम व्यतिक्रम करता हूं/करते हैं।

स्टेशन :

तारीख :

निविदाकार के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम

स्पष्ट अक्षरों में नाम

विशेष शर्तें—ताजे आलू और प्याज

1. मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि किसी अवधि/अवधियों में टूपों के लिए संविदा प्रचालन आफिसर के पूर्ण विवेकानुसार टीन-बन्द आलुओं का प्रदाय किया जा सकेगा और उस दशा में मैं/हम कम मात्रा में प्रदाय के लिए या मेरी/हमारी व्यवस्था में हुए व्यवधान के लिए प्रतिकर का, धनीय या अन्यथा, मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा।

मैं/हम यह भी समझता हूं/समझते हैं कि उपर्युक्त खण्ड का, उस अतिरिक्त खर्च की पूर्ति करने की बाबत मेरे/हमारे दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो राज्य सरकार को उस दशा में उठाना पड़ता है जब निविदा प्ररूप (आई ए एफ जेड-2120) के खण्ड 7(ii) में अनुबंधित रूप में टिन-बन्द फलों के प्रदाय में मैं/हम व्यतिक्रम करता हूं/करते हैं।

2. यूनिटें अपने आलुओं के राशन के 1 औंस मूल्य तक के प्याज यदि उपलब्ध हों, प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार ली गई प्याज, आलू संविदा में विनिर्दिष्ट स्रोत से भिन्न स्रोत से लिया जा सकता है।

स्टेशन :

तारीख :

निविदाकारों के हस्ताक्षर

साक्षियों के हस्ताक्षर

ताजे मांस के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें

1. प्रदाय किया जाने वाला मांस ऐसी रीति में चिह्नित और सीलबंद किया जाएगा जैसी कि बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन निर्दिष्ट करे। मैं/हम मांस के छोटे-छोटे टुकड़ों (डाइसेस) और शुल्कों को छोड़कर, अन्य सभी सामग्री स्वयं उपलब्ध करूंगा/करेंगे।

2. **रिजर्व**

(क) मैं/हम प्रतिदिन वध किए जाने वाले पशुओं की औसत संख्या के आधार पर——————— से ——————— तक पशुओं (भेड़) बकरो का कम से कम ——————— दिन का प्रदाय सदैव रिजर्व रखूंगा/रखेंगे।

(ख) मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि ऐसा सभी पशुधन, बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन या उसके प्रतिनिधि और/या पशु चिकित्सा अधिकारी या उसके संबद्ध प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन होगा और मैं/हम ऐसे पशुओं पर संबद्ध बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन द्वारा निर्दिष्ट रूप से ऐसी मोहर लगाऊंगा/लगाएंगे जैसी सरकार प्रदाय करेगी।

(ग) मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि प्रवर्तन अधिकारी या तो प्रतिदिन या अधिक अंतरालों पर, किन्तु सप्ताह मे कम से कम दो बार, अपने द्वारा नियत दिनों और समयों में से किसी भी दिन और समय पर पशुओं का निरीक्षण कर सकेगा और उन्हें स्वीकार कर सकेगा। पश्चात्-कथित मामले पर, मैं/हम यह भी जानता हूं/जानते है कि मुझे/हमें निरीक्षण की दो अवधियों के बीच प्राक्कलित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रिजर्व में अतिरिक्त पशु रखने होंगे जिससे कि रिजर्व में पशुओं की संख्या किसी भी समय एक दिन के लिए अपेक्षित संख्या से कम न रह जाए।

यदि किसी भी समय रिजर्व, विहित सीमा से कम रह जाता है तो बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर, उतने पशु क्रय कर सकेगा जितनों से उक्त रिजर्व में कमी की पूर्ति हो जाए और मैं/हम यह करार करता हूं/करते है कि मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर इस प्रकार क्रय किए गए पशुओं का पोषण, अनुरक्षण, वध और देखभाल मैं/हम उसी रीति से करूंगा/करेंगे जिस रीति से मैं/हम इस संविदा के अधीन मेरे/हमारे द्वारा उपाप्त और दिए जाने वाले पशुओं का करता हूं/करते हैं।

3. ऐसा समस्त पशुधन बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन या उसके प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन होगा। मैं/हम——————————————तक रिजर्व ले लूंगा/लेंगे। संविदा के अधीन रिजर्व रखे जाने वाले समस्त पशुधन का——————————————में स्थित सरकारी बूचड़खाने के भीतर पालन पोषण किया जाएगा। यदि इन भवनों से उचित दूरी के भीतर कोई चारागाह नहीं है तो मंजूरी प्राधिकारी, ठेकेदार को अनुज्ञा दे सकेगा कि वह पास किए गए या पास किए जाने वाले सभी ऐसे पशुओं को, जिनका संविदा के अधीन अनुरक्षण ठेकेदार को करना हो, ऐसे स्थान पर रखे जो मंजूरी प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि ने पहले ही अनुमोदित कर दिया हो और जहां उपयुक्त और पर्याप्त चरागाह उपलब्ध हो तथा जिसका संबद्ध नौसेना प्राधिकारी, सुविधाजनक रूप में निरीक्षण कर सकता हो। ठेकेदार चरागाह खर्च के लिए या किसी अन्य कारणवश किसी अतिरिक्त प्रभार का हकदार नहीं होगा।

4. संविदा में अनुबद्ध रिजर्व में से मेरे/हमारे द्वारा वध किए जाने के लिए चयन किए गए पशुओं का मेरे/हमारे द्वारा वध तथा दरेसी प्रसाधन, बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन या उसके प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण में किया जाएगा, किन्तु तब नहीं जब प्रदाय फौजियों को शिविर में किया जाना हो जिस दशा में वध ऐसे पर्यवेक्षण में किया जाएगा जो बेस रसद आफिसर भारतीय नौसेना, कोचीन निर्दिष्ट करेगा। मैं/हम निरीक्षण के पूर्व या पश्चात् पास न की गई भेड़/बकरियों को सरकारी बूचड़खाने के परिसर में नहीं रखूंगा/रखेंगे। मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि पहले पास कर दिए गए किन्तु बाद में बेस रसद आफिसर; भारतीय नौसेना, कोचीन या उसके प्रतिनिधि द्वारा रखे जाने के लिए उपयुक्त न समझे गए पशुओं को मैं/हम तुरंत बदल दूंगा/बदल देंगे और मैं/हम इस कारण किसी धन संबंधी या अन्यथा प्रतिकर के हकदार नहीं होऊंगा/होंगे। मैं/हम सभी नामंजूर की गई भेड़/बकरियां तुरंत हटा लूंगा/लेंगे।

5. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि वध किए जाने के लिए चुने गए पशुओं, उनके वध किए जाने से कम से कम 12 घंटे पहले से या बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन या उसके प्रतिनिधि द्वारा बताए गए समय से पानी के सिवाय कोई भोजन नही दूंगा/देंगे।

6. यदि कोई सरकारी पशु अनुपयोगी हो जाता है किन्तु राशन के रूप में पास कर दिया जाता है या किसी अन्य कारणवश ऐसे पशु का वध किया जाना आवश्यक हो जाता है तो मैं/हम यह करार करता हूं/करते है कि मैं/हम इस प्रयोजन के लिए उसे ले जाऊंगा/जाएंगे और उसका निःशुल्क और बिना किसी पारिश्रमिक के वध करूंगा, सफाई करूंगा और उसे काटूंगा/काटेंगे। इस प्रकार प्रदाय किए गए मांस का मूल्य मेरे/हमारे बिल (बिलों) से वसूल किया जाएगा और इन पशुओं के मांसावशिष्ट सरकार की संपत्ति रहेंगे तथा मैं/हम उसे, राज्य के सर्वोत्तम हित में उसके निपटान के लिए, बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन को सौंप दूंगा/देंगे। यदि मुझसे/हमसे सामान्य मात्रा से कम मात्रा में माल लिया जाता है तो उसके लिए मैं/हम प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करेंगे।

बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन या पशु चिकित्सा या चिकित्सा अधिकारी पशुशव का, जारी किए जाने से पहले, किसी भी समय निरीक्षण करने का और किसी पशुशव या उसके भाग को या मांसावशिष्ट को, जो उसकी राय में रोगयुक्त, खराब, अस्वास्थ्यकर या अन्यथा फौजियों को दिए जाने के लिए अनुपयुक्त है, रद्द करने का हकदार होगा। अस्पताल के लिए अपेक्षित मात्रा में यकृत का प्रदाय मांग किए जाने पर, ताजे मांस की संविदा-दर पर किया जाएगा।

7. वध किए गए पशुशव, फौजियों को दिए जाने से पहले, सुखाने के लिए मौसम के अनुसार, अधिकतम 48 घंटे तक लटकाएं जाएंगे।

8. वध किए जाने के लिए प्रत्येक रिजर्व पशु को स्वस्थ, उपयुक्त और भलीभांति पोषित रखा जाएगा। वध किए जाने से पहले प्रत्येक पशु का निरीक्षण किया जाएगा और यदि कोई पशु अनुपयुक्त, रोगी, कुपोषित या वध किए जाने के लिए किसी भी प्रकार अयोग्य पाया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा और उस पर क्रास चिह्न लगा कर ऐसे रिजर्व पशुओं पर लगा ब्रांड चिह्न रद्द कर दिया जाएगा। ठेकेदार, उसके बदले तुरंत दूसरा पशु लाएगा या बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन ठेकेदार को जोखिम और खर्च पर ऐसे पशु के बदले अन्य कोई पशु प्राप्त कर लेगा।

9. प्रशासनिक प्राधिकारी, जब वांछनीय समझे, पैरा 8 में निर्दिष्ट रिजर्व स्टाक के अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री के प्रदाय की बाबत मुझे/हमें निदेश दे सकेगा। भोजन का वर्णन और मूल्य 20 पौंड धान की भूसी की स्थानीय बाजार-दर से अधिक नहीं होगा।

10. मैं/हम यह जानता हूँ/जानते हैं कि बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना, कोचीन या उसका प्रतिनिधि, उपर्युक्त पैरा 9 में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी मान्यता प्राप्त वर्णन का चारा वध किए जाने वाली भेड़/बकरी को खिला सकेगा और चारे की स्थानीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, दी जाने वाली वास्तविक मात्रा नियत कर सकेगा।

11. जहां सरकारी बूचड़खाने के परिसर और पशुशालाओं में जल उपलब्ध है वहां बूचड़खाने की सफाई और पशुओं को पिलाने के लिए, जल ऐसे स्रोतों से मुझे/हमें दिया जाएगा।

12. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम. सरकारी बूचड़खाने और/या यूनिट राशन स्टेण्ड से ऐसे पशुशवों को तुरंत हटा दूंगा/देंगे जिन्हें पशु चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी सिस्ट या टायनिक सिगनाइट (टेपर फार्म) या इसी प्रकार की अन्य क्षति से संक्रामित घोषित करता है और मैं/हम इस कारण धन संबंधी या अन्यथा किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होऊंगा/होंगे।

13. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि पशुओं के शवों को लटकाने के लिए रस्सियों का प्रयोग प्रतिषिद्ध है और इस प्रयोजन के लिए, जस्ता चढ़ी लोहे की चेन का प्रयोग किया जाएगा। मैं/हम अपने खर्च पर इन चेनों की व्यवस्था करूंगा/करेंगे।

14. (क) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम, बूचड़खाने के परिसर, पशुशालाओं आदि की सफाई और विसंक्रामण के लिए सभी आकस्मिक व्यय वहन करूंगा/करेंगे।

(ख) मैं/हम, छावनी, नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए सफाई और अन्य कर देने का करार करता हूं/करते हैं।

15. मैं/हम सरकारी बूचड़खाने और परिसर के उपयोग के लिए किराया, जिसके अंतर्गत जल और विद्युत प्रभार भी हैं, निम्नलिखित समान दर पर देने का करार करता हूं/करते हैं :—

(क) साफ-सुथरे मांस के लिए वध किए गए पशुओं के लिए	75 पैसे प्रति पशु
(ख) जीवित पशुओं के प्रदाय के लिए	30 पैसे प्रति पशु

"मैं/हम यह भी करार करता हूं/करते हैं कि ऊपर वर्णित किराए की मुझसे/हमसे वसूली उन बिलों में से कटौती करके की जा सकेगी जो मैं/हम अपने द्वारा किए गए प्रदाय के लिए संबद्ध रक्षा लेखा नियंत्रक को पाक्षिक/मासिक आधार पर प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।"

16. मैं/हम यह करार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम, सरकारी बूचड़खाने में शेडों और हैंगर के बाहर मेरे/हमारे द्वारा या पशुओं द्वारा प्रयुक्त अस्थायी नादों की संपूर्ण मरम्मत कराऊंगा/करेंगे। सरकारी बूचड़खाने के परिसर को या मेरे/हमारे द्वारा किराए पर ली गई संपत्ति को, मेरे/हमारे द्वारा या मेरे/हमारे कर्मचारियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के लिए संदाय मैं/हम अपने प्रतिभूति निक्षेप से या मुझे/हमें अपने किसी बिल पर शोध्य राशि से, करने के लिए जिम्मेदार हूँ/हैं।

17. मैं/हम यह करार करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे स्थापन द्वारा पशुओं का वध करने, खाल उतारने, सफाई करने तथा जोड़ काटने के लिए प्रयुक्त सभी गंडासों और चाकुओं तथा अन्य उपकरणों को और साधित्रों को तथा राशन तथा भोजन को मैं/हम साफ-सुथरा और सेवायोग्य बनाए रखूंगा/रखेंगे।

18. मैं/हम सरकारी बूचड़खाने के भवनों और परिसरों को साफ-सुथरा रखने के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे और इसके लिए उतने कार्मिक नियोजित करूंगा/करेंगे। जितने इसे सुचारू रूप से करने के लिए अनुज्ञात किए जाएं।

19. मैं/हम अपने द्वारा नियोजित कसाईयों के लिए, जब वे बूचड़खाने में कार्य कर रहे हों, साफ-सुथरे कपड़ों की व्यवस्था अपने खर्च पर करूंगा/करेंगे और प्रत्येक कसाई को एक अतिरिक्त वर्दी भी दूंगा/देंगे जिससे कि वह अपनी वर्दी को धुलवा सकें और सदैव उसे साफ रख सकें। ऐसे व्यक्तियों की, जो मांस की उठाई-धराई करते हैं, चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा विनिश्चित रूप में, स्वास्थ्य-परीक्षा की जाएगी जो निःशुल्क होगी।

20. मैं/हम सभी पशुशवों को ढकने के लिए उपयुक्त आकार की पर्याप्त संख्या में साफ चादरों की व्यवस्था करूंगा/करेंगे और सभी अन्य अवसरों के लिए भी पर्याप्त अतिरिक्त चादरों की व्यवस्था भी करूंगा/करेंगे।

21. मैं/हम संविदा प्रचालन अधिकारी द्वारा आदिष्ट संख्या, आकार और वर्णन के, चिह्नों की व्यवस्था अपने खर्च पर करूंगा/करेंगे और संविदा पर्यन्त उनका ही प्रयोग किया जाएगा।

22. यदि पशुशवों या उनके किसी भाग या मांसावशिष्ट को, जो ठेकेदार की संपत्ति हैं, तथा जो रक्षा सेवाओं के लिए मांस के प्रदाय के प्रयोजन के लिए वध किए जाते हैं और दिए जाते हैं, पश्चात्वर्ती परीक्षा में पशुचिकित्सा सेवा के किसी आफिसर या किसी पशुचिकित्सा सहायक सर्जन या किसी पशुचिकित्सा सेवा अधिकारी के उपलब्ध न होने की दशा में किसी राजपत्रित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है तो वह, रक्षा सेवाओं की व्यवस्था के अधीन नष्ट कर दिए जाएंगे और ठेकेदार को, इस प्रकार नष्ट किए गए पशुशवों या मांसावशिष्ट की बाबत कोई संदाय या प्रतिकर नहीं दिया जाएगा और उसे/उन्हें ऐसे हटाए जाने और नष्ट किए जाने के खर्च की बाबत रक्षा सेवाओं की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

23. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि यदि मेरे/हमारे वाहन में बेस रसद, यार्ड पाइंट या यूनिट लाइन तक ताजे मांस का परिवहन अनुसूची दर के अनुसार किया जाता है तो ऐसे ताजे मांस का परिवहन करने वाले वाहन को उसके अनुसार सुसज्जित किया जाएगा और मक्खी तथा धूल रोधी व्यवस्था, जो स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारियों के परामर्श से बेस रसद ऑफिसर या उसका प्रतिनिधि अनुमोदित करे, की जाएगी। इस बाबत सभी व्यय मैं/हम वहन करूंगा/करेंगे।

साक्षी के हस्ताक्षर — निविदाकार के हस्ताक्षर

ईंधन, लकड़ी का कोयला और अनबुझे चूने के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें

ईंधन :

1. मैं/हम संविदा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थल पर टाल की व्यवस्था ऐसे उपयुक्त स्थल पर किए जाने का करार करता हूं/करते हैं जहां से केन्द्र के सभी यूनिटों को सुविधा-पूर्वक ईंधन दिया जा सके।

2. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम अपनी टाल में 45 दिन (पैंतालीस दिन) के लिए अपेक्षित ईंधन रिजर्व रखूंगा/रखेंगे जिससे कि उसके प्रदाय में कोई रुकावट न पड़े। किसी भी समय ईंधन का स्टाक 45 दिन के लिए अपेक्षित ईंधन की मात्रा से कम नहीं होगा। जिसका संविदा प्रवर्तन अधिकारी या उसका प्रतिनिधि जब वह वांछनीय समझे, निरीक्षण कर सकेगा। रिजर्व ईंधन का मेरे/हमारे द्वारा वर्ष में किसी भी उपयुक्त मौसम में बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के, चीरा जाएगा। 45 दिन के रिजर्व ईंधन में लकड़ी और उसके छिलकों का अनुपात 3: 1 होगा।

3. यदि रिजर्व ईंधन 45 दिन के लिए अपेक्षित ईंधन की मात्रा से कम हो जाता है तो मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि संविदा प्रवर्तन अधिकारी ऐसी कमी पूरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर क्रय कर सकेगा।

4. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम, टाल में सभी आवश्यक कार्य किए जाने के लिए सभी श्रमिकों की व्यवस्था। और उन्हें संदाय करूंगा/करेंगे।

5. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं/कि मैं/हम अपने खर्च पर ऐसी पूर्वावधानियां बरतूंगा/बरतेंगे और ऐसे उपकरणों आदि की व्यवस्था करूंगा/करेंगे जो फ्लैग आफिसर कमांडिग इन-चीफ, नौसेना दक्षिण कमान, कोचीन/स्टेशन कमांडर (या अन्य प्राधिकारी) आग लगने को रोकने और बुझाने के लिए आवश्यक समझता है।

6. यदि मेरी/हमारी टाल बेस रसद यार्ड के भीतर स्थित है तो मैं उसका किराया दूंगा/देंगे।

7. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं और समझता हूं/समझते हैं कि ईंधन मेरे/हमारे रसद यार्ड से दिया जाएगा उसका हिसाब समेकित आई ए एफ जेड-1520 में बेस रसद यार्ड देगा और वह यूनिट के प्रतिनिधि को टाल में सौंप दिया जाएगा तथा वहां से वह मेरे/हमारे वाहन में यूनिट लाइन ले जाया जाएगा।

लकड़ी का कोयला और अनबुझा चूना :

8. मैं/हम अनबुझे चूने और लकड़ी के कोयले का प्रदाय अनुसूची आई ए एफ जेड-2121 में उल्लिखित स्टेशनों पर करने का वचनबंध करता हूं/करते हैं। लकड़ी के कोयले और अनबुझे चूने का परिवहन ऊपर निर्दिष्ट स्टेशनों को मेरी/हमारी व्यवस्था के अधीन मेरे/हमारे खर्च पर किया जाएगा।

9. मैं/हम समझता हूं/समझते हैं कि जब तक कि लकड़ी का कोयला और अनबुझा चूना अंततः सौंप नहीं दिया जाता तब तक के सभी प्रभार, जिनमें अपशिष्ट, हानियां, परिवहन आदि सम्मिलित हैं, मैं/हम वहन करूंगा/करेंगे और उस बाबत किसी प्रतिकार के लिए मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा।

10. प्रदत्त लकड़ी का कोयला और अनबुझा चूना, पूर्णतः संलग्न ए एस सी विनिर्देशों के अनुसार होगा।

साक्षी के हस्ताक्षर | निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) | नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
उपजीविका :
पता :

मछली, अंडों और कुक्कुट के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें

1. ताजी मछली :

(क) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी जाने वाली ताजी मछली, उसके प्रदाय किए जाने के समय, पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुचिकित्सा सहायक सर्जन द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि पशुचिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा सहायक सर्जन द्वारा, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित मछली को मैं/हम पशुचिकित्सा पर्यवेक्षण के अधीन नष्ट कर दूंगा/कर देंगे।

(ग) अनुसूची में दर पूरी मछली के लिए कोट की जानी चाहिए। ठेकेदार को पूरी मछली के भारानुसार मांग और रसीदें दी जाएंगी।

(घ) यदि संविदा प्रवर्तन अधिकारी कटी हुई मछलियों को स्वीकार कर लेता है तो मैं/हम निम्नलिखित रूप में प्रदाय करूंगा और उसके लिए तथा भार में कमी पूरा करने के लिए अतिरिक्त मात्रा के लिए संदाय प्राप्त करूंगा/करेंगे :—

मछली की दशा	किलोग्राम में वास्तविक भार	किलोग्राम में मात्रा जो होनी चाहिए
बिना सिर और पूंछ के आंत वाली मछली	100 प्रति	125
बिना सिर और पूंछ के आंत रहित मछली सिर और पूंछ के साथ आंत वाली मछली	$112\frac{1}{2}$ प्रति	125

(ङ) यदि ताजी मछली के शव या उनका कोई भाग, जो रक्षा सेवाओं के लिए प्रदाय किए गए हैं और जो ठेकेदार की संपत्ति हैं, पश्चात्वर्ती परीक्षा में पशुचिकित्सा सेवा के किसी आफिसर या किसी पशुचिकित्सा सहायक सर्जन या पशुचिकित्सा सेवा अधिकारी के उपलब्ध न होने की दशा में किसी राजपत्रित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है तो वह रक्षा सेवा व्यवस्था के अधीन नष्ट कर दिया जाएगा और ठेकेदार को, इस प्रकार नष्ट किए गए पशुशवों या मांसावशिष्ट की बाबत कोई संदाय या प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। उनके हटाए जाने और नष्ट किए जाने के खर्च की बाबत मैं/हम रक्षा सेवाओं की प्रतिपूर्ति करूंगा/करेंगे।

2. ताजे अंडे :

(क) मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि संविदा प्रवर्तन अधिकारी केवल मुर्गी के अंडों की मांग कर सकता है। मैं/हम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांगे गए मुर्गी के अंडों का ही प्रदाय करूंगा/करेंगे।

3. कुक्कुट :

(i) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए कुक्कुट, साफ किए जाने के पश्चात्, सेना पशु चिकित्सा सेवा के किसी अधिकारी या पशुचिकित्सा सहायक सर्जन द्वारा सेना चिकित्सा सेवा उपलब्ध न होने की दशा में, किसी राजपत्रित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा शव परीक्षण किए जाने पर, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिए जाते हैं तो मैं/हम रक्षा सेवाओं द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के अधीन उनको नष्ट कर दूंगा/देंगे और मैं/हम ऐसे नष्ट कर दिए गए समस्त कुक्कुटों या उनके किसी भाग के लिए कोई संदाय या प्रतिकर प्राप्त नहीं करूंगा/करेंगे और इसके अतिरिक्त कुक्कुट आदि हटाए जाने और नष्ट किए जाने के खर्च की बाबत मैं/हम रक्षा सेवाओं की प्रतिपूर्ति करूंगा/करेंगे।

(ii) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि साफ चिकन और कुक्कुटों का प्रदाय, संविदा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निदेशित रूप में पक्षी को झटके से मारकर या हलाल करके किया जाएगा।

(iii) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि चिकन और कुक्कुटों का वध, सफाई और प्रदाय, नौसेना बूचड़खाने में/या ऐसे किसी अन्य स्थान में, जिसका निदेश संविदा प्रवर्तन अधिकारी दे, किया जाएगा।

(iv) यदि नौसेना बूचड़खाने या किसी सरकारी परिसर में कुक्कुट का वध, सफाई और/या प्रदाय किया जाता है तो मैं/हम ऐसे परिसर के किराए का और आनुपातिक रूप में विद्युत और जल मद्दे प्रभारों का संदाय संविदा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा नियत अनुपात में, अर्थात् कुल किराए का 1/10 भाग जिसके अंतर्गत सभी प्रभार भी हैं, करने का करार करता हूं/करते हैं।

(v) मैं/हम, सरकारी बूचड़खाने और परिसर के प्रयोग के लिए किराए का संदाय, मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त साफ चिकन/मुर्गे के भार के प्रति किलोग्राम पांच पैसे की सपाट दर से, करने का करार करता हूं/करते हैं। जीवित चिकन/मुर्गों के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

(vi) मैं/हम यह भी करार करता हूं/करते हैं कि उक्त किराए की वसूली, प्रदाय की गई सामग्री के लिए मेरे/हमारे द्वारा संबंधित र० लें०नि० को पाक्षिक/मासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए मेरे/हमारे बिल/बिलों से कटौती करके की जा सकती है।

निविदाकारों के हस्ताक्षर
साक्षी के हस्ताक्षर
नाम :
उपजीविका :
पता :

स्टेशन :
तारीख :

ताजी सब्जियों के प्रदाय के लिए विशेष शर्तें

1. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं और यह करार करता हूं/करते हैं कि संलग्न विनिर्देशों और अनुसूची (आई ए एफ जेड 2121) से संबद्ध परिशिष्ट के अनुसार ताजी सब्जियों का प्रदाय करूंगा/करेंगे और ये विनिर्देश इस संविदा के निबंधनों के अनुसार किसी भी स्रोत से प्रदाय की जाने वाली सभी ताजी सब्जियों को, लागू होंगे।

2. मैं/हम यह जानता/हूं जानते हैं कि संविदा प्रवर्तन अधिकारी जब भी आवश्यक समझे, मुझे/हमें प्रत्येक दिन दी जाने वाली सब्जियों की किस्में बताएगा और मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम मांग के अनुसार सब्जियों का प्रदाय करूंगा/करेंगे।

3. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि इस संविदा के निबंधनों के अनुसार ताजी सब्जी के प्रदाय के लिए मुझे/हमें सशस्त्र बल को सड़क या रेल द्वारा परिवहन के उपलब्ध साधनों से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

4. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि परिदान स्थल पर संविदा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा ताजी सब्जियों का प्रदाय स्वीकार किए जाने से पहले उनमें होने वाली सभी खराबियों या शुष्कता के लिए मैं/हम जिम्मेदार होऊंगा/होंगे।

5. यदि संविदा प्रवर्तन की लागत इस संविदा चालू रहने के दौरान किसी अधिनियम के अधिनियमन से बढ़ या कम हो जाती है तो संविदा दरों में समरूप परिवर्तन कर दिया जाएगा।

6. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि संविदा प्रवर्तन अधिकारी, अपने एकमात्र विवेकानुसार, सैनिकों को किसी अवधि या अवधियों के लिए टीनबंद सब्जियां दे सकता है और उस दशा में कम प्रदाय लिए जाने या मेरी/हमारी व्यवस्था में हुए व्यवधान के कारण किसी प्रतिकर के लिए मेरा/हमारा कोई दावा धन-संबंधी या अन्यथा, नहीं होगा।

7. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि पूर्वोक्त खण्ड का प्रभाव, ऐसे किसी अतिरिक्त खर्च की पूर्ति की बाबत मेरे/हमारे दायित्व पर नहीं पड़ेगा जो मेरे/हमारे किसी व्यतिक्रम के कारण सरकार द्वारा निविदा प्ररूप (आ० ए० एफ० जेड-2120 (खंड) (7) (ii) में अनुबद्ध डिब्बाबंद प्रदाय के किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को उठाना पड़ता है।

निविदाकारों के हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
साक्षी के हस्ताक्षर
नाम :
उपजीविका :
पता :

स्टेशन :
तारीख :

विशेष शर्तें

(क) मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करूंगा/करेंगे कि इस संविदा-कार्य के संबंध में, मेरे/हमारे द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों को शासकीय गुप्त बात अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की पूरी जानकारी है।

(ख) संविदा के कार्यान्वयन के दौरान मेरे/हमारे या मेरे/हमारे सेवकों या अभिकर्ताओं की जानकारी में आई किसी बात की जानकारी किसी असंबद्ध व्यक्ति को देना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन माना जाएगा और मैं/हम उसके अधीन विहित दंड का भागी होऊंगा/होंगे।

(ग) मुझे/हमें यह जानकारी है कि यदि उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसे संविदा का भंग माना जाएगा और उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट मेरे/हमारे आपराधिक दायित्व के अतिरिक्त, संविदा मंजूर करने वाला अधिकारी इस संविदा को रद्द करने का भी हकदार होगा और वह, मेरी/हमारी जोखिम और खर्च पर आई ए एफ जेड-2120 के खंड 8 के अनुसार अपेक्षित वस्तुएं या उनके प्रतिरूप क्रय कर सकेगा। यदि संविदा इस प्रकार रद्द कर दी जाती है तो संविदा मंजूर करने वाला अधिकारी या उसका प्रतिनिधि संविदा की गई वस्तु या उसके प्राधिकृत प्रतिरूप को, ऐसी कीमत और ऐसे समय के भीतर, प्राप्त कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे और इस बाबत ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अंतिम तथा मुझ/हम पर आबद्धकर होगा।

____

निविदाकार के हस्ताक्षर

____

(साक्षी के हस्ताक्षर)

____

निविदाकार(रों) का नाम

साधारण विशेष शर्तें

1. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि यदि संविदा छह मास या उससे कम के लिए है और मेरी/हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो किसी भी परिस्थिति में दरें बढ़ाने का कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

2. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि यदि संविदा एक वर्ष के लिए है और मेरी/हमारी निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो दरें बढ़ाने के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

3. मैं/हम यह पूर्णतः जानता हूं/जानते हैं और करार करता हूं/करते हैं कि अनुसूची (आई ए एफ जेड-2121) में वर्णित मात्रा मार्गदर्शन मात्र के लिए है और यदि, ली जाने वाली मात्रा में किसी भी परिमाप में वृद्धि या कमी की जाती है तो उस बाबत प्रतिकर के लिए मेरा/हमारा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

4. यदि नौसेना प्राधिकारी, अपनी व्यवस्था के अधीन फौजियों को अपने ताजे/टीन बंद स्टाक से प्रदाय करता है तो मैं/हम प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करेंगे किन्तु ऐसे प्रदाय से पहले मुझे/हमें पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

4क. यदि नौसेना प्राधिकारी अपनी व्यवस्था से सरकारी स्रोतों से ईंधन का स्टाक प्राप्त करके अपने फौजियों को उपलब्ध करा देता है तो मैं/हम किसी प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करूंगा/करेंगे किन्तु ऐसी कार्रवाई की जाने के बारे में मुझे/हमें पर्याप्त सूचना दी जाएगी।

5. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि इस संविदा के निबंधनों के अधीन किए गए प्रदाय/सेवाओं की बाबत संदाय, भारत के किसी रजिस्ट्रीकृत बैंक में मेरे/हमारे खाते जमा द्वारा किया जाएगा।

6. मैं/हम यह करार करता हूं/करते है कि जब तक करार की गई कीमत से नीचे अधिकतम कीमत नियत करने वाला कोई नियंत्रण आदेश नहीं है तब तक सरकार करार की गई दर पर माल के लिए संदाय करेगी किन्तु यदि ऐसा कोई नियंत्रण आदेश निकाल दिया जाता है तो परिदान के समय प्रवृत्त ऐसे नियंत्रण आदेश के अधीन नियत की गई अधिकतम कीमत पर ही संदाय किया जाएगा।

7. मैं/हम यह करार करता हूं/करते है कि इस संविदा के अधीन या अन्यथा इसकी विषय वस्तु के अधीन भारत के राष्ट्रपति सभी दायित्वों से उन्मोचित रहेंगे यदि इसके खण्ड 1 में उल्लिखित अवधि या उसके विस्तारण की अवधि समाप्त होने के छह मास के भीतर माध्यस्थम् कार्यवाही या कोई वाद, यदि वह लाया जा सकता है तो, संस्थित नहीं कर दिया जाता।

8. यदि लेखा परीक्षक के आक्षेपों के कारण संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी की राय में यह व्यवहार्य नहीं है कि पूर्वोक्त अवधि के भीतर मैं/हम ऐसी कोई माध्यस्थम् कार्यवाही या वाद प्रारम्भ करूं/करें, तो संविदा मंजूर करने वाला अधिकारी उपरोक्त छह मास की अवधि लिखित रूप में बढ़ा सकता है।

--- - उपरोक्त उपबंधों में...की कोई बात प्रतिभूति निक्षेप के ऐसे भाग पर प्रभाव नहीं डालेगी जो मुझे/हमें अनुज्ञेय कटौतियों के पश्चात् वापस किया जाना हो ।

9. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि मैं/हम, प्रतिदिन यूनिट राशन स्टैंडों पर उपस्थित रहने के लिए एक विश्वसनीय और बुद्धिमान अभिकर्ता नियुक्त करूंगा/करेंगे और उसे वे सभी आवश्यक कागजपत्र दूंगा/देंगे जिनके आधार पर वह स्टैंड/बेस रसद यार्ड/अन्य स्थानों पर अस्वीकृत प्रदायों की बदली के लिए तुरंत व्यवस्था कर सके। मैं/हम ऐसे प्रतिनिधि को, प्रदायों के परिदान के समय ए एफ जेड-1520 पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करूंगा/करेंगे।

10. यदि मैं/हम किसी अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से स्टेशन छोड़ता हूं/छोड़ते हैं तो मेरे/हमारे विधिक प्रतिनिधि का नाम और पता, जो मेरी/हमारी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान मेरी/हमारी ओर से उत्तर देगा, संविदा प्रवर्तन अधिकारी को सूचित किया जाएगा। ऐसे प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित मुख्तारनामा, बेस रसद भारसाधक आफिसर, कोचीन, डी एस सी प्लाटून, एन ए डी अल्वेई के पास रखा जाएगा।

11. इन विनिर्देशों और शर्तों को पहली अनुसूची का भागरूप माना जाएगा और यदि निविदा स्वीकार कर ली जाती है तो वे संविदा के अभिन्न अंग बन जाएंगे।

12. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि यदि किसी कारणवश लोक परिवहन-सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है तो मेरे/हमारे अनुरोध पर प्रदत्त सरकारी परिवहन के लिए मैं/हम परिवहन के भाड़ा पर लिए जाने के समय प्रचलित भाड़ा प्रभार का संदाय सरकार के आदेशानुसार नियत दर पर, करूंगा/करेंगे।

13. मैं/हम यह स्पष्ट रूप से जानता हूं/जानते है कि उपरोक्त खंड के कारण सरकार, मेरे/हमारे लिए उक्त सेवाओं की व्यवस्था करने के यिए आबद्ध या बाध्य नही है इस बाबत फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का विनिश्चय अंतिम और मुझे/हम पर आबद्ध कर होगा।

14. आई ए एफ जेड-2137क (निविदाकारों को अनुदेश) में जो इस संविदा का भागरूप हैं, विनिर्दिष्ट रूपों के अतिरिक्त निम्नलिखित रूपों में भी प्रतिभूति जमा की जा सकती है :--

(क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निष्पादित प्रत्याभूति बंधपत्र।

(ख) अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादित प्रत्याभूति बंधपत्र, परन्तु, यह तब जब,--

(i) प्रश्नगत बंधपत्र पर भारतीय स्टेट बैंक प्रतिहस्ताक्षर करके यह वचनबंध करे कि व्यतिक्रम होने की दशा में वह सरकार की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेगा।

या

(ii) निष्पादित की जाने वाली प्रत्याभूति की बाबत संबंधित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपेक्षित प्रतिभूतियां अर्थात्, नकद निक्षेप या सरकारी प्रतिभूतियां, जमा करे और रिजर्व बैंक सरकार को यह सूचित करे कि बंधपत्र स्वीकार किया जा सकता है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति निक्षेप के रूप में निविदत्त सावधि निक्षेप रसीदें स्वीकार की जा सकती हैं परन्तु यह तब जब संबंधित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास सावधि निक्षेप रसीदों के बराबर रकम नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में जमा करें।

(घ) सरकारी वचनपत्र के रूप में राष्ट्रीय योजना उधार में विनिधान।

15. यदि मेरे/हमारे और संविदा प्रवर्तन अधिकारी के बीच मेरे/हमारे द्वारा किए गए, प्रदाय की मात्रा/क्वालिटी के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मैं/हम मामले में अन्वेषण की बाबत फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान, कोचीन के विनिश्चय का पालन करने का करार करता हूं/करते हैं और उनका ऐसा विनिश्चय मुझ/हम पर आबद्धकर होगा।

16. मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि यदि कोई निविदा ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित और साक्ष्यित नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा यह सभी शर्तों और विशेष शर्तों तथा सभी अन्य सुसंगत संविदात्मक दस्तावेजों को लागू होगा। यदि स्वयं ठेकेदार हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसकी ओर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के बारे में यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसके पास निविदा करने वाले ठेकेदार की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा है।

17. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि दरें नियत करते समय मैंने/हमने विधान-[illegible]
के प्रभाव को ध्यान में रखा है।

18. मैं/हम यह भी करार करता हूं/करते हैं कि यदि मेरी/हमारी संविदा मद्दे किसी स्थानीय प्राधिकार[illegible]
जाने हों तो उसका संदाय मैं/हम करूंगा/करेंगे और सरकार का इस मद्दे कोई दायित्व नहीं होगा।

19. निर्यात अनुज्ञापत्र, रेल संचलन के लिए पूर्विकता प्रमाणपत्र, ठेकेदारों के यानों के लिए पैट्रोल-कूपन आदि जैसी सरकारी सहायता की कोई गारंटी नहीं है और किसी भी प्रक्रम पर किसी सहायता का दिया जाना या न दिया जाना सरकार के संविदाजन्य अधिकारों के प्रतिकूल नहीं होगा।

20. संविदा की गई वस्तुओं के प्रदाय में असफल रहने की दशा में और इस कारण उत्पन्न विधिक जटिलताओं से बचाव के लिए आई ए एफ जेड-2120 के खंड 7 (ii) में निर्दिष्ट प्राधिकृत प्रतिस्थानी, अनुसूची (आई ए एफ जेड-2121) में अवश्य कोट करें।

21. मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि सरकार को संविदा की गई वस्तुओं या अनुसूची में उल्लिखित उनकी प्राधिकृत प्रतिस्थानी वस्तुओं का, जो केन्द्रीय सरकार को किसी सहायता प्राप्त/प्रायोजित स्कीम (मों) से या राज्य सरकारों/यूनिट उद्यमों से, चाहे वे इस संविदा के क्षेत्र के भीतर हों या बाहर, प्राप्त करनी है, जारी करने का या इस संविदा के अधीन मेरे/हमारे द्वारा प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के बदले में सरकार द्वारा तोतबंद वस्तुओं का, प्रदाय करने का अधिकार है और यदि ऐसा प्रदाय निलंबित कर दिया जाता है या उसमें कमी हो जाती है या उसमें रुकावट पड़ जाती है तो उस कारण मेरा/हमारा किसी नुकसानी या प्रतिकर के लिए, सरकार के विरुद्ध, कोई दावा नहीं होगा।

स्थान :

तारीख :

(साक्षी के हस्ताक्षर)	निविदाकार (रों) के हस्ताक्षर
नाम :	नाम :
(स्पष्ट अक्षरों में)	(स्पष्ट अक्षरों में)

ताजे मक्खन के लिए विनिर्देश सं० 21

क्वालिटी :

1. मक्खन, नमक या डाइविरहित रंजक द्रव्य सहित या रहित, केवल गाय या भैंस या दोनों के उबले हुए/पाश्चुरीकृत दूध या पाश्चुरीकृत क्रीम से तैयार किया जाएगा। यह ताजा होगा न कि संमिश्रित या पुर्ननवीकृत। यह स्वच्छ, सुनिर्मित, ठोस, अनपमिश्रित और सुस्वाद होगा।

पैक करना :

2. मक्खन अपेक्षित भार की टिक्कियों में ग्रीसरोधी कागज में लिपटा हुआ होगा और ऐसे कागज का भार प्रति रीम 18 पौंड से कम या 24 पौंड से अधिक नहीं होगा।

सफाई :

3. मक्खन स्वास्थ्यप्रद परिसर में तैयार किया जाएगा और यदि मक्खन आर वी एफ सी (फार्म) का प्रदाय किया जाना है तो आर वी एफ सी और चिकित्सा अधिकारी किसी भी समय उसका निरीक्षण कर सकते हैं। यदि मक्खन स्थानीय रूप में क्रय किया जाता है तो निरीक्षण, संबद्ध स्थानीय प्रदाय और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

4. ठेकेदार यह करार करता है कि वह मक्खन को उठाई-धराई करने वाले सभी कार्मिकों की स्वास्थ्य परीक्षा करवाएगा। ठेकेदार को, ऐसे व्यक्तियों की आरंभिक स्वास्थ्य परीक्षा के लिए प्रति व्यक्ति दो रुपए फीस संदत्त करनी होगी। यदि चिकित्सा प्राधिकारी कोई अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षा करना आवश्यक समझें तो वह निःशुल्क की जाएगी।

5. मक्खन का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बर्तन को, उपयोग से पहले, ठीक प्रकार से साफ किया जाएगा और उसके पश्चात् वाष्प या उबलते जल से/क्लोरिनीकृत चूने के सघन घोल से जीवाणु रहित किया जाएगा। जीवाणु रहित बर्तन, उनकी आवश्यकता रहने तक, संदूषण से बचाए रखे जाएंगे।

6. मक्खन उत्पादक डेरी के लिए सफाई संबंधी अपेक्षाएं वे ही होंगी जो परिशिष्ट "ज" में विनिर्दिष्ट हैं।

निरीक्षण :

7. यदि मक्खन का प्रदाय आर वी एफ सी (फार्म) से भिन्न किसी स्रोत से होता है तो उसका निरीक्षण स्थानीय प्रदाय अधिकारी करेगा। यदि मक्खन की क्वालिटी संदेहास्पद है तो निरीक्षक प्राधिकारी उसके, कमान संयुक्त खाद्य प्रयोग-शाला द्वारा विश्लेषण के लिए, ऐसे नमूने ले सकेगा जो वह आवश्यक समझे। इस बाबत प्रयोगशाला का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. मक्खन में नमक से भिन्न कोई अन्य परिरक्षी नहीं मिलाया जाएगा और उसका विश्लेषण निम्नलिखित की पुष्टि करेगा :

(क) आर्द्रता—16 प्रतिशत से अधिक नहीं

(ख) नमक—3 प्रतिशत से अधिक नहीं

(ग) अम्लता (तैली अम्ल के रूप में)—10 प्रतिशत से अधिक नहीं।

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

तारीख :

निविदाकार के हस्ताक्षर

ताजी मछली के प्रदाय के लिए विनिर्देश सं० 61

क्वालिटी :

1. मछली ताजी, अच्छी, स्वास्थ्यकर और सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होंगी।

2. प्रदाय की जाने वाली मछलियां, यदि आवश्यक हो तो स्थानीय पशु चिकित्सा प्राधिकारी या उसके उपलब्ध न होने पर स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारी के परामर्श से क्रय अधिकारी द्वारा अनुमोदित किस्मों की और अनुपात में होंगी।

3. प्रदत्त की जाने वाली मछलियां साबुत होंगी, अर्थात्, पूंछ, फिन और सिर सहित होंगी जिन्हें स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् अलग किया जा सकता है।

4. साधारणतया ताजी मछली का ही प्रदाय किया जाएगा। तथापि, खराब और बेमौसम के दौरान जब ताजी मछली उपलब्ध नहीं है, हिमशीतित मछली का प्रदाय किया जा सकता है।

पैक करना :

5. मछली का प्रदाय ऐसे उपयुक्त साफ आधानों में किया जाएगा जिनकी डिजाइन ऐसी हो कि किसी भी प्रकार के संदूषण से मछली को बचाया जा सके।

निरीक्षण :

6. ठेकेदारों द्वारा सशस्त्र बल के लिए प्रदत्त सभी मछलियों का निरीक्षण नौ-सेना पशु चिकित्सा प्राधिकारी और उसके उपलब्ध न होने पर स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारी करेगा और उन्हें मानव उपभोग के लिए उपयुक्त घोषित करेगा। बेस रसद आफिसर, भारतीय नौसेना कोचीन/कमांडिंग आफिसर डी एस सी प्लाटून, नौसेना आयुधादि डिपो, अलवाई, मछली स्वीकार करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

7. मछली के ताजेपन के चिह्न निम्नलिखित हैं :—

(क) मछली जीवंत हो, अर्थात्, उसकी आंखें चमकीली हों न कि धंसी हुई।

(ख) मांस ठोस, लोचदार और हड्डी से चिपका हुआ हो।

(ग) मछली के गिल (श्वासेन्द्रियां) चमकीले लाल रंग के हों और त्वचा सपाट और चमकदार हो।

(घ) मछली में विशेष प्रकार की दूषित सड़न वाली महक न हो।

प्रदाय :

8. यूनिटों को मछली का प्रदाय निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :—

(क) यदि पूरी मछली, सिर, पूंछ, फिन (और अंतड़ियां) सहित प्रदाय की जाती है तो वास्तविक हकदारी + 25 प्रतिशत ;

(ख) यदि सिर, पूंछ और फिन हटा दिए गए (किन्तु जब अंतड़ियां नहीं हटाई गई हैं) तो वास्तविक हकदारी + $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ;

(ग) यदि अंतड़ियां हटा दी जाती हैं किन्तु सिर पूंछ और फिन वैसे ही रहते हैं तो—वास्तविक हकदारी + $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत;

(घ) यदि मछली का सिर, पूंछ और अंतड़ियां हटा दी जाती हैं तो—वास्तविक भार।

साक्षी के हस्ताक्षर ————

साक्षी का नाम : निविदाकार(रों) के हस्ताक्षर————

उपजीविका : स्पष्ट अक्षरों में नाम ————

पता : तारीख :

स्थान :

प्रसाधित कुक्कुट के प्रदाय के लिए विनिर्देश सं० 154

क्वालिटी :

1. प्रसाधित कुक्कुट में से उचित रूप से रक्त निकाल दिया जाएगा और जीवित कुक्कुट का प्रसाधित शव, जीवित कुक्कुट के लिए विनिर्देश सं० 155 के अनुरूप होगा।

2. कुक्कुट या तो शुष्क रूप में पंख रहित होगा या धुला हुआ होगा या उसकी आंशिक खाल उतार दी गई होगी और सभी अविकसित पंखों और शरीर के रोओं को निकाल दिया गया हो। कुक्कुट को ठीक प्रकार से प्रसाधित किया जाएगा, पैर ठीक प्रकार से साफ किए जाएंगे और निकास खाली कर दिए जाएंगे। पक्षी को, वध करने और खाल निकाल देने के पश्चात्, खौलते हुए पानी (215 फेरनहाइट) में 3—5 सेकेन्ड तक डुबाए रखा जाएगा और तत्पश्चात् पंख निकालने के लिए उसे पानी से निकाल लिया जाएगा।

3. कुक्कुट के वध किए जाने और उसके परिदान के बीच अंतराल, 5 घंटे से अधिक का नहीं होगा और उस अंतराल में प्रसाधित कुक्कुट को किसी ठंडे परिसर में रखा जाएगा।

4. कुक्कुट-शव को, वध किए जाने के तुरंत बाद, तैयार किया जाएगा अर्थात्, उसकी आंते निकाल दी जाएंगी।

पैक करना :

5. प्रसाधित कुक्कुट, परिदान के लिए ठूंस कर पैक नहीं किया जाएगा और प्रत्येक कुक्कुट-शव को, संदूषण से संरक्षा करने के लिए, ढीले ग्रीस रोधी कागज में लपेटा जाएगा।

6. जिस यान में प्रसाधित कुक्कुट का परिदान किया जाना है उसका निर्माण और उसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कुक्कुट संदूषित न हो।

निरीक्षण :

7. मृत्युपूर्व और मृत्योपरांत पक्षी का परीक्षण सेना पशु चिकित्सा आफिसर/पशु चिकित्सा सहायक सर्जन और उसके उपलब्ध न होने पर स्थानीय प्रदाय आफिसर करेगा और उस पर निरीक्षण अधिकारी की मोहर लगाई जाएगी। ऐसे पक्षियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिनमें किसी रोग के लक्षण दर्शित होंगे। स्वीकार किए जाने के लिए अंतिम प्राधिकारी स्थानीय प्रदाय अधिकारी, अर्थात्, बेस रसद आफिसर, कोचीन होगा।

जीवित कुक्कुट के लिए स० से० को० विनिर्देश सं० 155

क्वालिटी :

1. जीवित कुक्कुट, स्वस्थ, सुपोषित चूजे, पालतू मुर्गे और बत्तखें होंगे। प्रदाय किए जाने वाले पक्षी मांसल होंगे (अर्थात छाती की हड्डी मांस से भली प्रकार ढकी होगी)।

2. पक्षी की आयु और भार निम्नलिखित होगा :—

आयु	न्यूनतम भार	अधिकतम भार
(क) चूजे (3 से 6 मास तक)	500 ग्राम	1000 ग्राम
(ख) पालतू मुर्गे (6 से 12 मास तक)	1000 ग्राम से अधिक	2000 ग्राम
(ग) बत्तख (4 से 12 मास तक)	700 ग्राम	2500 ग्राम

3. पक्षियों की आंखें चमकदार और नासिका छिद्र स्राव मुक्त होंगे। कलगी और मांस तंतु पुष्ट और चमकीले रंग के होंगे, पंख चिकने होंगे, संचलन फुर्तीला होगा और अतिसार या किसी अन्य रोग के कोई लक्षण विद्यमान नहीं होंगे।

निरीक्षण :

4. निरीक्षण सेना पशु चिकित्सा अधिकारी या उसके उपलब्ध न होने पर स्थानीय प्रदाय अधिकारी करेगा। किन्तु, संविदा प्रवर्तन आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे सभी पक्षी, जिनमें रोग के लक्षण दर्शित होंगे, अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

5. सेना पशु चिकित्सा अधिकारी या उसके उपलब्ध न होने पर जीवित कुक्कुट के निरीक्षण के लिए तैनात स्थानीय प्रदाय आफिसर जीवित कुक्कुट का निरीक्षण करेगा और चूजे और पालतू मुर्गे के बीच के अंतर दर्शित करने संबंधी कार्रवाई भी करेगा। किन्तु संविदा प्रवर्तन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम और पता : निविदाकार(रों) के हस्ताक्षर

जीवित कुक्कुट के लिए स० से० को० अस्थायी प्राक्कल्प विनिर्देश सं० 155

1. जीवित कुक्कुट स्वस्थ और सुपोषित चूजे और उबले हुए मुर्गे होंगे। प्रदाय किए जाने वाले पक्षी मांसल होंगे (अर्थात् छाती की हड्डी मांस से भली प्रकार ढकी होगी)।

2. प्रदाय किए जाने वाले चूजों की आयु 3 मास से कम और 6 मास से अधिक नहीं होगी। प्रदाय किए जाने वाले उबले हुए मुर्गे की आयु 6 सप्ताह से कम और 8 सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

3. पक्षी की आयु और भार निम्नलिखित होगा :—

	आयु	जीवित भार
(क) चूजे	3 से 6 सप्ताह	850 ग्राम से कम नहीं
(ख) उबले हुए मुर्गे		
	(1) 6 सप्ताह से कम नहीं	1.3 कि० ग्रा० से कम नहीं
	(2) 7 से 8 सप्ताह तक	1.8 कि० ग्रा० से कम नहीं

4. पक्षियों की आंखें चमकदार होंगी, नासिका छिद्र स्राव मुक्त होंगे, कलगी और मांस-तंतु पुष्ट और चमकीले रंग के होंगे पंख चिकने होंगे, संचलन फुर्तीला और अतिसार या किसी अन्य रोग के लक्षण विद्यमान नहीं होंगे। पक्षी निम्नलिखित रोगों से मुक्त होंगे :—

(क) एसपरगिलोसिस
(ख) ब्रांकाइटिस
(ग) कालो बेसीलोसीस
(घ) सालमोनोलेसीस
(ङ) कोकिडीयोसीस।

5. जहां तक संभव हो, पक्षियों की आयु के सबूत का सत्यापन, निरीक्षण अधिकारी द्वारा चूजे के "एक दिवसीय" चूजे संवर्धन अभिलेख से और कुक्कुट फार्म के कालिक दौरे/निरीक्षण से किया जाएगा।

6. सेना पशु चिकित्सा अधिकारी, पक्षियों का, स्वीकार किए जाने से पहले, निरीक्षण करेगा।

ताजे अंडों के प्रदाय के लिए स० से० को० विनिर्देश सं० 53

क्वालिटी :

1. अंडे ताजे और औसत आकार के होंगे और 12 अंडों का भार 500 ग्राम से कम नहीं होगा। भार में 40 ग्राम से कम घाले अंडे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

2. अंडे केवल मुर्गियों के ही होंगे। अन्य अंडों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण :

3. परिदत्त अंडों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके संबंधित प्रदाय आफिसर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

प्याज के प्रदाय के लिए विनिर्देश

नैरा, प्याज, गन्देल

1. (क) बीज से नैरा को रोपा जाता है और उगे हुए पौधों का प्रतिरोपण किया जाता है जो नैरा कहलाता है। यह नैरा अंग्रेजी-बसंती प्याज के समान होता है।

(ख) प्याज ऐसा नैरा है जो अपने पूरे आकार तक बढ़कर सूखी प्याज का रूप ग्रहण कर लेता है।

(ग) गन्देल साधारण सूखी प्याज है जो अंकुरित होने पर पुनः प्रतिरोपित की जाती है जिससे उसकी पौधें तैयार की जाती हैं जो गुच्छों में प्राप्त होती है। यह बाजार में तब आती है जब वहां न तो नैरा और न ही प्याज उपलब्ध होती है।

2. प्याज सर्वोत्तम क्वालिटी की अच्छी और चोट, रोग, फफूंदी, कीट और अंकुर मुक्त होगी तथा सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होगी।

3. प्याज अच्छे औसत आकार की होगी और उसमें अधिक आर्द्रता नहीं होगी।

4. नैरा किस्म की प्याज के डंठल के कुछ भाग को खाया जा सकता है किन्तु स्वीकार की जाने वाली प्याज की गांठ और डंठल की अधिकतम लंबाई 5" से अधिक नहीं होगी। गंदेल किस्म की प्याज की दशा में, खाया जाने वाला भाग जिसमें सुरक्षित ठूंठ या कंद से प्याज का वह भाग सम्मिलित है जिसकी लंबाई 4 इंच से अधिक नहीं है। इससे अधिक लंबाई के डंठल को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. ऐसी प्याज को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो 1 इंच वृत्ताकार जाली में निकल जाती है। यह बात नैरा या गंदेल किस्म की प्याज को लागू नहीं होगी।

6. प्याज के परिदान का अनुमोदन बेस रसद आफिसर, कोचीन से कराना होगा।

स्टेशन :

तारीख :

निविदाकार (रों) के हस्ताक्षर :
साक्षी के हस्ताक्षर :
पता :

ताजे मांस के प्रदाय के लिए विनिर्देश सं० 103, पशुधन

(भेड़/बकरी)

क्वालिटी :

1. पशुओं को अच्छी हाल में सुपोषित रखा जाएगा। वे देखने से अस्वस्थ नहीं लगने चाहिएं। यदि किसी पशु (जो अन्यथा वध किए जाने के लिए उपयुक्त न हो) के प्रसाधित पशुशव में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक हड्डियों के होने की संभावना है तो ऐसे पशु वध किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठेकेदार द्वारा प्रदाय किए गए पशुओं को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए, प्रदाय अधिकारी सर्वथा अंतिम प्राधिकारी होगा।

2. गर्भिणी मादा भेड़ या बकरी फौजियों को दिए जाने के लिए स्वीकार भी नहीं की जाएंगी। तथापि, यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार ने प्रजनन काल के दौरान मादा पशुओं के वध पर रोक लगाई है तो ऐसे मौसम के दौरान मादा पशु स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. नीचे वर्णित किसी भी वर्ग के पशु न तो वध किए जाएंगे और न वध किए जाने के लिए क्रय किए जाएंगे :—

(क) $2\frac{1}{2}$ वर्ष से कम आयु की भेड़ें, जब उनके मुंह में काटने वाले छह मजबूत स्थायी दांत हों।

(ख) दो वर्ष से कम की बकरी जब उसके मुंह में काटने वाले चार स्थायी दांत हों।

(ग) एक वर्ष से कम आयु का बकरा और/या भेड़ (बधिया किया गया या बधिया नहीं किया गया)।

(घ) छह वर्ष से अधिक आयु की बकरी/बकरे और भेड़ें।

निरीक्षण :

4. सेना पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा सहायक सर्जन या उसके उपलब्ध न होने पर स्थानीय प्रदाय अधिकारी, निरीक्षण करके पशुओं पर अपनी सील लगा देगा।

स्टेशन :

तारीख :

निविदाकार (रों) के हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

साक्षी के हस्ताक्षर :
नाम :
पता :

विनिर्देश संख्या 115 क—ताजा मांस (बकरी/भेड़ का)

क्वालिटी :

1. ताजा मांस, वध किए जाने के लिए उपयुक्त मान कर प्रदाय आफिसर द्वारा पास कर दिए गए स्वस्थ और सुपोषित पशुओं का ही होगा। प्रदाय किए जाने वाले सभी पशु, (भेड़/बकरी) के लिए, विनिर्देश सं० 103 के अनुरूप होंगे। यदि किसी पशु के प्रसाधित पशुशव में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक हड्डियां हैं तो ऐसा पशुशव अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले मांस को मंजूर या नामंजूर करने के लिए प्रदाय अधिकारी ही सर्वथा अंतिम प्राधिकारी होगा।

पशुशव को, उनके प्रदाय किए जाने से पहले, गंध मुक्त कर दिया जाएगा।

निरीक्षण :

2. सैनिकों को मांस का प्रदाय किए जाने से पहले, उसका निरीक्षण सेना-प्रतिनिधि करेगा और वही उसे पास करेगा तथा मांस पर उसकी मोहर लगाई जाएगी।

3. अस्पतालों को मांस का प्रदाय किए जाने की दशा में जब प्रदाय अधिकारी मांस अनुमोदित कर देगा तब उसे अपेक्षित खुराकों के अनुसार काटा जाएगा।

4. प्रत्येक भेड़ या बकरी के शव को घुटने के बीच से काटा जाएगा और हुक, सिर और जोड़ निकाल दिए जाएंगे। झटका मांस की दशा में गर्दन का आधा भाग (निर्दिष्ट हड्डियों के नामित भागों के आस-पास का मांस, त्वचा और तंतुओं सहित) और हलाल मांस की दशा में पूरी गर्दन पशु शव के साथ रहेगी।

5. पेट और अंतड़ियों के पास की वसा प्रत्येक शव के साथ, चाहे वह भेड़ हो या बकरी, प्रदाय की जाएगी और यदि संविदा प्रवर्तन अधिकारी चाहे तो डुम्बा भेड़ की पूंछ-वसा भी दी जाएगी।

6. पशु शव से तिल्ली तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक उसका निरीक्षण नहीं कर लिया जाता है।

7. उरोस्थि अलग कर दिए जाने के पश्चात् पशु शव के साथ उसका हृदय जुड़ा रहेगा और बाहर लटका रहेगा।

बूचड़खाने में अपेक्षित सफाई के न्यूनतम मानक

बूचड़खाने में मानक सफाई सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं :—

(क) ~~बूचड़खाना साफ-सुथरा हो और उसमें पानी की पर्याप्त व्यवस्था~~ हो तथा गन्दे पानी की ठीक प्रकार से निकासी के लिए अच्छी नालियां हों।

(ख) फर्श, दीवारें और लटकाने की छड़ें पूर्णतः स्वच्छ हों।

(ग) दरवाजे और खिड़कियां ऐसी हों कि मक्खियां अंदर बिल्कुल न आ सकें।

(घ) गोबर और कूड़े के व्ययन की उचित व्यवस्था हो।

(ङ) वध करने, शवों से खाल उतारने और उन्हें साफ करने की संपूर्ण प्रक्रिया बूचड़खाने के कमरे में, न कि लटकाने वाले कमरे में, की जाएगी।

(च) पर्याप्त रोशनदान और प्रकाश (प्राकृतिक और कृत्रिम) की व्यवस्था हो।

(छ) शवों को लटकाने के लिए गैलवनीकृत लोहे के हुक और रस्सियों का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग के पश्चात् हुकें, प्रतिदिन पूरी तरह साफ की जाएंगी।

(ज) चाकू, गंडासे, आरे और अन्य उपकरण प्रतिदिन प्रयोग से पहले जीवाणुरहित किए जाएंगे।

(झ) काटे गए ब्लॉक पूर्णतः साफ रखे जाएंगे और उन पर नमक छिड़ककर उन्हें ढक कर रखा जाएगा।

(ञ) बूचड़खाने और शव लटकाने वाले कमरे तथा फर्श, दीवारें, नालियां और हौदें प्रतिदिन पूर्णतः साफ की जाएंगी।

(ट) नालियों के गड्ढों में मक्खी न हों।

स्टेशन : (साक्षी के हस्ताक्षर) निविदाकारों के हस्ताक्षर :

तारीख : नाम : पता :

अनबुझे चूने के लिए विनिर्देश

1. चूना आग से जला हुआ चाक-चूना होगा, जो प्रदाय किए जाने के समय ही जलाया गया होगा और वायु में पहले कभी खुला न छोड़ा गया हो।

2. चकमक पत्थर या अन्य/अपद्रव्य से मुक्त होगा और सफेद क्रीम का या धूमिल पीले रंग का होगा।

3. चूना बुझा हुआ होगा और पानी मिलाए जाने पर फूलकर दोगुना हो जाना चाहिए।

4. चूने के एक-एक पौंड के दो नमूने, वायु से बचाने के लिए, झले हुए टिनों में या तो अधीक्षक टेस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता को या भण्डार और वस्त्र मुख्य निरीक्षक को भेजे जाएंगे।

5. परिदान हर प्रकार से अनुमोदित नमूनों के अनुरूप किया जाएगा।

6. चूना अच्छे मजबूत बोरों में पेक किया जाएगा। प्रत्येक बोरे में शुद्ध 100 पौंड चूना होगा। बोरे संविदा प्रवर्तन अधिकारी से लिए जा सकते हैं।

स्टेशन :

तारीख :

निविदाकार (रों) के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

साक्षी के हस्ताक्षर :

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

उपजीविका :

पता :

जटारहित साबुत नारियल के लिए स०से०का० विनिर्देश सं० 34-क

क्वालिटी :

1. नारियल पका हुआ होगा जिसकी गिरी अच्छी और स्वास्थ्यप्रद होगी। गिरी सुडौल, बर्फ के समान सफेद, मीठी और स्वादिष्ट होगी। गिरी कवक, फफूंदी, खटवास (दुर्गन्ध) और विवर्णमुक्त होगी। बीज (आंख) अंकुर मुक्त होगा। गिरी के अंदर का दूध (नारियल पानी) साफ (न कि गंदला) मीठा और स्वादिष्ट होगा। उसमें सड़न नहीं होगी।

2. जटारहित नारियल यूनिटों में प्रदाय किया जाएगा तथापि नारियल की आखें अनावृत नहीं होंगी। वे प्राकृतिक जटा से ढकी हुई होंगी, जिससे कि नारियल फफूंदी से और सड़न से बचाए रखा जा सके। चटखे और टूटे हुए नारियल स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

निरीक्षण :

3. स्वीकार किए जाने वाले नारियलों का निरीक्षण बेस रसद आफिसर, कोचीन/कमांडिंग आफिसर डी एस सी, प्लाटून्स एन डी, एल्वेई करेगा। अफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा।

4. स्वीकार किए जाने के लिए प्रदाय किए गए नारियलों में से पैरा 3 में उल्लिखित अधिकारी कम से कम कोई भी पांच नारियल निरीक्षण के लिए निकाल लेगा। निकाली गई गिरी का औसत भार (अर्थात्, पूरे नारियल में से गिरी का भार)

45% + 5% से कम नहीं होगा। जब पांच से कम नारियल अपेक्षित हों तब निकाली गई गिरी को तौलकर उसका वास्तविक भार निकाला जाएगा और स्वीकार किया जाएगा।

साक्षी के हस्ताक्षर : निविदाकार (रों) के हस्ताक्षर :
नाम : निविदाकार (रों) के नाम :
उपजीविका :
पता :
स्टेशन :
तारीख :

मसालों के लिए विनिर्देश

मिर्च :

मिर्च चालू मौसम की नई फसल की चमकदार लाल रंग की पूरी तरह से सूखी हुई फफूंदी से मुक्त होगी और उसमें कोई हानिकारक पदार्थ या अन्य वनस्पति उत्पाद मिले नहीं होंगे। संविदा के अधीन किए जाने वाले प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित नमूनों के सर्वथा अनुरूप होंगे।

धनिया :

धनिया चालू मौसम की नई फसल का सर्वोत्तम क्वालिटी का और हानिकर तथा विजातीय पदार्थ, घुन और कीड़ों से मुक्त होगा। संविदा के अधीन किए जाने वाले प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित, नमूनों के अनुरूप होंगे।

जीरा :

जीरा हल्के पीले रंग का ताजा और पूरी तरह से सूखा हुआ होगा और सभी विजातीय पदार्थों से मुक्त होगा। संविदा के अधीन किए जाने वाले प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित, नमूनों के सर्वथा अनुरूप होंगे।

इमली :

इमली चालू मौसम की नई फसल की साफ, अच्छी और सभी अपमिश्रणों से मुक्त होगी। यह सड़न रहित होगी और ज्यादा काले रंग की नहीं होगी। इमली में बीज नहीं होंगे और फफूंदी नहीं लगी होगी तथा वह स्वादिष्ट और खुशबूदार होगी। इमली में अधिक रेशा नहीं होगा।

संविदा के अधीन किए गए प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित, नमूनों के सर्वथा अनुरूप होंगे।

हल्दी :

हल्दी चालू मौसम की नई फसल की सूखी और साफ होगी और सभी अपमिश्रणों, फफूंदी और घुनों से मुक्त होगी। इसका स्वाद और खुशबू रुचिकर होगी। हल्दी तोड़े जाने पर अच्छे रंग की और चमकदार होगी।

संविदा के अधीन किए गए प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित, नमूनों के सर्वथा अनुरूप होंगे।

लहसुन :

लहसुन अच्छी हालत में और अच्छे आकार में चालू मौसम की नई फसल का होगा। वह फफूंदी और सभी प्रकार के हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगा।

संविदा के अधीन किए गए प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित, नमूनों के सर्वथा अनुरूप होंगे।

अदरक :

अदरक नई फसल की सूखी हुई जड़ रूप में होगी। वह साफ, घुन और फफूंदी से मुक्त होगी और उसका स्वाद और खुशबू रुचिकर होगी।

संविदा के अधीन किए जाने वाले प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित, नमूने के सर्वथा अनुरूप होंगे।

स्टेशन : निविदाकार (रों) के हस्ताक्षर :
तारीख : नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
साक्षी के हस्ताक्षर :
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
उपजीविका :
पता :

गर्म मसाले के लिए विनिर्देश

इलायची :

इलायची सर्वोत्तम क्वालिटी की और फफूंदी, घुन या अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगी। इलायची अविरंजित होगी और विशेष प्रकार के स्वाद और सुगंध वाली होगी। उसमें प्रसामान्य मात्रा में आवश्यक तेल होगा।

दालचीनी :

दालचीनी सर्वोत्तम क्वालिटी की, रुचिकर स्वाद और खुशबू वाली होगी। यह अपमिश्रित, गंदी, धूल भरी और टूटी हुई नहीं होगी। दालचीनी घुन, कीड़ों और फफूंदी से भी मुक्त होगी ।

लौंग :

लौंग सर्वोत्तम क्वालिटी की, ताजी, रुचिकर स्वाद और खुशबू वाली होगी। यह अपमिश्रित नहीं होगी और हानिकर पदार्थों से मुक्त होगी। इसमें अन्य मसाले या विजातीय पदार्थ नहीं मिले होंगे। लौंग तेल निकली हुई नहीं होगी और उसमें प्रसामान्य मात्रा में आवश्यक तेल होगा।

पोस्त बीज (सफेद) :

सफेद पोस्त बीज सर्वोत्तम क्वालिटी के होंगे। उनमें अन्य मसाले या कोई विजातीय पदार्थ या गंदगी मिली नहीं होगी। वे घुन से और अन्य हानिकर पदार्थों से मुक्त होंगे।

हींग :

हींग विशिष्ट, सुगन्ध और स्वाद वाली होगी। वह सर्वोत्तम क्वालिटी की होगी और गंदगी या अन्य विजातीय पदार्थ नहीं मिले होंगे ।

जायफल :

जायफल सर्वोत्तम क्वालिटी का होगा और उसे माइरिस्टिका फ्रेगरेंट की गिरी से और संबद्ध मसालों से तैयार किया जाएगा। यह अच्छी क्वालिटी का होगा और घुन, फफूंदी, अपमिश्रण या हानिकर पदार्थों से मुक्त होगा। इसमें 3 प्रतिशत से अधिक राख नहीं होगी ।

कालीमिर्च :

मिर्च अच्छी क्वालिटी की काली (पाइपर निगरम) होगी। यह अच्छी दशा में और गंदगी, अपद्रव्य और अपमिश्रण से मुक्त होगी।

साबुत सरसों :

सरसों अच्छी क्वालिटी की विशिष्ट स्वाद और सुगंध वाली होगी और हानिकर पदार्थों से मुक्त होगी। आर्द्रता का अनुपात 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राख अंश 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

संविदा के अधीन किए गए प्रदाय, संविदा मंजूर करने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित नमूनों के सर्वथा अनुरूप होंगे।

स्टेशन :
तारीख :

निविदाकार(रों) के हस्ताक्षर :
साक्षी के हस्ताक्षर :
साक्षी का नाम :
उपजीविका :
पता :

ताजी सब्जियों के प्रदाय के लिए —विनिर्देश सं० 199

क्वालिटी :

1. मौसम की ऐसी सब्जियां एकत्र की जाएंगी जो ताजी, अच्छी और स्वास्थ्यप्रद हों और कीड़े, धब्बों और फफूंदी से मुक्त हों।

2. सब्जियां, अपने वर्गानुसार, अच्छे औसत आकार की होंगी और चिपचिपी, घटिया या बासी नहीं होंगी।

निरीक्षण :

3. जड़ वाली सब्जियों के पत्ते, मूल शीर्ष के 2 इंच ऊपर से, काट दिए जाएंगे।

4. गांठदार वनस्पति की दशा में, गांठ और डण्ठल की कुल लंबाई 5 इंच से अधिक नहीं होगी।

5. फूल गोभी बड़ी, सख्त, बर्फ जैसी सफेद और गठी होगी। स्वीकार किए जाने से पहले, फूल की संरक्षा के लिए पर्याप्त लंबी पत्तियों की एक परत को छोड़कर सभी पत्तियां हटा दी जाएंगी। डण्ठल इतनी पर्याप्त लंबाई का होगा जो उक्त संरक्षक पत्तियों की परत को संभाल सके, शेष डण्ठल काट दिया जाएगा।

6. अन्य किस्में, डण्ठल, डाली और बाहरी पत्तियों से रहित होंगी।

7. निरीक्षण, बेस रसद आफिसर, कोचीन/कमान आफिसर, डी एस सी प्लाटून, एन ए डी, अलवई करेगा। ऐसे आफिसर का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्टेशन : ______________ निविदाकार(रों) के हस्ताक्षर

तारीख : साक्षी के हस्ताक्षर ______________

आलुओं के प्रदाय के लिए विनिर्देश

आलू (सोलेनम ट्यूबरोसम)

1. आलू, मौसम में प्राप्य सर्वोच्च क्वालिटी के होंगे और दाग, कीलक या अन्य रोगों से मुक्त तथा सभी प्रकार से मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होंगे।

2. आलू ऐसे होंगे जो पौण्ड में 8 से अधिक न हों और $1\frac{1}{2}$ इंच की वृत्ताकार जाली में से निकल न सकें। नए आलू ऐसे होंगे जो 1 इंच की वृत्ताकार जाली में से निकल न सकें और एक पौण्ड में 15 से अधिक न हो।

3. परिदान के लिए बेस रसद आफिसर, कोचीन का अनुमोदन आवश्यक होगा।

स्टेशन : ______________

तारीख : निविदाकार(रों) के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर.............

Chief Controller of Imports and Exports 11-Para-1
–आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक

Completion of the House 25(c)
–मकान पूरा होना

Charge, encumber, alien 26(j)
–भारित, विल्लंगमित अन्य संक्रमण करेगा

Catalogue 29 (Auction Notice-2)
–सूचीपत्र

Clearance Certificate 32 Heading
–निकासी प्रमाणपत्र

Consent Affidavit 43 Annexe - I
–सम्मति शपथ पत्र

Constituted Attorney 5(c)
–नियत अटर्नी

Contingent Expenditure 48–14
–आकस्मिक व्यय

Criminal liability 52(c)
–आपराधिक दायित्व

Chillies 61
–मिर्च

Corriander 61
–धनिया

Cumminseed 61
–जीरा

Cardamom 62
–इलायची

Cinnamon 62
–दालचीनी

Cloves 62
–लौंग

Cauliflower 63–5
–फूल गोभी

D

Diminishing Balance 8–1(9)
–घटते जाने वाले अतिशेष

Distress or Execution 9(1)(c)
–करस्थम् या निष्पादन

Damages 18–7
–नुकसान

Deed of Conveyance 22
–हस्तांतरण विलेख

Disciplinary Action 23(ii)
–अनुशासनिक कार्रवाई

Guarantee Certificat –प्रत्याभूति प्रमाणपत्र	36—4 (f)
Government Butchery –सरकारी बूचड़खाना	48—11
Guarantee Bonds –प्रत्याभूति बंधपत्र	53—14(a)
Garlic –लहसुन	61
Ginger –अदरक	61
Health Unit –स्वास्थ्य यूनिट	1—2
Hygine Requirements –सफाई संबंधी अपेक्षाएं	54—6

I

Indemnify the Administration –क्षतिपूर्ति रखेगा	2—8
Indian Telegraph Act –भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम	4—8
Importer –आयातकर्ता	11 Para 1
Indemnity-*cum*-Security Bond –क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति बंधपत्र	11 (Heading), 13—7
Imports and Exports (Control) Act, 1947 –आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947	13—2
Instalments of Advance –अग्रिम की किस्तें	24 (v) (b)
Inspection Note –निरीक्षण टिप्पण	40—10 (a)
Import Clearance –आयात निकासी	40—19
Identification List –पहचान सूची	41—2
Inspection –निरीक्षण	55

K

Keep the Mortgagee Indemnified –बन्धकदार को क्षतिपूर्ति रखेगा	25 (i)

P

Pair of Bullocks 1
–एक जोड़ी बैल

Payments of Wages 2–9
–मजदूरी संदाय

Periodical Bills
–आवधिक बिल

Personal Capacity 5 (note)
–वैयक्तिक रूप में

Persons Employed by the Contractor 2–9
–ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति

Public Call Office 3–2
–सार्वजनिक टेलीफोन घर

Privilege of Booking of Coal/Mineral 6–1
–कोयला/खनिज की बुकिंग करने का विशेषाधिकार

Profit and Loss Account 6–2
–लाभ और हानि लेखा

Policy of Insurance 25(d)
–बीमा पालिसी

Power of Attorney 21–27
–मुख्तारनामा

Port of Disembarkment 42–2(d)
–उतराई का पत्तन

Pecuniary compensation 46–1
–धनीय प्रतिकर

Pasteurized Milk (PASTEURIZED MILK) 54–1
–पास्चुरीकृत दूध

Poppy Seed (White) 62
–पोस्त बीज (सफेद)

Pepper Black 62
–काली मिर्च

R

Rent and Installation Charge 4–11
–किराया और प्रतिष्ठापन प्रभार

Rotor Spinning Machines 12–1(c)
–रोटर कातने की मशीन

Rescind and Determine 20–22
–विखण्डित और समाप्त करना

Risk 18–6
–जोखिम

Re-auctioned at Purchaser's Risk 30–7
–क्रेता की जोखिम पर पुनः विक्रय

Refund the Security 4–8
–प्रतिभूति वापस करना

Relenquishment Deed 45–5
–त्यजन विलेख

V

Victualling Officer 46—1
—रसद आफिसर

Veterinary Surgeon 61
—पशु चिकित्सा सर्जन

W

Weight only system 6—1
—केवल भार प्रणाली

Wrong Calls 4—19
—गलत काल

Warranty 40—21
—वारंटी

Withstand Transit 42—3(d)
—अभिवहन में नुकसान न हो

92-M(J)D)415MofLJ&CA-2,000—5-9-94—GIPS

मुद्रक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला-171004 [illegible]
प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 [illegible]